सोमवार,
१० मई, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

विषय-सूची

अंक ३—२४ अप्रैल से २१ मई १९५४

पृष्ठ भाग

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २८८३–२९२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९२४–२९२८

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९२९–२९६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९६६–२९७२

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९७३–३०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०१८–३०२४

सोमवार, ३ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०२५–३०६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०६४–३०६८

मंगलवार, ४ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०६९–३११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३११५–३१२२

पृष्ठ भाग

बुधवार, ५ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१२३–३१७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३१७३–३१८२

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१८३–३२१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२१९–३२२२

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२२३–३२६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२६८–३२८०

सोमवार, १० मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२८१–३३२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३२४–३३४०

मंगलवार, ११ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३३४१–३३८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३८६–३३९८

	पृष्ठ भाग
बुधवार, १२ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३३९९–३४४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३४४६–३४७०
बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३४७१–३५१७
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३५१७–३५४२
शुक्रवार, १४ मई, १९५४	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३५४३
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या २४९१ से २४९५, २४९७ से २५०८, २५१० से २५११ और २५१३ से २५२१	३५४३–३५९२
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १३	३५९२–३५९६
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या २४९६ से २५१२ और २५२२ से २५२६	३५९७–३६०१
अतारांकित प्रश्न संख्या ५७७ से ५८९, ५९१ और ५९२	३६०१–३६१०
बुधवार, १९ मई, १९५४	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	३६११
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १४	३६११–३६१४
शुक्रवार, २१ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १५ से १७	३६१५–३६२४

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

सोमवार, १० मई, १९५४

सभा सवा आ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

युद्धाहतों को मुआवजा

*२३२६. **श्री एस० एन० दास :** क्या **श्रम** मंत्री ११ जुलाई, १९५२ को युद्धाहत मुआवज़ा बीमा निधि के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६९२ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दक्ष कामगरों के प्रशिक्षण तथा कामगरों की दशा-सुधार सम्बन्धी दोनों योजनाएं क्या कार्यान्वित की जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति की जा चुकी है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक के लिए कितनी-कितनी राशि की निधियों की व्यवस्था की गयी है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां ।

(ख) दक्ष कामगरों को अग्रेतर प्रशिक्षण देने के लिए वजीफा प्रदान करने वाली योजना के अंतर्गत आवेदन-पत्र मांगे गये

थे तथा अब तक पांच उम्मीदवारों का चुनाव किया जा चुका है । औद्योगिक कामगरों की दशा में सुधार करने की व्यवस्था करने वाली योजना के सम्बन्ध में, सन् १९५३-५४ में ३३,६९८ रु० की स्वीकृति दी गयी थी और चालू वित्तीय वर्ष में ६२,५०० रु० अब तक स्वीकृत किए जा चुके हैं ।

(ग) क्रमशः १,६८,७५५ रु० ८ आ० और २,००,००० रु० ।

श्री एस० एन० दास : इन दोनों योजनाओं पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

श्री आबिद अली : जहां तक कि योजना के कल्याण सम्बन्धी भाग का प्रश्न है, विभिन्न राज्यों को ९६,१९८ रु० का अनुदान देने की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह समझूं कि अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है ?

श्री आबिद अली : यह राशि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा व्यय की जानी है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इन दोनों योजनाओं के सम्बन्ध में इतनी धीमी प्रगति होने के क्या कारण हैं ?

श्री आबिद अली : यह योजना राज्य सरकारों तथा मिल मालिकों के सहकार के साथ कार्यान्वित की जानी है ।

ऐंटी बायोटिक्स

*२३२७. **श्री दाभी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या सरकार का ध्यान ७ दिसम्बर, १९५३ को 'बाम्बे क्रानिकल' में छपे इस लेख की ओर आकर्षित हुआ है कि क्षय रोग में स्ट्रेपटुमाइसीन तथा आइसोनिआज़िड आदि ऐन्टी बायोटिक्स का अबाध प्रयोग सम्बन्धित रोगियों के लिए हानिकर सिद्ध होता है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन औषधों के अबाध प्रयोग को रोकने के लिए क्या पग उठाया है अथवा उठाने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी हां ।

(ख) आइसोनिआज़िड के वितरण तथा विक्रय पर विभिन्न राज्यों में औषध नियंत्रण अधिनियमों द्वारा नियंत्रण रक्खा जाता है । केवल रजिस्टर्ड डाक्टर के नुसखे पर ही इसे बेचने की अनुमति है ।

सरकार स्ट्रेपटुमाइसीन तथा कुछ अन्य ऐन्टी-बायोटिक्स को औषध नियम, १९४५ के अंतर्गत लाने का विचार कर रही है जिससे कि ये औषधें केवल रजिस्टर्ड डाक्टर के नुसखे पर ही बेची जा सकें ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि इनमें से किसी औषध के अबाध प्रयोग अथवा सम्बन्धित रोगियों की विशिष्ट शारीरिक दशा के कारण हुए कोई हानिकारक प्रभाव सरकार की दृष्टि में आए हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : क्षय रोगियों पर ऐन्टी-बायोटिक्स के कोई हानिकारक प्रभाव सरकार की दृष्टि में नहीं आए हैं । यद्यपि कोई अधिकृत निदेश जारी नहीं किए गये हैं, फिर भी स्वास्थ्य सेवाओं के महा निदेशक तथा क्षयरोग मंत्रणादाता सम्मेलनों तथा अन्य बैठकों में डाक्टरों को ऐन्टी बायोटिक्स तथा अन्य चीज़ों के संतुलित प्रयोग पर मंत्रणा देते रहते हैं ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन दवाओं की तज़वीज देने से पूर्व डाक्टरों को कोई विशेष सावधानियां बरतनी पड़ती हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी हां, उन्हें अच्छी तरह से बताया गया है कि उनका विवेकपूर्ण तथा परस्पर परामर्श सहित, तथा उपचार की मान्य विधि के अनुसार प्रयोग करें ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस दवा के लाभप्रद अथवा हानिकर प्रभाव के सम्बन्ध में सरकार ने कोई आंकड़े संकलित किए हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यदि एक पृथक प्रश्न भेजा जाए तो मैं इसका उत्तर दे सकूंगी ।

डाक जीवन बीमा

*२३२९. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९५३ में कितने व्यक्ति डाक जीवन बीमा के अंतर्गत पालिसीदार थे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : ३१ दिसम्बर, १९५३ को (उन पालिसियों सहित जिनका दायित्व पाकिस्तान पर है) पालिसीदारों की संख्या १,१०,३४१ थी ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या मैं जान सकता हूं कि डाक जीवन बीमा को अधिक लोक-प्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : जैसा कि सदन को विदित है, इस समय डाक जीवन बीमा की सुविधाएं केवल सरकारी कर्मचारियों तथा अर्ध-सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध हैं । हम सरकारी तथा अर्ध-सरकारी विभागों में इसके सम्बन्ध में समस्त साहित्य का प्रचार कर रहे हैं और हमें अच्छा काम मिल रहा है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या सरकार इसे आम जनता के लिए खोलने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

श्री राज बहादुर : इस बात पर कोई निर्णय करने से पूर्व अनेक गम्भीर मामले आते हैं । हमें विभिन्न बीमा कम्पनियों के अधिकारों तथा हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है । इससे उत्पन्न होने वाली संगठन सम्बन्धी तथा अन्य समस्याओं का भी ध्यान रखना होगा ।

टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी

*२३३०. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बॉयलरों तथा इंजिनों का निर्माण 'टेल्को' से अपने हाथ में लेने तथा उसे राज्य-अधिकृत उद्योग के रूप में चलाने की दिशा में क्या प्रगति की गयी है ;

(ख) क्या यह सच है कि 'टेल्को' तथा सरकार के मध्य जो समझौता हुआ था, 'टेल्को' उसकी शर्तों के अनुसार कार्य नहीं कर सकी है और इसके बावजूद भी सरकार द्वारा उसे तदर्थ पेशगियां दी जाती रही हैं; और

(ग) करार को विनियमित करने तथा समझौते की शर्तों का ठीक ठीक पालन कराने के लिए क्या तत्कालिक कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) यह मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) तथा (ग). यह सच है कि 'टेल्को' समझौते की शर्तों के अनुसार समय पर उत्पादन नहीं कर सकी है, किन्तु उसे कोई तदर्थ पेशगी नहीं की गयी है । किए गये काम के लिए जो बिल उसने प्रस्तुत किए हैं उनके सम्बन्ध में, समझौते की शर्त के अनुसार, समय-समय पर अंतरिम भुगतान किए गये हैं । अब सब महत्वपूर्ण मद्दों पर समझौता हो गया है तथा शीघ्र ही अंतरिम भुगतानों का अंतिम रूप से हिसाब कर दिए जाने की आशा है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मैं आपका ध्यान पृष्ठ ११ और १२, पैरा १७ की ओर तथा लोक लेखा समिति की इस टिप्पणी की ओर आकर्षित करता हूं कि ४७ लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया था, जो कि बिलों की मोटी जांच पर भी आधारित नहीं था : २० लाख रुपए जनवरी, १९५१ में दिए गये थे और ११ लाख रुपए मार्च, १९५२ में । क्या मैं जान सकता हूं कि लोक लेखा समिति की उपपत्तियों के अनुसार ये तदर्थ भुगतान हैं या नहीं ?

श्री अलगेशन : जैसा मैं ने बतलाया, अंतरिम भुगतानों का अंतिम रूप से हिसाब किए जाने का प्रश्न निलम्बित था । एक सूत्र निकाला गया है तथा स्वीकृति के लिए 'टेल्को' के पास भेजा गया है । सहमति मिलते ही इन अंतरिम भुगतानों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा । स्थिति यह है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि कोई तदर्थ भुगतान नहीं किए गये हैं । ये भुगतान क्या हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि ये तदर्थ पेशगियां हैं अथवा बिलों के भुगतान हैं अथवा बिना बिलों के ही हैं ?

श्री अलगेशन : ये अंतरिम भुगतान हैं ।

अध्यक्ष महोदय : बिलों के ?

श्री अलगेशन : जी हां ।

श्री एस० एन० दास : इस बात की दृष्टि में कि समझौते के अनेक पदों के सम्बन्ध में मत-वैभिन्य रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार तथा 'टेल्को' के मध्य कोई नवीन समझौता होने जा रहा है ?

श्री अलगेशन : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि टेल्को के साथ हुए समझौते के अनुसार सरकार उसे कितना अनुदान देने को सहमत हो गयी है ?

श्री अलगेशन : हम कोई अनुदान नहीं देते, हमारा केवल पूंजी में भाग होता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हिसाब अभी अंतिम रूप से किया जाना है ।

श्री अलगेशन : जी हां ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि 'टेल्को' को कुल कितनी राशि दी जानी है । वह अनुदान अंतरिम था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसी को कह रहा था । यह कैसे जाना जा सकता है जब तक कि हिसाब अंतिम रूप से न हो जाए ?

डा० राम सुभग सिंह : समझौता सरकार द्वारा किया गया है ।

श्री अलगेशन : यदि माननीय सदस्य अब तक का कुल भुगतान जानना चाहते हैं, तो मैं पूर्वसूचना चाहूंगा । मैं यह बतला सकता हूं ।

नल कूप

*२३३१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को नल कूप बनाने के स्थानों के बारे में कोई सामान्य हिदायतें दी हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख). नलकूप बनाने के स्थानों के बारे में किसी राज्य सरकार को हिदायतें नहीं दी गई हैं । स्थान चुनने का काम राज्य सरकारों का है किन्तु क्षेत्र चुनने के काम में उन्हें उस प्रशिल्पिक चलती टुकड़ी की सिफारिशों से मार्गदर्शन प्राप्त होगा जिसमें भारत सरकार तथा शिल्पिक सहयोग प्रशासन के अधिकारी सम्मिलित होंगे । स्थान चुनने में मुख्यतः निम्न बातों का ख्याल किया जाता है : (१) भूगर्भ में पर्याप्त पानी का अस्तित्व (२) सस्ती बिजली की उपलब्धि तथा (३) सिंची जाने वाली भूमि की उत्पादन क्षमता ।

श्री विभूति मिश्र : यदि कोई ऐसी जगह पायी जाय जैसी कि मंत्री जी ने कही है तो क्या सरकार प्रान्तीय सरकार को निर्देश दे सकती है कि वहां पर एक ट्यूब वेल लगाया जाय ?

डा० पी० एस० देशमुख : जब प्रान्तीय सरकार तै करती है तो इन कन्सीडरेशन्स को सामने रखती है मगर यह सही नहीं है कि हर जगह वह कर सके । जितने भी ट्यूब वेल्स बन सकते हैं उनके लिए ऐसी जगह चाहिए ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार .

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न लेता हूं । इस प्रश्न का तीन या चार से अधिक बार इस सभा में उत्तर दिया जा चुका है ।

विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र

*२३३२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आज तक पश्चिमी बंगाल में फोर्ड प्रतिष्ठापन की सहायता से कितनी अग्रगामी विकास परियोजनाएं विस्तार विभाग तथा विस्तार प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं; तथा

(ख) उन पर अब तक व्यय की गई राशि ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) पश्चिमी बंगाल की निम्न परियोजनाओं के व्ययों में फोर्ड प्रतिष्ठान अंशदान दे रहा है :

(१) बरद्वान की अग्रगामी विकास परियोजना,

(२) टोलीगंज के राज्य कृषि महाविद्यालय में विस्तार विभाग,

(३) बरद्वान में एक तथा फुलिया में दो विस्तार प्रशिक्षण केंद्र ।

(ख) ३१-३-५४ तक इन परियोजनाओं पर कुल ९२६,००० रुपए व्यय हुए हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : इन प्रशिक्षण केंद्रों में अब तक कितने कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ?

डा० पी० एस० देशमुख : विस्तार विभाग में ७४ विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । जहां तक ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं का संबंध है, १२ व्यक्तियों को देखरेख का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, २१० का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और १४२ का प्रशिक्षण आरंभ हुआ है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या अब शिल्पिक सहयोग प्रशासन (टी० सी० ए०) इस में भाग ले रहा है क्योंकि यह बताया गया था कि परियोजनाओं के दूसरे वर्ष में शिल्पिक सहयोग प्रशासन इनमें हाथ बटायेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे मित्र का प्रश्न फोर्ड प्रतिष्ठान के बारे में था । मेरे पास जितनी जानकारी है वह मैं ने दे दी है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि पिछली बार माननीय मंत्री ने बताया था कि प्रथम वर्ष में फोर्ड प्रतिष्ठान व्यय का बोझ उठायेगा और दूसरे वर्ष राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा शिल्पिक सहयोग प्रशासन मिल कर व्यय का बोझ उठायेंगे इस लिए मैं जानना चाहता था कि क्या अब शिल्पिक सहयोग प्रशासन इस में हाथ बटा रहा है ।

डा० पी० एस० देशमुख : मेरी राय में योजना यह है कि प्रथम वर्ष में फोर्ड प्रतिष्ठान व्यय का बोझ उठायेगा और फिर अनुपात निश्चित किया जाएगा । मैं नहीं समझता कि शिल्पिक सहयोग प्रशासन इसमें कोई भाग लेगा । माननीय सदस्य ने जिस वक्तव्य का उल्लेख किया है उसका मुझे स्मरण नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं प्रश्न संख्या १०७३ का निर्देश करूं जो मैंने पूछा था ? माननीय मंत्री ने कहा था : "पहले वर्ष का खर्च फोर्ड प्रतिष्ठापन द्वारा किया जाएगा । दूसरे वर्ष में भारत सरकार, राज्य सरकारें तथा शिल्पिक सहयोग प्रशासन अंशदान देंगे । इसके पश्चात् तीन वर्ष बाद भारत सरकार तथा राज्य सरकारें मिल कर इन्हें चलायेंगी तदन्तर केवल राज्य सरकारों को ही सारा व्यय करना होगा ।" श्री हेडा को यह उत्तर दिया गया था ।

डा० पी० एस० देशमुख : हो सकता है कि यह कथन सही हो । यदि वैसा हो तो

उसका अर्थ केवल यही है कि शिल्पिक सहयोग प्रशासन केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय में कुछ अंशदान देगा । ऐसी स्थिति में उसके आने की आवश्यकता नहीं है. वह पहले से ही मौजूद होगा ।

डिंडिगल-गुदलपुर रेलवे मार्ग

*२३३४. **श्री एम० डी० रामस्वामी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या युद्ध के बाद डिंडिगल तथा गुदलपुर के बीच रेलवे मार्ग बनाने के लिए कोई परिमाप किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस योजना को स्थगित रख कर या त्याग कर मदुराई-बोदिनायकानुर मार्ग को पुनर्स्थापित किया जा रहा है ; तथा

(ग) यदि हां, तो इसके कारण ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग): इस मार्ग को योजनाओं की उस सूची में सम्मिलित किया गया है जिस पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में नये रेलवे मार्ग बनाते समय विचार किया जाएगा ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : इसे क्यों स्थगित किया गया ?

श्री अलगेशन : इसका संबंध एक पुराने मार्ग की पुनर्स्थापना की परियोजना से है । इस मदुरा–बोदिनायकानुर मार्ग का निर्माण हो रहा है और शीघ्र ही इस पर यातायात आरंभ हो जाएगा । वस्तुतः उसके कुछ हिस्से पर तो यातायात शुरु भी हो गया है ।

रेतीले क्षेत्रों में गेहूं की खेती

*२३३५. **श्री एच० एस० प्रसाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेतीले क्षेत्रों में गेहूं के उत्पादन के लिए कुछ अनुसंधान कार्य हो रहा है; तथा

(ख) यदि हो रहा है तो अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां ।

(ख) १९५३ की रबी फसल से काम शुरु हुआ है और परिणामों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है ।

रेलों पर माल उतारने के व्यय

*२३३८. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि आई० आर० सी० ए० माल दरपत्रक संख्या २८ के संशोधन को जिसमें १५ अगस्त १९५१ के बाद से रेलों पर से उतारी जाने वाली खेपों के उतारने की दरों को कम करने की व्यवस्था की गई थी पूर्वी रेलवे प्रशासन ने हावड़ा के मालगोदाम में कार्यान्वित नहीं किया था ;

(ख) यदि सच है तो इस प्रकार अतिरिक्त आदेशों के फलस्वरूप कितनी अधिक राशि वसूल की गई है; तथा

(ग) हावड़ा मालगोदाम में यह संशोधन कब से प्रवर्तित किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) लगभग रु० २·३२ लाख ।

(ग) १-११-१९५३ ।

श्री भागवत झा आजाद : यह संशोधन १९५१ में लागू होने वाला था । सरकार ने किन कारणों से इसे दो वर्षों के लिए स्थगित किया और इस देर के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ?

श्री अलगेशन : वस्तुतः इसे किसी ने स्थगित नहीं किया । चार पाई लेने की यह व्यवस्था पूर्वी रेलवे प्रशासन और हावड़ा में उतरने वाले माल के अधिकांश भाग का नियंत्रण करने वाले भारतीय उत्पादन संघ के बीच हुए समझौते के अनुसार निश्चित की गई थी । चूंकि यह व्यवस्था समझौते के फलस्वरूप की गई थी यह चलती रही पर पीछे वे कहने लगे कि इस काल में लिया गया अतिरिक्त आदेय वापस मिलना चाहिए । उसका एक अंश वापस दिया जा चुका है । शेष भी शीघ्र वापस दे दिया जाएगा ।

श्री भागवत झा आजाद : यह अतिरिक्त राशि अब तक क्यों वापस नहीं दी गई थी और अब भी सरकार के पास कितनी राशि पड़ी हुई है ?

श्री अलगेशन : जैसा मैंने बताया, यह कोई बड़ी भारी राशि नहीं है, पर यह बहुत से लोगों में बंटी हुई है । लगभग १००० आवेदन निपटाए जा चुके हैं । शायद इतने ही और हैं, उन्हें भी शीघ्र निपटा दिया जाएगा ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं कारण जानना चाहता हूं कि यह अतिरिक्त राशि क्यों ली गई थी और इसे वापस क्यों नहीं लौटाया गया है ? यह सूचना नहीं मिली ।

श्री अलगेशन : मैं बता चुका हूं कि यह भारतीय उत्पादन संघ तथा पूर्वी रेलवे प्रशासन के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप हुआ था । अतः यह चलता रहा । जब पता चला, तो उस राशि को वापस लौटाने का निर्णय किया गया ।

शकरकन्द

*२३३९. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने यू० पी० कृषि विभाग द्वारा चारे की फसल के रूप में शकरकन्द की फसल के पोषक तत्वों और उपयुक्तता के बारे में किए गए प्रयोगों के प्रतिफलों का परीक्षण किया है ?

(ख) क्या सरकार पशुओं के चारे के रूप में काम आने के लिए इस फसल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यवाही करना चाहती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) अनुमानतः विवेकानंद प्रयोगशाला, अलमोड़ा में श्री बोशी सेन द्वारा किए गए कुछ प्रयोगों का उल्लेख किया जा रहा है । उत्तर निषेधात्मक है । पता चला है कि प्रयोग अभी चल ही रहे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को विदित है कि शकरकंद पशुओं के **चारे** की अपेक्षा मनुष्यों के भोजन के लिए अधिक उपयोगी और उपयुक्त है ?

डा० पी० एस० देशमुख : शकरकंद के गुण हमें सामान्यतः विदित ही हैं ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : पशुओं के चारे के लिए क्या जड़ों का उपयोग किया जाएगा या सिरों का ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रयोगों का संबंध स्वयं शकरकंद और उसके सिरों और पत्तों दोनों का चारे के रूप में उपयोग करने से है ।

मैसूर के हाथी

*२३४०. **श्री एन० राचय्या :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में मैसूर से निर्यातित हाथियों की संख्या ;

(ख) उससे वसूल होने वाली कुल राशि ; तथा

(ग) उनका किन देशों को निर्यात किया गया था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) एक ।

(ख) कुछ नहीं । यह भेंट स्वरूप भेजा गया था ।

(ग) न्यूजीलैंड ।

श्री एन० राचय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या विदेशों को हाथियों का निर्यात करके लाभ उठाया जा सकता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसका फैसला राज्य सरकार को करना है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे —

अध्यक्ष महोदय : शांति, शान्ति । मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

रेलवे की मशीनों सम्बन्धी आवश्यकताएं

*२३४४. **श्री मुनिस्वामी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे की आवश्यक मशीनों को प्राप्त करने के लिए हाल में दक्षिण रेलवे का एक पदाधिकारी कनाडा भेजा गया है ;

(ख) यदि सच है तो कनाडा से क्या-क्या सामान मंगाया जाएगा ; तथा

(ग) उसका अनुमानित मूल्य ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) निर्दिष्ट पदाधिकारी कनाडा द्वारा कोलंबो योजना के अधीन दिए जाने वाले बायलरों का निरीक्षण करने के लिए कनाडा भेजा गया है ।

(ख) डबल्यू० जी० बायलर ५०
डबल्यू० पी० इंजन १२०

(ग) लगभग रु० ८·४४ करोड़ ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या इनमें से कोई वस्तु जिनके लिए हमने विदेश में आर्डर दिया है, देश में बनाई जा सकती है ?

श्री शाहनवाज खां : माननीय सदस्य को भली भांति विदित है कि हम इस देश में कुछ बायलर और इंजन बना रहे हैं, पर हमारी पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह पर्याप्त नहीं है। अतः कोलंबो योजना के अनुसार हम कुछ विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे हैं ।

श्री मुनिस्वामी : हम अपने लिए आवश्यक बायलरों का कितना प्रतिशतक विदेशों से आयात करते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : हम कनाडा से ५० बायलरों का आयात कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रतिशतक जानना चाहते हैं कि वह हमारी आवश्यकता का २०, या ५० या ८० कितना प्रतिशत है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : यह बताना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे पास इतनी कमी है कि हमें यहां निर्माण करना होगा, निर्माण की प्रगति को बढ़ाना होगा, और साथ ही आयात भी करना होगा ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं जान सकता हूं कि इस पदाधिकारी के ऊपर कितना

व्यय किया गया है और क्या वाशिंगटन स्थित भारतीय भंडार विभाग द्वारा क्रय-व्यवस्था नहीं की जा सकती थी ?

श्री शाहनवाज़ खां : भारत सरकार को उस पदाधिकारी के परिवार की यात्रा का व्यय और उसके सामान्य वेतन और भत्तों का व्यय ही उठाना पड़ा है, उसकी पत्नी को उसके साथ जाने की अनुमति दे दी गई है । उसके वहां रहने के लिए हम कुछ अतिरिक्त व्यय नहीं कर रहे हैं । कनाडा सरकार कनाडा में उसके ठहरने का व्यय झेल रही है और उसके भारत से आने-जाने के जहाज़-किराए की भी व्यवस्था की है ।

श्री जी० पी० सिन्हा उठे —

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

स्वयं चालित दूरभाष विनिमय केन्द्र

***२३४५. श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि देश के महत्वपूर्ण स्थानों में स्वयं चालित **दूरभाष विनिमय** केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ; तथा

(ख) क्या पटना नगर में कोई स्वयं चालित **दूरभाष** विनिमय केन्द्र होगा तथा यदि हां, तो कब ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां ।

(ख) हां । १९५७ में ।

श्री के० पी० सिन्हा : इस दिशा में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है तथा देश के सारे महत्वपूर्ण स्थानों में ऐसे विनिमय केन्द्र खोलने में कितना समय लगेगा ?

श्री राज बहादुर : प्रथम पंच वर्षीय योजना में हमें ग्यारह नये स्वयं चालित दूरभाष विनिमय यंत्र अधिष्ठापित करने हैं तथा अनेकों विनिमय केन्द्रों का विस्तार करना है, और कुछ विनिमय केन्द्रों में पुराने यन्त्रों आदि की प्रतिस्थापना करनी है । उस योजना के अनुसार हमें आशा है कि पटना योजना के लिए सामग्री मार्च १९५६ के अन्त तक उपलब्ध होगी, तथा उस समय तक इमारत भी तैयार हो जायेगी । हमें आशा है कि दूरभाष विनिमय केन्द्र १९५७ में काम करने लगेगा ।

श्री के० पी० सिन्हा : प्राथमिकता निर्धारित करने में किन किन कारणों का ध्यान रखा जाता है ?

श्री राज बहादुर : सर्व प्रथम, किसी नगर-विशेष में कितने दूरभाषों की आवश्यकता है, नगर का महत्व, उस स्थान से कितना यातायात हो सकता है, फिर सम्पूर्ण योजना का वित्तीय पहलू, नई इमारत तथा वस्तुओं का प्राप्त करना— इन सब बातों पर विचार किया जाता है ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या ग्वालियर जैसे स्थानों को, जहां स्वयं चालित विनिमय केन्द्र था जो कि अब हटा दिया गया है तथा अन्य व्यवस्था प्रतिस्थापित कर दी गई है, उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी ।

श्री राज बहादुर : हमें इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि ग्वालियर में एक स्वयं चालित दूरभाष विनिमय केन्द्र की आवश्यकता है क्योंकि यह मध्य भारत सरकार की राजधानी है—अल्प कालीन राजधानी—और इसलिए हमारी स्वीकृत योजना के अन्तर्गत आ जाती है । परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि स्वयं चालित विनिमय केन्द्र की सामग्री, जो मानव चालित प्रणाली से प्रतिस्थापित की गई थी, सर्वथा पुरानी, पुराने ढंग की तथा टूटी फूटी थी । इससे कोई लाभ नहीं हो

रहा था । अतः यह परिवर्तित कर दी गई ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : पटना योजना की लागत क्या है क्या कलकत्ता योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री राज बहादुर : पटना योजना की लागत लगभग ५८ लाख रुपये है । कलकत्ता योजना १९५७ तक पूर्ण हो जायेगी ।

डिबरूगढ़ रेलवे कारखाना

*२३४६. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री २१ दिसम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११८५ के दिये गये उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अब आसाम में डिबरूगढ़ कारखाने में, उन तीन यंत्रों के स्थान पर जो गोरखपुर कारखाने को स्थानान्तरित कर दिये गये थे, कोई यंत्र अधिष्ठापित करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : हां ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या इन यन्त्रों को गोरखपुर के यन्त्रों से प्रतिस्थापित किया जायेगा, या विदेशों को क्रय-आदेश दिया जायेगा ताकि नये यन्त्र आ सकें और उनकी प्रतिस्थापना हो सके ।

श्री शाहनवाज़ खां : उत्तर पूर्व रेलवे के बहुत से कारखानों के पुराने यन्त्रों से इन यन्त्रों की प्रतिस्थापना की जा रही है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या मैं यह समझूं कि इन यन्त्रों की प्रतिस्थापना के लिये कोई नये यन्त्र नहीं लाये जा रहे हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : वहां केवल पुराने यन्त्र भेजे जा रहे हैं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : जो कारीगर इन यन्त्रों पर दिबरूगढ़ में काम कर रहे थे उनका क्या हुआ ? क्या वे गोरखपुर भेज दिये गये हैं या रोक लिये गये हैं या काम से हटा दिये गये हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : वे दिबरूगढ़ में ही काम कर रहे हैं ।

यात्रा टिकट परीक्षक

*२३४७. **श्री गिडवानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेलवेज़ ने यात्रा टिकट परीक्षकों के लिए बिना टिकट चलने वाले यात्रियों से होने वाली प्राप्ति का कुछ कोटा निर्धारित कर दिया है; तथा

(ख) यह कोटा निर्धारित करने का आधार क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) कुछ रेलवेज़ ने प्राप्ति के लक्ष्य-आंकड़े, जो यात्रा टिकट परीक्षकों का लक्ष्य होना चाहिये, निर्धारित किये हैं ।

(ख) प्रायः लक्ष्य अनुभव के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं तथा इसमें बहुत से क्षेत्रों की स्थितियों व उन प्रतिबन्धों का ध्यान रखा जाता है जिनका प्रयोग साधारण योग्यता का एक यात्रा टिकट परीक्षक कर सकता है ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि डिब्बों में स्थान की कमी तथा अधिक भीड़ होने के कारण बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिये बिना टिकट यात्रा करने के अवसर हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या अधिक भीड़ से बिना टिकट यात्रा करने की सुविधा उत्पन्न होती है ?

श्री शाहनवाज़ खां : हो सकता है कि कुछ रेलों में अधिक भीड़ होती हो । परन्तु लोगों के टिकटों की परीक्षा करने में

यह निश्चय ही यात्रा टिकट परीक्षकों के लिये बाधक न होगी ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या यह सच है कि यह कोटा निर्धारित हो जाने के कारण, बहुत से स्टेशनों पर उच्च श्रेणी के यात्रियों को तृतीय श्रेणी के टिकट दिये जाते हैं, और फिर यात्रा टिकट परीक्षक अपनी प्राप्तियों में वृद्धि करने के लिये अतिरिक्त किराया टिकट बनाते हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : हमें इसकी सूचना नहीं मिली है । यदि माननीय सदस्य हमें इसकी कोई विशेष घटना बतायें, तो हम निश्चय ही उसकी जांच करेंगे ।

श्री गिडवानी : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि अधिक भीड़ के कारण, कभी कभी टिकट निरीक्षक के लिए डिब्बे में घुसना भी सम्भव नहीं होता ?

क्विलोन-ऐरणाकुलम् रेलवे

***२३४८. श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्विलोन ज़िले में क्विलोन–ऐरणाकुलम् रेलवे के लिये कितनी एकड़ भूमि ली गई है तथा कितने भूमि-पतियों से; तथा

(ख) उनमें से कितनों को क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ७४२ भूमिपतियों से ६० एकड़ भूमि ।

(ख) भूमिपतियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान नागरिक प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है । इसके लिये अभी तक कोई राशि रेलवे के नाम नहीं लिखी गई है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार को विदित है कि इस से छोटे छोटे भूमिपतियों को, जिनके भूमि-खण्ड छोटे छोटे होते हैं तथा जिनकी भूमि ले ली जाती है, उस समय जब कि उन्हें न तो वैकल्पिक भूमि दी जाती है और न ही क्षतिपूर्ति का भुगतान होता है, बड़ी परेशानी होती है ?

श्री शाहनवाज़ खां : मुझे बहुत खेद है कि लोगों को इस कारण परेशानी हो रही है । परन्तु दोष रेलवे मंत्रालय का नहीं है । क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्य सरकारों द्वारा जो भूमि अर्जित करती हैं, किया जायेगा ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या इस संबंध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है, तथा उन्होंने मामले का शीघ्र निवटारा करने के लिये राज्य सरकार को कोई निदेश भेजे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : इस विलम्ब की ओर हमने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ।

दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट

***२३५०. श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने अस्थायी निवास स्थान बनाने वाले विस्थापितों से पिछले दो वर्ष की भूमि के पट्टे की राशि वसूल करने के लिये नोटिस दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ऐसे नोटिस दिये गये हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) हां । विस्थापित तथा अविस्थापित लोगों को नोटिस दिये गये हैं ।

(ख) अब तक लगभग ६,५०० विस्थापित तथा अविस्थापित लोगों को नोटिस दिये जा चुके हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो नोटिस दिये गये

वह डैमेजेज़ के नाम से दिये गये हैं और यदि हां, तो जो लोग बसे हुये हैं उन्होंने उस ज़मीन को क्या डैमेज किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : यह जो मांगा गया है, तो उसका नाम डैमेजेज़ ही रखा गया है, लेकिन बतौर लीज़ मनी के है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : इस आदेश से छः हज़ार लोग प्रभावित होंगे । यदि वे पट्टा-राशि का भुगतान कर दें तो क्या सरकार ने उनके लिये कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : उस संबंध में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने उन लोगों को—विस्थापितों तथा अविस्थापितों को—जिन्होंने १९५० से पहिले भूमि ली थी, उस समय तक उन ज़मीनों पर ठहरने की अनुमति दे दी है जब तक उनके लिये वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था न की जाये । परन्तु, ज़मीन के अनाधिकृत प्रयोग तथा कब्ज़ा के लिये उन्हें पट्टा-राशि, जिसे डैमेजेज़ मनी का नाम दिया गया है, का भुगतान करना है। जिन्होंने डैमेजेज़ का भुगतान नहीं किया है केवल उनको नोटिस दिये गये हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन लोगों को नोटिस दिये गये हैं, उन्होंने इस संबंध में कोई विरोध ज़ाहिर किया है ?

राजकुमारी अमृत कौर : जिन लोगों को नोटिस दिये गये थे, उनमें से १२०० ने तो दे भी दिया है और बाकी हमें उम्मीद है कि वह भी दे देंगे ।

ऋतुविज्ञान कार्यालय

***२३५१. श्री विश्वनाथ रॉय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार नये केन्द्रों में और ऋतुविज्ञान वेधशाला खोलने का है ; तथा

(ख) वेधशालाओं के बीच दूरी होने के कारण क्या मौसम की खबरें गलत हो जाती हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) जी हां ।

(ख) केवल वेधशालाओं के पास होने के ऊपर ही मौसम की खबरों का ठीक होना निर्भर नहीं करता, यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण बात है ।

श्री विश्वनाथ रॉय : नई वेधशालाएं कहां बनाई जायेंगी ?

श्री राज बहादुर : १९५४-५५ में निम्नलिखित स्थानों पर वेधशालाएं बनाई जायेंगी :

मांडवी, राधनपुर, डिगबोई, घोपुर, चम्परमुख, नालवाड़ी, वालोंग, बालुरघाट, पालनगीर, ब्रह्मापुरी, करौली, भटिंडा, धोलपुर, जवाई तथा चम्बल ।

श्री विश्वनाथ रॉय : क्या सरकार का विचार रेडियो कार्यक्रम में इन वेधशालाओं की मौसम की खबरों को अधिक समय देकर प्रचार करने का है ?

श्री राज बहादुर : हमें इस में काफी दिलचस्पी है । लेकिन यह सवाल सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : उनके कहने का उद्देश्य यह है कि क्या माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को लिखेंगे ।

श्री राज बहादुर : मेरे विचार में हमें जो समय नियत किया गया है उससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं । यदि ऋतुविज्ञान सुविधाओं में वृद्धि हुई तो हम ऐसा करेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : क्या कभी मंत्रालय ने इस सुझाव पर भी विचार किया है कि एक आबज़र्वेटरी हिमालय की ऊंचाई पर भी

होनी चाहिये, ताकि वहां की स्थिति का अध्ययन किया जा सके ?

श्री राज बहादुर : जी हां, विचार किया गया है और एक आध ऐसी आवज़र्वेटरी वहां है भी ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि इन ऋतुविज्ञान वेधशालाओं का नाम हवा पानी दफ्तर होगा ?

श्री राज बहादुर : मैं ने यह नाम अखबारों में देखा है । यह नाम उपयुक्त प्रतीत नहीं होता ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का आंकड़ा विभाग

***२३५२. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के आंकड़ा विभाग में कुल कितने प्रशिक्षार्थी थे ;

(ख) इन में से कितने (१) केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारी थे और (२) कितने बाहर के व्यक्ति थे; तथा

(ग) प्रति प्रशिक्षार्थी के ऊपर कितना वार्षिक खर्च आता है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) २९ ।

(ख) (१) १० (२) १९ ।

(ग) लगभग १००० रुपये ।

श्री के० सी० सोधिया : इस विभाग में कितने अधिकारी काम कर रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं ठीक ठीक संख्या तो नहीं बता सकता लेकिन वर्तमान अधिकारी, जो पूसा इन्स्टीट्यूट में इस सम्बन्ध में कार्य करते हैं, इस टेकनिकल प्रशिक्षण में सहायता देते हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : इस संस्था का वार्षिक बजट क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे पूर्व सूचना चाहिये । मैंने प्रति प्रशिक्षार्थी का प्रशिक्षण खर्च बता दिया है ।

श्री मुरारका : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के आंकड़ा विभाग और राष्ट्रीय लम्बाई परिमाप के बीच क्या सम्बन्ध है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो बिल्कुल एक अलग विभाग है । वैज्ञानिक सम्बन्ध के अलावा इसका और कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या अलग से एक केन्द्रीय आंकड़ा संस्था स्थापित करना अच्छा न होगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

श्री बंसल : माननीय मंत्री ने बताया कि वैज्ञानिक सम्बन्ध के अलावा और कोई सम्बन्ध नहीं है । यह वैज्ञानिक सम्बन्ध क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता ।

अभ्रक खान दुर्घटना

***२३५६. श्री पी० सी० बोस** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि २२ अप्रैल, १९५४ को हजारीबाग़ ज़िले में बागखालर की एक अभ्रक खान में दुर्घटना के फलस्वरूप कुछ खनिकों की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) कुल कितने व्यक्ति मरे और घायल हुए ;

(ग) क्या खानों के निरीक्षक द्वारा कोई जांच की गई है ; तथा

(घ) यदि हां, तो जांच की उपपत्तियां क्या हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) तथा (घ). कथित दुर्घटना के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट पटना के "सर्चलाइट" दिनांक २० अप्रैल, १९५४ तथा दूसरी "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" दिनांक २६ अप्रैल, १९५४ में प्रकाशित हुई थी । पहले वाले अखबार में दुर्घटना की तारीख ६ अप्रैल, १९५४ बताई गई थी तथा दूसरे अखबार में २४ अप्रैल, १९५४ जांच की गई थी और यह पाया गया कि खबर सच नहीं है ।

श्री पी० सी० बोस : क्या बिहार के अभ्रक क्षेत्र में कोई खान निरीक्षक रखा गया है ?

श्री आबिद अली : जी हां, एक है ।

विदेशी विशेषज्ञ

***२३५७. श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अब तक भारत-संयुक्त राज्य टेकनिकल सहयोग समझौते के अन्तर्गत कितने विशेषज्ञों ने मंत्रालय के साथ काम किया है;

(ख) इस समय मंत्रालय के साथ कितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं; तथा

(ग) इस समय विशेषज्ञ किन पहलुओं पर काम कर रहे हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) चार ।

(ख) १६ ।

(ग) जैविक वस्तुओं का निर्माण, ट्रैक्टरों की देखभाल, गांव स्तर कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण, कृषि प्रचार, मछली पकड़ना, उर्वरक तथा भूमि सर्वेक्षण, भू-विज्ञान, कृषि सम्बन्धी अर्थशास्त्र तथा कृषि-उत्पादों का विक्रय, बुल ट्रॉलिंग तथा वर्किंग कटर ।

श्री ईश्वर रेडडी : क्या इन विशेषज्ञों ने कोई रिपोर्ट दी है और यदि हां तो किन पहलुओं पर ?

डा० पी० एस० देशमुख : वे जिन जिन पहलुओं पर काम करते हैं उनके बारे में रिपोर्ट देते हैं।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या भूमि सुधार के सम्बंध में कोई विशेषज्ञ रखा गया था और क्या उसने कोई रिपोर्ट दी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस काम के लिये एक विशेषज्ञ रखा गया था और उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है ।

श्री बंसल : इन विशषज्ञों का वेतन जो मंत्रालय के साथ काम करते हैं, भारत सरकार देती है या भारत स्थित अमरीकी दूतावास ?

डा० पी० एस० देशमुख : दूतावास नहीं देता। टेकनिकल सहयोग समझौता योजना में से इनका वेतन दिया जाता है। भारत सरकार कोई वेतन नहीं देती।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या भूमि सुधार सम्बन्धी विदेशी विशषज्ञों की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जायेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार में मुख्य मुख्य बातें कुछ समय पहले बता दी गई थीं ।

बर्मा चावल

*२३५९. **श्री रघुरामय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हाल के समझौते के अन्तर्गत बर्मा चावल भारतीय बन्दरगाहों में कब तक आने लगेगा; तथा

(ख) उसे किन किन राज्यों में और कितनी कितनी मात्रा में वितरण करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० स० देशमुख) : (क) हाल के समझौते के अन्तर्गत बर्मा चावल भारतीय बन्दरगाहों में अब से आगे आना आरम्भ हो जायेगा।

(ख) आवश्यकताओं के अनुसार कमी वाले समस्त राज्यों में वितरण किया जायेगा।

श्री रघुरामय्या : इस चावल का तटागत मूल्य क्या होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसका ठीक ठीक निसाब तो चावल के यहां आने पर ही लगेगा।

श्री दाभी : क्या हमारे यहां के चावल के मुक़ाबिले में बर्मा चावल का मूल्य और किस्म ठीक है, यदि है तो किस हद तक ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : देश के कुछ भागों में बरमा का चावल देश में ही उत्पादित चावल के मुक़ाबिले में ज्यादा पसन्द किया जाता है। और चूंकि दाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं, इसलिये इनका ठीक होना या न होना स्थानीय दामों पर निर्भर करेगा।

श्री आल्तेकर : क्या देश के किसी भाग में सेला चावल ज्यादा पसन्द किया जाता है; यदि हां तो इसे किस राज्य को दिया जायेगा ?

श्री किदवई : यह त्रावणकोर-कोचीन को दिया जायेगा ?

श्री भागवत झा आजाद : बर्मा में साधारण खरीददार जिस मूल्य पर इस चावल का समाहार कर सकते हैं उसमें और जो मूल्य हमारी सरकार ने बर्मा को दिया है, उसमें क्या अन्तर है ?

श्री किदवई : उस पर बर्मा सरकार का एकाधिकार है। इसलिये वह निर्यात मूल्य के बराबर नहीं है।

श्री एम० डी० रामस्वामी : क्या इस देश में चावल के अधिक उत्पादन का बर्मा से होने वाले चावल के आयात पर असर पड़ेगा ?

श्री किदवई : मैं ऐसी आशा नहीं करता।

श्री रघुरामय्या : बर्मा से चावल के आयात को ध्यान में रखते हुए मैं जान सकता हूं कि क्या अब हम चावल के मामले में आत्मनिर्भर हो गये हैं; यदि हां, तो क्या समाहार बन्द कर देने का विचार है ?

श्री किदवई : अधिकतर राज्यों में इसे पहले ही बन्द किया जा चुका है। उन राज्यों में जहां उत्पादकों को उचित मूल्य पर चावल बेचने में कठिनाई होगी, वहां समाहार जारी रखा जायेगा।

केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा विभाग

*२३६१. **श्री एस० एन० दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा विभाग स्थापित हो गया है और काम करने लगा है; तथा

(ख) यदि हां तो उसमें किस प्रकार का काम होता है और अब तक उसने क्या किया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री एस० एन० दास : क्या मंत्रालय ऐसी किसी योजना पर विचार कर रहा है; यदि हां, तो इस योजना का क्षेत्र और कार्यक्रम क्या है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : एक केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा विभाग खोलने की योजना है। उस स्वास्थ्य शिक्षा विभाग द्वारा निम्न लिखित कार्य किये जायेंगे :

(१) फ़िल्मों की पटकथा तैयार करना;

(२) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से स्वास्थ्य संबंधी फ़िल्मों का निर्माण करना ;

(३) स्वास्थ्य शिक्षा के इश्तहार बनाना ;

(४) नमूने तैयार करना ;

(५) स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी साहित्य की रचना करना ;

(६) स्वास्थ्य संबंधी पत्रिकाओं को प्रकाशित करना तथा नये एक स्वास्थ्य पुस्तकालय का संगठन करना जिसमें पुस्तकों आदि को घर घर ले जाने की सुविधा हो ; तथा

(७) स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यों का समायोजन करना।

श्री एस० एन० दास : प्रथम दो वर्षों में अनुमानतः कितना खर्चा होगा और क्या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था से कोई सहायता मिल रही है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हमें उपकरण के लिये संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता निधि से सहायता प्राप्त होने की आशा थी परन्तु चूंकि अब यह आशा बहुत कम है, इसलिये हमने इसका ख्याल छोड़ दिया है। हम बिना इस निधि की सहायता के केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा विभाग खोल रहे हैं। १९५४-५५ में लगभग ७,४४,००० रु० खर्च किये जायेंगे और १९५५-५६ में पूंजी व्यय लगभग १,९०,००० रुपये होगा और आवर्तक व्यय २,६६,००० रु० होगा, यानी पूरी अवधि में कुल १२ लाख रुपया खर्च होगा।

श्री एस० एन० दास : क्या राज्य सरकारें इस योजना में भाग ले रही हैं; यदि हां तो किस प्रकार ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हम उनसे इस योजना में भाग लेने की आशा नहीं रखते, परन्तु वे केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की सुविधाओं का लाभ उठायेंगी।

पंडित डी० एन० तिवारी : यह कहां स्थापित किया जा रहा है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : दिल्ली में।

समुद्र में मछली पकड़ना

*२३६२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) खाद्य तथा कृषि संगठन के मत्स्य-ग्रहण विशेषज्ञों द्वारा जो नये तरीके निकाले गये हैं उनमें से किन किन को मान लिया गया है और भारतीय समुद्र में काम में लाया गया है ; तथा

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल के मत्स्य-ग्रहण दल के साथ अब भी कोई विदेशी विशेषज्ञ हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) विशेषज्ञों की देख रेख में "वुल-ट्रौलरों" द्वारा मछली पकड़ने का तरीका मान लिया गया है और भारतीय समुद्र में उसका प्रयोग किया गया है ।

(ख) जी हां, एक डेनिश कप्तान है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या भारत के किसी व्यक्ति ने विदेश में जाकर इन तरीकों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिये।

श्री एस० सी० सामन्त : बंगाल की खाड़ी में किस प्रकार से जहाज़ों से मछली पकड़ने का काम किया जा रहा है?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं मछली का पूरा पूरा विवरण नहीं दे सकता, परन्तु मेरा ख्याल है कि माननीय मित्र मछली की क़िस्म से अच्छी तरह परिचित होंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह जहाज़ों की क़िस्म जानना चाहते हैं, मछलियों की नहीं।

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास इसका विवरण नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : मछली पकड़ने की नावों के यंत्रीकरण के बारे में विशेषज्ञों की राय पर सरकार ने कहां तक काम किया है?

डा० पी० एस० देशमुख : विशेषज्ञों द्वारा की गई बहुत सी सिफ़ारिशें मान ली गई हैं, परन्तु हमारे पास आवश्यक उपकरण नहीं हैं। उपकरण आते ही हम उन्हें क्रियान्वित कर देंगे।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सच है कि हमारे समुद्र में जापानी तरीक़े को काम में लाया जा रहा है; यदि हां तो क्या हमने इस तरीक़े में भारतीयों को पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर दिया है?

डा० पी० एस० देशमुख : भारत के लोग उस तरीक़े से ही काम नहीं कर रहे हैं; बल्कि कुछ स्थानों में वे स्वतंत्र रूप से भी काम कर रहे हैं। मत्स्य-ग्रहण के बारे में भारत में जितना भी ज्ञान उपलब्ध है उसका प्रयोग किया जा रहा है ।

नारियल की खेती

*२३६३. **श्री एन० राचय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत नारियल के मामले में स्वावलंबी है;

यदि नहीं तो क्या सरकार नारियल की खेती में विस्तार करने का तथा

(ग) यदि हां तो किस वर्ष से?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां।

(ग) इस संबन्ध में कार्य शुरू कर दिया गया है।

श्री एन० राचय्या : भारत में किन किन देशों से नारियल आयात किया जाता है?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार में मुख्यतः लंका से किया जाता है, परन्तु कुछ और देशों से भी आयात होता है।

श्री एन० राचय्या : मैसूर राज्य में कुल कितने एकड़ में नारियल के बाग़ीचे हैं?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं।

श्री बासप्पा : देश के किस भाग में अच्छी क़िस्मों का नारियल उगाया जाता है और इन क़िस्मों का विकास करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह काम पहले ही से एक विशेष समिति कर रही है। मैं समझता हूं कि भारत के ऐसे किसी क्षेत्र की, जहां नारियल उगाया जाता है, उपेक्षा की जाती है।

श्री भागवत झा आजाद : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में 'हां' कहा गया है। मैं जान सकता हूं कि हाल ही के वर्षों में सरकार ने कितनी अतिरिक्त एकड़ भूमि पर नारियल की खेती करवाई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : कोई नये बाग़ीचों में नारियल नहीं उगाये गये हैं, परन्तु सरकार पौधघर (नर्सरी) स्थापित करने को प्रोत्साहन दे रही है। मेरे पास उस अतिरिक्त एकड़ भूमि के आंकड़े नहीं हैं जिस पर खेती हुई है।

श्री एन० एल० जोशी : भारत में आयात किये गये नारियल का मूल्य क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं यह सूचना नहीं दे सकता। वास्तव में यह प्रश्न वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से पूछा जाना चाहिये था।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को पता है कि हाल ही के महीनों में नारियल के दाम जो गिरे हैं उससे उसकी खेती पर असर पड़ा है ; क्या सरकार ने इसके लिये कोई कार्यवाही की है।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं जानता हूं कि दामों की घटा-बढ़ी का असर काश्तकारों पर ही नहीं बल्कि काश्त पर भी होता है। हमने आयात में ज्यादा से ज्यादा कमी करने की कोशिश की है ताकि अच्छे किस्म के नारियल की खेती काफी मात्रा में की जाये।

चावल का समाहार

*२३६४. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत ऋतु में (राज्यानुसार) विभिन्न राज्यों से कुल कितने चावल का समाहार किया गया ; और

(ख) गत वर्ष के आंकड़ों की तुलना में यह कितना है ?

कृषि मंत्री (**डा० पी० एस० देशमुख**) : (क) तथा (ख). वर्ष १९५१-५२ की तुलना में वर्ष १९५२-५३ की फ़ैसल में विभिन्न राज्यों से समाहार किये गये चावल की मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध सं० ५१]**

श्री के० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल जैसे कुछ राज्यों में जहां समाहार बन्द कर दिया गया है चावल स्वेच्छा से बेचा जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां ऐसा अधिक उत्पादन के कारण है।

श्री बंसल : क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों के इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि उड़ीसा में समाहार किये गये चावल की बड़ी मात्रा कतिपय उन स्थानों पर खुली पड़ी हुई है जहां सरकार ने उसका समाहार किया था, और यदि ठीक ध्यान न दिया गया तो वह चावल नष्ट हो जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : समाहार में अकस्मात वृद्धि के कारण चावल के बड़े भंडार खुले पड़े रहे और माल के डिब्बों की भी कुछ कमी थी, परन्तु अब रेल ने भी प्रबन्ध किये हैं और सब राज्यों में भंडार के भी प्रबंध किये गये हैं, और हमें आशा है कि मौनसून आरंभ होने से पूर्व सारा चावल वहां से उठा लिया जायेगा।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे विवरण से पता लगा है कि समाहार में काफ़ी कमी हुई है। क्या यह सरकार के न खरीदने की इच्छा के कारण है या लोग बेच नहीं रहे हैं ?

श्री किदवई : यह ठीक है कि समाहार में कमी हुई है, क्योंकि बहुत से राज्यों ने समाहार समाप्त कर दिया था परन्तु यदि उन राज्यों में चालू वर्ष के आकड़ों पर विचार किया जाये जहां समाहार स्वेच्छा पूर्वक होता है तो इस में वृद्धि हुई है, और कुछ राज्यों में भंडार के लिये स्थान न होने के कारण सरकार को ऋतु काल के मध्य में समाहार बंद करना पड़ा था।

डी० टी० एस०

*२३६५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डी० टी० एस० की बसों में १२ वर्ष तक के बच्चों से रेलवे के सामान आधा किराया लेने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बंध में निर्णय कब तक हो सकेगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : कोई खास वक्त मुकर्रर करना तो मुश्किल है, लेकिन जल्दी इस पर गौर किया जायेगा।

रेलवे क्वार्टरों का किराया

*२३६६. **श्री के० सी० सोधिया** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में रेलवे कर्मचारियों से निवास के क्वार्टरों के लिये, प्रदेशानुसार किराये की कुल कितनी राशि वसूल की गई, और

(ख) किराये की रसीदें किस शीर्षक अधीन जमा की जाती हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) (क) १९५३-५४ के अनुमानित आंकड़े सदन पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये है। [**देखिये** परिशिष्ट ९ अनुबंध सं० ५२]

(ख) किराये की रसीदें विस्तृत मद २१०, जेड विविध अन्य आय के, संग्रह अधीन निवास भवन, में जमा की गई।

श्री के० सी० सोधिया: निवास के क्वार्टरों के लिये किराये की प्रमाणिक दर क्या है ?

श्री शाहनवाज खां : यह सामान्यतः वेतन का दस प्रतिशत है।

श्री के० सी० सोधिया : क्या किराये और बनाये गये भवन की लागत में कोई सम्बंध है ?

श्री शाहनवाज़ खां : सामान्यतः किराया या तो वेतन का १० प्रतिशत या भवन की लागत का ४ प्रतिशत, इन में से जो कम हो वह होता है।

श्री के० सी० सोधिया : इन भवनों में लगाई गई पूंजी लागत का कुल अनुमान क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : किन भवनों में ?

श्री के० सी० सोधिया : रेलवे के भवनों में ।

श्री शाहनवाज खां : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री गणपति राम : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि उत्तरी रेलवे में कई ऐसे एम्पलाई हैं जिन से स्टेंडर्ड रेट के अलावा आऊट साईडर्स रेट से चार्ज किया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य बतायेंगे तो हम उसे जरूर देखेंगे ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि जिन रेलवे कर्मचारियों को मकान दिये गये हैं उन में से कई कर्मचारियों ने अपने मकान को किराये पर उठा रखा है, और क्या इस किस्म की कोई शिकायत आई है । और यदि आई है तो उस पर कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी नहीं । लेकिन अगर उन्होंने किसी को किराये पर दिया भी है तो किसी नानरेलवे आदमी को नहीं दिया है बल्कि रेलवे के अपने ही किसी साथी को दिया है। मगर हम इस बात की कोशिश करते हैं कि किसी तरह की सबलेटिंग न हो।

आंध्र में छोटी सिंचाई योजना

*२३६९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५४-५५ के लिये सरकार को आंध्र राज्य की ओर से छोटी सिंचाई योजनाओं का कोई कार्यक्रम मिला है ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या इस का अनुमोदन किया गया है, और

(ग) इस के लिये नियत की गई राशि क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) तथा (ख). हां श्रीमान।

(ग) ७५.३९ लाख रुपये का ऋण और १६.८१ लाख रुपये का अनदान।

श्री ईश्वर रेड्डी : इन छोटी सिंचाई योजनाओं की कब तक पूरा होने की आशा है।

डा० पी० एस० देशमुख : अनुदान सामान्यत : वर्ष के दौरान में दिये जाते हैं और उसी वर्ष में उन्हें पूरा करने की प्रत्याशा की जाती है।

श्री ईश्वर रेड्डी : क्या माननीय मंत्री आंध्र राज्य द्वारा आरंभ किये गये कार्यों की सूची सदन पटल पर रख सकते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : कुछ सूचियां मेरे पास यहां हैं और यदि माननीय सदस्य चाहें तो जो जानकारी मरे पास है मैं उन्हें दे सकता हूं।

श्री मुनिस्वामी : लग भग कितने एकड़ भूमि को इस योजना से लाभ होगा?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं का सम्बंन्ध है वे आती रहती हैं और गत वर्षों की भी बची हुई रखी हैं। मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र को किन विशेष एकड़ों की गणना चाहिये। यदि वे मुझे किसी विशेष योजना की बात पूछें तो मैं उत्तर दे सकता हुं, हमारे पास प्रत्येक योजना के आंकड़े हैं।

डी० टी० एस० के लिये केन्द्रीय वर्कशाप

*२३७०. **श्री नवल प्रभाकर**: क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० टी० एस० की केन्द्रीय वर्कशाप के लिये संयंत्र तथा मशीनें खरीदने के लिये आर्डर दे दिये गये हैं, जिन की चर्चा १९५३-५४ की रिपोर्ट में की गई है;

(ख) यदि हां, तो ये मशीनें और संयंत्र कब तक आ जाने की आशा है; और

(ग) इन के खरीदने तथा लगाने पर कितनी राशि खर्च की जायगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दिल्ली परिवहन सेवा के केन्द्रीय कारखाने और नये केन्द्रों के लिये अपेक्षित कुछ मशीनें और संयन्त्रों के मंगवाने के लिये आदेश दिये गये हैं।

(ख) मंगाई गई वस्तुओं में से कुछ आ गई ह और अगस्त १९५४ के अन्त तक शेष वस्तुओं के मिलने की आशा है।

(ग) प्रथम पंच वर्षीय योजना में संयन्त्र और मशीन की खरीद और उन्हें लगाने पर कुल १४.३३ लाख रुपये की राशि व्यय की जायेगी ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि आज से दो वर्ष पहले भी इस सिलसिले में कुछ मशीनें खरीदी गई थीं ?

श्री अलगेशन : हम ने कुछ मशीनें खरीदी हैं और हम ने कुछ और मशीनों के मंगवाने के लिये आदेश दिये हैं।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो मशीनें खरीदी गई थीं वह पड़ी पड़ी बेकार हो गई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) जी नहीं बेकार नहीं हुई हैं। मगर यह बात कमी की जरूर थी कि इस के पहले वर्कशाप को बनाने का इंतजाम नहीं किया गया। हमारी एक सेंट्रल वर्कशाप काम कर रही है, उस को हम बढ़ा रहे हैं और उस में इन मशीनों से काम लिया जायेगा।

श्री दाभी : क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन सेवा की बसों के निन्तर रास्ते में खराब हो जाने के कारण यात्रियों को बहुत असुविधा होती है, उन्हें बहुत देर बस के अड्डों पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जब कभी खराबी होती है तो यह स्वाभाविक है कि यात्रियों को असुविधा होती है । यदि माननीय सदस्य मुख्य प्रश्न का उत्तर पढ़े तो उन्हें पता लगेगा कि दिल्ली परिवहन सेवा ने एक केन्द्रीय कारखाना खोला है ताकि यात्रियों की बसों का अधिक अच्छा संधारण हो सके।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या दिल्ली परिवहन सेवा का अपना कारखाना है या उन्होंने किराये का पर ले रखा है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह कारखाना हमारा है अर्थात दिल्ली परिवहन सेवा का है।

श्री बंसल : उन देशों के क्या नाम हैं जिन से मशीनें मंगवाने के आदेश दिये गये हैं, और क्या आदेश देने से पूर्व सरकार ने विभिन्न प्रकार की मशीनें और मशीनों के पुर्जे बनाने में देशी उद्योग के सामर्थ्य का ध्यान रखा था ?

श्री अलगेशन : डी० जी० एस० डी० ने इन सब बातों पर ध्यान दिया होगा। हम आदेश उस द्वारा भिजवाते हैं।

अगरतल्ला विमान कार्यालय

*२३३३. **श्री दशरथ देव** : (क) क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय विमान निगम के अगरतल्ला विमान कार्यालय में विशेषतः यातायात और टिकट जारी करने की शाखा में इस समय कितने कर्मचारी हैं ?

(ख) क्या सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं कि अगरताला से कलकत्ता और कलकत्ता से अगरताला का टाईम टेबल यात्रियों के लिये असुविधा-जनक है ?

(ग) क्या यह सच है कि कर्मचारी कम होने के कारण अगरताला से कलकत्ता जाने वाले यात्री समय पर अपना बीमा नहीं करवा सकते ?

(घ) यदि ऐसा है तो सरकार इस सम्बंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मैं अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध सं० ५३**]

(ख) कलकत्ता और अगरतला के बीच विमान सेवाओं के समयों में, कलकत्ता में अन्तर्देशीय रात की विमान डाक सेवा का सम्बंध नहीं है। भारतीय विमान निगम ऐसा सम्बंध जोड़ने के लिये टाईम टेबल को संशोधित करने के प्रश्न पर विचार करता रहा है।

(ग) अगरताला में नगर के टिकट घर और हवाई अड्डे, दोनों स्थानों पर यात्रियों के लिये बीमा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। नियुक्त किये गये कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है और यदि यात्री समय पर सूचना दे तो उस के लिये अपना बीमा करवाना संभव है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डाक विभाग के कर्मचारी

*२३२८. **श्री राघवय्या** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि एक डाक विभाग के कर्मचारी के लिये, चिकित्सा उपचार के लिये एक चिकित्सालय से दूसरे चिकित्सालय में स्थानातरण के हेतु मुख्य प्रशासनीय चिकित्सा पदाधिकारी के पूर्व आदेश लेने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि ऐसा है तो इस के क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ;

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नर्वदा के ऊपर सड़क का पुल

*२३३६. **श्री सैयद अहमद** : (क) क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि होशंगाबाद जिले में बरमा के स्थान पर नर्मदा नदी पर सड़क का पुल बनाने की कोई प्रस्थापना है ?

(ख) यदि ऐसा है तो रचना कार्य कब आरंभ होने की संभावना है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) १९५५ के आरंभ में।

'बोरो' धान

*२३३७. **श्री एन० वी० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या 'बोरो' धान की अच्छी किस्म का उत्पादन करने के लिये कोई प्रयोग किये जा रहे हैं ।

(ख) यदि हां, तो गवेषणा कहां हो रही है ; तथा

(ग) इस गवेषणा के परिणाम बोरों-कृषकों को उपलब्ध करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) चिन्सुरा फारम, पश्चिमी बंगाल ।

(ग) अभी काम हो रहा है और यदि प्रयत्न सफल रहे तो जनता को उस के परिणाम उपलब्ध कर दिये जायेंगे ।

दानेदार चीनी का उत्पादन

*२३४१. **श्री राम जी वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुटीर उद्योग के रूप में दानेदार चीनी बनाने के लिये किसी मशीन का अविष्कार किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जी हां ।

रेलवे सैलून

*२३४२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) फर्नीचर, आदि सहित निरीक्षण डिब्बों की औसत लागत क्या है ; तथा

(ख) अत्यन्त ही बहुमूल्य सैलून की लागत क्या है तथा किस श्रेणी के अधिकारी इस में यात्रा कर सकते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) निरीक्षण डिब्बे की वर्तमान लागत लगभग डेढ़ लाख रुपये है, यद्यपि इस समय चालू ऐसे डिब्बे मूलतः इस से एक तिहाई लागत पर बने थे ।

(ख) लगभग ढाई लाख रुपये । यह उन सैलूनों के साथ उपयोग में लाया जाता है जो कि केन्द्रीय सरकार के उच्चाधिकारियों के लिये रक्षित रखे जाते हैं ।

रेलवे के लिए मशीनों का क्रय

*२३४३. **श्री तुलसीदास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सम्भरण विभाग के महानिदेशक को रेलवे विभाग के लिये उनकी वार्षिक तथा तदर्थ अपेक्षाओं के मुकाबले में संयत्र तथा मशीनरी क्रय करने का काम सौंपा गया है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि रेलवे बोर्ड ने हाल ही में १९५४-५५ के कार्यक्रम के मुकाबले में अपनी कुछ मशीनें तथा संयत्र आदि सीधे लंदन से आयात करने का निश्चय किया है ; तथा

(ग) यदि किया है तो इसके कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, चित्तरंजन लोको वर्कस एंड इंटीगरल कोच फैक्टरी, पेरम्बुर को छोड़ के ।

(ख) प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विमान दुर्घटना

*२३४९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० अप्रैल, १९५४ को विन्ध्य प्रदेश में रीवा से २० मील दूर सतना में हिन्द प्रविन्शल फ्लाइंग क्लब का एक विमान गिर पड़ा जिसके फलस्वरूप उसके चालक तथा यात्री की तत्काल मृत्यु हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या थे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) दुर्घटना की अभी जांच ही हो रही है ।

रेलवे बोर्ड

***२३५३. श्री बी० मिश्र** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रेलवे बोर्ड के कार्यालय में राजपत्रित कर्मचारी वर्ग का कार्यविश्लेषण पिछली बार कब किया गया था ;

(ख) इस कार्य विश्लेषण के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों के पदों की उचित संख्या क्या होनी चाहिये थी ;

(ग) उस समय वास्तविक संख्या क्या थी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५१ में ।

(ख) स्थायी पदों की संख्या २७ निश्चित की गई। इस के अलावा अस्थायी काम के लिये तीन अस्थायी पद मंजूर किये गये ।

(ग) विशेष कार्य पर नियुक्त अधिकारियों और कलकत्ता तथा मुगलसराय स्थित रेल यातायात संगठनों के लिये मंजूर अस्थायी पदों को छोड़कर उस दिन ऐसे पदों की संख्या ३९ थी ।

मनोरंजन उड़ानें

***२३५४. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ के दौरान में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा हैदराबाद में कितनी मनोरंजन उड़ानों की व्यवस्था की ; तथा

(ख) इन उड़ानों का कुल कितने यात्रियों ने फायदा उठाया ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : कारपोरेशन ने बम्बई में १७ तथा हैदराबाद में ४ ऐसी उड़ानों की व्यवस्था की । दिल्ली, कलकत्ता अथवा मद्रास में इस कारपोरेशन द्वारा ऐसी उड़ानें की कोई व्यवस्था नहीं की गई ।

(ख) ५२२ ।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

***२३५५. श्री टी० बी० बिट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ तथा १९५३ में कितने मामलों में ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये जो कि कोयला खानों में घातक दुर्घटनाओं के लिये जिम्मेदार थे ; तथा

(ख) इन में से कितनों की दोषसिद्धि हुई ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १५ ।

(ख) दो । शेष मामले अभी न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हैं ।

भागलपुर मांडरहिल रेलवे लाइन

***२३५८. श्री भीखाभाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ३२ मील भागलपुर मांडरहिल रेलवे लाइन को बहाल करने पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया है ; तथा

(ख) इसकी बहाली में कितना समय लगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) बहाली की अनुमानित लागत लगभग ६१ लाख रुपये है ।

(ख) लगभग एक वर्ष ।

रेलवे दुर्घटना

*२३६०. **श्री जनार्दन रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सेन्ट्रल रेलवे की भूसावल इटारसी शाखा पर स्थित हर्दा स्टेशन पर भूसावल से दिल्ली जाने वाली एक रेल गाड़ी एक माल गाड़ी से टकरा गई ; तथा

(ख) यदि टकरा गई तो इस दुर्घटना के कारण क्या थे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) २७-४-५४ को लगभग १२ बजकर ५५ मिनट पर नम्बर ३६१ डाऊन भूसावल-दिल्ली यात्री गाड़ी हर्दा स्टेशन की डाउन गुडस लूप लाइन में प्रवेश कर गई तथा कुछ माल डिब्बों के साथ जो कि पहले ही उस लाइन पर थे टकरा गई ।

(ख) १ मई १९५४ को इस दुर्घटना की जांच शरू हुई । प्रत्यक्षतः इस दुर्घटना का कारण यह था कि यात्री गाड़ी के आगमन के लिये स्थान सूचक निशान सही तरह नहीं लगाये गये थे ।

टेलीफोन चालन के लिए ट्रेनिंग

*२३६७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में कुल कितने व्यक्तियों ने टेलीफोन चालन की ट्रेनिंग प्राप्त की ; तथा

(ख) उनमें से कितने नौकरी में भर्ती किये गये ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १९५३ में ९०९ उम्मीदवारों को टेलीफोन चालन की ट्रेनिंग दी गई ।

(ख) इन में से १९५३ में ८९७ व्यक्ति टेलीफोन चालकों के रूप मे भर्ती किये गये ।

सिंगरेनी कोयला खानें

*२३६८. **श्री टी० वी० विटठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सिंगरेनी कोयला कम्पनी के प्रबन्धकों ने पांच लाख रुपये के उस सरकारी अनुदान में से कितने क्वार्टर बनाये हैं जो कि उन्हें सितम्बर १९५३ में दिया गया था ;

(ख) क्या सरकार ने कुछ शर्तों सहित यह अनुदान दिया था ; तथा यदि कोई शर्तें थीं तो वह क्या थीं ; तथा

(ग) क्या सरकार निर्माण कार्य की गति बढ़ाने का विचार रखती है जिस से कि उन कमकरों को मकान मिलें जो कि झोंपड़ियों में रह रहे हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) कोई भी नहीं ।

(ख) एक विवरण जिस में कि निश्चित शर्तें आदि दी गई हैं सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५४]**

(ग) जी हां कम्पनी से बताया जा रहा है कि यह निर्माण कार्य जल्दी ही समाप्त हो ।

दिल्ली में टेलीफोन के कनेक्शन

४९८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में दिल्ली और नई दिल्ली में टेलीफोन के कितने नये कनेक्शन दिये गये और किस आधार पर ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये** परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५५]

ट्रेक्टरों से खेती

४९९. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) एक ट्रेक्टर ओसतन कितनी भूमि की जुताई करने के बाद बेकार घोषित किया जाता है ; और

(ख) प्रति एकड़ जुताई की लागत कितनी होती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): ओसत में एक ३० हार्स पावर का कृषि ट्रैक्टर यदि केवल जुताई के काम पर ही लगाया जाय, लगभग १०,००० एकड़ रेतीली भूमि की जुताई कर सकता है तथा इसके पश्चात् इसे अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है। चूंकि ट्रैक्टर केवल जुताई के ही काम पर नहीं लगाया जाता है तथा इस से अन्य काम भी लिए जाते हैं, इसलिए एक दरम्यानी दर्जे के कृषक के सम्बंध में जिसके पास कि केवल एक अथवा दो ट्रेक्टर होते हैं सामान्यतः इतने एकड़ भूमि की जुताई नहीं होती है। उपर जो आंकड़ा दिया गया है वह केवल एक औसत है। वास्तव में कुल कितने एकड़ भूमि की जुताई हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर है कि किस तरह के औज़ार प्रयोग में लाये गये हैं, कार्यगति क्या कुछ रही है तथा जमीन किस किस्म की रही है तथा इसी तरह से ट्रेक्टर का स्थायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी कितनी हिफाज़त की गई है, मरम्मत की गई तथा इसे किस तरह के जलवायु आदि में काम करना पड़ा है।

(ख) प्रति एकड़ लागत भी बहुत कुछ उपरोक्त स्थितियों पर निर्भर करती है। औसत में रेतीली भूमि पर ७ इंच गहराई की जुताई करने पर २० से लेकर ३० रुपये तक की लागत आती है।

नये रेलवे स्टेशन

५००. **श्री एम० एल अग्रवाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में छै क्षेत्रीय रेलवेज़ पर कितने नये सर्वांग-पूर्ण स्टेशन, फ्लैग तथा हाल्ट स्टेशन खोले गए हैं ;

(ख) इन्हें खोलने पर क्या लागत आई है ; तथा

(ग) इसी कालावधि में इन स्टेशनों से कितनी आय प्राप्त हुई है।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) :

	१९५२-५३	१९५३-५४
(क) सामान्य स्टेशन	३५	२९
फ्लैग स्टेशन	१५	२५
हाल्ट स्टेशन	७	९२

(ख) तथा (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन पटल पर रखा जायगा।

भारतीय टेलीफोन उद्योग

५०९. **श्री तिम्मय्या** : क्या संचार मंत्री भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर के मजदूरों और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये अभी तक किये गये कल्याण-कारी उपाय बताने की कृपा करेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : सदन पटल पर विवरण रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५६]

मालगाड़ी के डिब्ब

५०२. **श्री जी० एल० चौधरी :**
श्री लोटन राम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के आइज़ट नगर कार्यालय से मैलानी-कोडियाला घाट लाइन के किन किन स्टेशनों से वैगन, रजिस्टर कराये गये ;

(ख) कितने वैगन रजिस्टर कराये गये ;

(ग) कितने वैगन दिये गये ; और

(घ) वे कितने समय के बाद दिये गए?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) स्वयं स्टेशनों पर डिब्बों के लिये व्यादेश पंजीकृत किये जाते हैं जिसमें उत्तर-पूर्वी रेलवे के मैलानी-कोडियाला घाट विभाग के आठ स्टेशन सम्मिलित हैं।

(ख) और (ग). मैलानी-कोडियाला घाट विभाग के स्टेशनों पर १९५३ में ५७८७ डिब्बे पंजीकृत किये गये थे। इनमें से २२५५ डिब्बों में माल लादा गया था और १५८३ डिब्बों के लिये व्यादेश वापस लेकर रद्द कर दिये गये। वर्ष के अन्त तक १९४९ डिब्बों का पंजीकरण बाकी था डिब्बों के उदारता पूर्वक, सम्भरण के कारण बड़े पैमाने पर व्यादेश वापस लेने के अनुभव को दृष्टिगत करते हुए यह आवश्यक नहीं हैं कि शेष पंजीकरण उस समय माल उठाने के लिये प्रतीक्षित यातायात के वास्तविक परिमाण को प्रतिच्छायित करते हों।

(घ) व्यक्तिगत व्यादेश को उठाने में १९५३ में औसत समय तीन महीने था, और कम से कम १६ दिन।

रेलवे गवेषणा विभाग

५०३. **श्री मेघनाद साहा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे की वैज्ञानिक गवेषणा का विभाग स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कहां ; और

(ग) किन विषयों पर गवेषणा की जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

(क) १९३५ में भारतीय रेलों मेंगवेषणा आरम्भ हो गई थी और यह कार्य रेलवे के केन्द्रीय प्रमाद कार्यालय (सेन्ट्रल स्टेण्डर्ड आफिस) द्वारा किया जा रहा था १ सितम्बर , ५२ से इस कार्यालय के गवेषणा विभाग का पुनर्संगठन किया गया और इसे स्वतंत्र एकक के रूप में स्थापित कर रेलवे टेस्टिंग और गवेषणा केन्द्र नाम रखा गया ।

(ख) इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और लोनावाला और चित्तरंजन में एक-एक छोटा केन्द्र है।

(ग) वर्तमान में लखनऊ केन्द्र की कार्यवाही क्षेत्र परीक्षण केन्द्रों तक ही सीमित है जो पटरियों पर विचित्र प्रकार के इंजिनों का प्रभाव और नवीन प्रकार के इजिनों का परीक्षण निर्धारण करते हैं। नई पटरियों को बिछाने के सम्बंध में की जाने वाली जांच तथा और जोड़ने का अन्य कार्य भी शीघ्र ही किया जायेगा।

लोनावाला के छोटे केन्द्र का कार्य ककंरीट मिश्रण के वर्गीकरण पर रेलवे को मंत्रणा देना और महत्वपूर्ण इमारतें, पुलों और

दूसरे निर्माण कार्यों के सम्बंध में नींव की मिट्टी की जांच करना है ।

चितरञ्जन में एक ऋतु और रसायन सम्बंधी प्रयोगशाला है जहां विचित्र पदार्थों की सूक्ष्मदर्शन यन्त्र की सहायता से और उनकी भौतिक तथा रासायनिक जांच की जाती है। नवीन प्रकार की सामग्री के रेलवे उपयोग की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिये जांच की जाती है।

देशीय चिकित्सा प्रणालियां

५०४. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सहायता प्राप्त ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं जहां यूनानी चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा दी जाती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : जानकारी संग्रहीत की जा रही है तथा उसे यथोचित समय में सदन - पटल पर रख दिया जायेगा।

यात्रियों को सुविधाऐं

५०५. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री मद्रास राज्य की दक्षिण रेलवे के रेलवे स्टेशनों की संख्या और उनके नाम बताने की कृपा करेंगे जहां हाल के सुविधा कार्य-क्रम के अनसार प्लेट फार्मों पर बिजली और पंखे लगाने की योजना बनाई गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : १९५४-५५ में मद्रास राज्य की दक्षिण रेलवे के पन्द्रह स्टेशनों पर बिजली लगाने का कार्यक्रम। इन स्टेशनों के नाम निचे दिये गये हैं :—

(१) मेकडोनाल्ड चौल्ट्री
(२) अर्वानिकडु
(३) कुनूर
(४) तिमाचीपुरम
(५) कदम्बन्नूर
(६) बलजाहाबाद
(७) कदम्बूर
(८) कल्लाल
(९) पन्नई
(१०) सलेम पूव
(११) तिरूकोयलूर
(१२) तिरूक्कडयूर
(१३) भंगूडी
(१४) अर्नी रोड
(१५) रामेश्वरम्

उक्त, स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर पंखे लगाने का विचार नहीं है लेकिन ऊपर के और तृतीय श्रेणी के वेटिंग रूम में पंखे लगाये जायेंगे।

देहरादून आदि में डाक व तार घर

५०६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में देहरादून, गढ़वाल, टीहरी-गढ़वाल, अलमोड़ा और नैनीताल जिलों में कितने नये डाक व तार-घर टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए और सार्वजनिक टेलिफोन लगाए गए ;

(ख) क्या इनमें से कोई कार्यालय तब से बन्द भी किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) १९५३-५४ के अन्त में इन पांच जिलों में ऐसे कार्यालयों की कुल संख्या कितनी थी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (घ). डाक व तार घरों के सम्बंध में जानकारी देने वाला विवरण सदन–पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५७]**

टेलीफोन एक्सचेंज और पब्लिक काल आफिस के सम्बंध में जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार की चीनी मिलें

५०७. **श्री अनिरुद्ध सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार तथा उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने गत साल की तुलना में इस साल औसत से कितने दिनों तक ईख पेरने का काम किया; और

(ख) पिछले साल की अपेक्षा इस साल प्रति सौ मन ईख से औसत से कितनी चीनी निकली?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) और (ख) : १९५३-५४ और १९५२-५३ के मौसम में पेरने के दिनों की औसत संख्या और उत्तर प्रदेश और बिहार कि चीनी मिलों में प्राप्त औसत चीनी इस प्रकार है:—

	पेरने के दिनों की औसत संख्या		प्राप्त औसत चीनी का प्रतिशत	
	१९५३-५४ (अनुमानित)	१९५२-५३	१९५३-५४ (अनुमानित)	१९५२-५३
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	११०	१२१	९·८१	९·७३
पूर्वी उत्तर प्रदेश	७०	११८	९·९०	९·८०
उत्तर बिहार	६८	१२४	१०·०९	१०·०४
दक्षिण बिहार	४०	९८	९·७५	९·८७

केन्द्रीय ट्रैक्टर संघटन

५०८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आजकल केन्द्रीय ट्रैक्टर संघटन में कितने विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): संघटन में इस समय एक विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहा है ।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों से इमारती लकड़ी

५०९. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों से प्रतिवर्ष कितनी इमारती लकड़ी भारत के विभिन्न भागों को भेजी जाती है? और

(ख) टिकाऊ होने की दृष्टि से यह कैसी होती है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): पिछले तीन वर्षों में मुख्य भूमि (भारत) के विभिन्न स्थानों को निर्यात इमारती लकड़ी की मात्रा नीचे दी जाती है:—

	१९५१-५२ टनों में	१९५२-५३ टनों में	१९५३-५४ टनों में
कलकत्ता	२४,६१२	१९,९४५	१५,१४७
मद्रास	७,९७९	५,१६०	४,७२४
बम्बई	५०१	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(ख) पक जाने के बाद अण्डमान की सख्त लकड़ी बड़ी टिकाऊ होती है। नरम लकड़ी प्रायः दियासलाई तथा पैकिंग के डिब्बे बनाने में काम आती है जहां टिकाऊपन का कोई महत्व नहीं है।

डी० टी० एस० कर्मचारियों को चिकित्सा की सुविधाएं

५१०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **परिवहन** मंत्री डी० टी० एस० की १९५३ की रिपोर्ट के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बंधी क्या सुविधाएं दी जाती हैं ;

(ख) इस काम के लिये कितने डाक्टर तथा अन्य कर्मचारी रखे गये हैं ; और

(ग) "चिकित्सा सम्बंधी सुविधाएं" इस शीर्ष के अधीन कर्मचारियों पर कितना खर्च किया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार (दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट अथारिटी) द्वारा कर्मचारियों को निम्न चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं :—

(१) कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बंधी परामर्श देने के लिये चिकित्सा पदाधिकारी प्रतिदिन डिपो और केन्द्रीय वर्कशाप में जाता है । आकास्मिक दशाओं में वह कर्मचारियों को देखने उनके घरों पर जाता है ;

(२) चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित साधारण दवाइयां जो प्रायः सरकारी अथवा म्युनिसिपल औषधालयों में उपलब्ध हैं परिवहन प्राधिकार द्वारा स्थापित औषधालय की ओर से उन्हें मुफ्त दी जाती हैं ;

(३) दिल्ली सड़क परिवहन-प्राधिकार कर्मचारी राज्य बीमा परियोज़ना में सम्मिलित हैं और इसके जो कर्मचारी परियोजना के अधीन सुविधाएं प्राप्त करने के अधिकरी हैं, परियोजना के अन्तर्गत स्थापित अस्पतालों और औषधालयों में उनकी मुफ्त चिकित्सा की जाती है।

(ख) एक डाक्टर और एक कम्पाउण्डर।

(ग) १९५३-५४ में लगभग ४८४० रुपये।

सोमवार,
१० मई, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

(अंक ५--५ मई से २१ मई, १९५४)

बुधवार, ५ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
आय नियम, १९५४	४६४९
विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाला विवरण	४६४९—४६५२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--- आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन	४६५२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना---चनपतिया तथा बेतिया के बीच रेल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	४६५२—४६५५
सदस्य की दोष सिद्धि	४६५५—४६५६
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव---असमाप्त	४६५६—४७१०

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
वित्त विधेयक पर हुये विवाद के दौरान में सदस्यों द्वारा पूछे गये कई प्रश्नों के सम्बन्ध में टिप्पणियां	४७११—४७१६
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	४७१६—४७१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना--- कोलम्बो में हुए एशियाई प्रधान मंत्री सम्मेलन में मोरक्को, ट्यूनीशिया, फिलिस्तीन और इसराईल के सम्बन्ध में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के विषय में समाचार पत्रों की रिपोर्ट	४७१७—४७१९
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने तथा जनमत के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता को संशोधित करने वाला श्री एस० वी० रामस्वामी द्वारा प्रस्तुत विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव--- असमाप्त	४७१९—४७७६

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

संसद सदस्य श्री बी० एल० तुडू का देहावसान	

राज्य परिषद् से सन्देश ४७७७

बाल विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ४७७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना--इस्पात के नये कारखाने की स्थापना का स्थान ४७७८--४७८०

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न पर पाकिस्तान से हुई बातचीत के सम्बन्ध में विवरण ४७८०--४७८१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करने का प्रस्ताव--असमाप्त ४७८१--४८१०

शनिवार, ८ मई, १९५४

आश्वासन समिति--

प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन ४८११

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--याचनाओं का उपस्थापन ४८११--४८१२

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

चन्द्रनगर जांच आयोग की सिफारिशों के बारे में भारत सरकार के निर्णय ४८१२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक--पुरःस्थापित ४८१२--४८१३

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपा गया ४८१३--४८४४

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८४४--४८७५

शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसातकरण विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८७५--४८७७

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपने और परिचालित करने के प्रस्ताव--असमाप्त ४८७७--४९०६

सोमवार, १० मई, १९५४

लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--सिंगरैनी कोयला खान, कोथागुडियम, हैदराबाद में दुर्घटना ४९०७--४९१०

समितियों के लिये चुनाव--

प्राक्कलन समिति ४९१०

लोक लेखा समिति ४९१०--४९११

लोक लेखा समिति में राज्यपरिषद् के सदस्यों का रखा जाना ४९११--४९१२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ४९१२

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४९१२—४९२५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राजयपरिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये के प्रस्ताव—असमाप्त ४९२५—४९४८

शान्ति के कामों के लिये अणुशक्ति का प्रयोग ४९४८—४९८२

मंगलवार, ११ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड का १९५३-५४ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५४-५५ का आय व्ययक प्राक्कलन, और १९५४—५५ के आय व्ययक प्राक्कलनों के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी ४९८३

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४९८३—४९८४

सदन का कार्य—

भाषणों के लिये समय सीमा ४९८४—४९८५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ४९८५—५०४४

बुधवार, १२ मई, १९५४

विशेषाधिकार प्रश्न ५०४५—५०५०

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

प्रशिक्षण तथा नियोजन सेवा संगठन समिति की रिपोर्ट ५०५०

राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणन जांच समिति की रिपोर्ट ५०५०

अनुदान की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में विवरण ५०५०—५०५१

प्राक्कलन समिति—सातवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—नवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—याचिकायें प्राप्त ५०५१—५०५२

रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर पर पुनर्विलोकन करने के लिये संसदीय समिति की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत ५०५२—५०५३

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ५०५३—५१०८

राज्य परिषद से सन्देश ५१०८

विशेष विवाह विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५११८

बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ५११९—५१११

न्यनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

पुस्तक प्रदाम (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

सुदूर पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में भारत सरकार द्वारा अपने अधिकारों तथा न्याय क्षेत्र के बारे में प्रेस विज्ञप्ति ५१११—५११२

अचल सम्पति अधिग्रह तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत अधिसूचना ५११७

भाग 'ग' राज्यों की सरकारें (संशोधन) विधेयक--याचिकायें उपस्थापित ५११७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--जापानी युद्ध अपराधियों के विषय में क्षमा-दान प्रबन्ध में पाकिस्तान का अविश्राम भारत के वैध उत्तराधिकारी के रूप में सम्मिलित किया जाना ५११२--५११७

विशेषाधिकार का प्रश्न ५११७—५१२३

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन—चर्चा असमाप्त ५१२३—५१७६

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--वापस लिया गया ५१७६—५१७७

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ५१७७

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक--

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव--स्वीकृत ५१७७--५१९५

शुक्रवार, १४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

१९५४-५५ के लिए अनुदानों की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त हुये कुछ ज्ञापनों के उत्तर देने वाले विवरण ५१९९

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका उपस्थापित ५१९९—५२००

४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ५२००

हाउस आफ पीपुल और पार्लियामेंट सेक्रेटेरियट का हिन्दी और अंग्रेजी में नामकरण ५२०१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक--पुरःस्थापित ५२०१—५२०२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक—संशोधित रूप में पारित ५२०२--५२५३

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में चर्चा ५२५३—५२६८

शनिवार, १५ मई, १९५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में संकल्प—चर्चा असमाप्त ५२६९--५३५४

मंगलवार, १८ मई, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५३५५

राज्य परिषद् से संदेश ५३५५—५३५७

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५३५७—५३५८

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन ५३५८

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५८—५३५९

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५९

सहायक प्रादेशिक सेना विधेयक—पुरःस्थापित ५३५९—५३६०

अन्तर्राष्ट्रीय-स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत ५३६०—५४०९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४०९—५४१०

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४१०

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४११—५४१३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत ५४१३—५४५१

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५४५२—५४५४

बुधवार, १९ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५२—भाग १ ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग २—विस्तृत विनियोग लेखे ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के अवरुद्ध लेखे (जिसमें वे पूंजी-विवरण भी सम्मिलित है, जिनमें ऋण लेखे भी दिये हुये हैं), आयव्यय विवरण पत्र तथा हानि लाभ लेखे ५४५६

१९५१–५२ के रेलवे की कोयला खदानों के आयव्ययक विवरण पत्र तथा कोयले आदि की कुल लागत के विवरण ५४५६
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवेज़, १९५३ ५४५६
सामदायिक परियोजनाओं सम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन ५४५७
चलचित्र जांच समिति की सिपारिशें ५४५७
अनुदानों की मांगों (रेलवे) सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर ५४५७
विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों सम्बन्धी याचिकाएं ५४५७—५४५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना—उड़ीसा में चावल का अतिरिक्त स्टाक ५४५८—५४६०
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ५४६०—५५०१
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त ५५०१—५५४६

बृहस्पतिवार, २० मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
तारांकित प्रश्न संख्या ९३२ के एक अनुपूरक प्रश्न के दिये गये उत्तर को ठीक करने वाला वक्तव्य ५५४७—५५४८
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित ५५४८
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—परिषद् द्वारा पारित रूप में—असमाप्त ५५४८—५६१९
राज्य परिषद् से सन्देश ५६१९—५६२०

शुक्रवार, २१ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण ५६२१—५६२२
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत अधिसूचनायें ५६२३
दामोदर घाटी निगम के विषय में राव समिति का प्रतिवेदन ५७१३
राव समिति के प्रतिवेदन पर सरकार के विनिश्चय ५७१४
प्राक्कलन समिति के पंचम प्रतिवेदन की सिपारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण ५७१४

प्राक्कलन समिति—आठवें तथा नवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन ५६२३
याचिका समिति—तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन ५६२३
अनुपस्थिति की अनुमति ५६२४
केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के लिये ट्रेक्टर खरीदने सम्बन्धी वक्तव्य ५६२४—५६३३
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ५६३३—५६४५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४५—५६४६
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४६
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ—असमाप्त ५६४७—५७१२
राज्य परिषद् से सन्देश ५७१२

GIPD—HSD—918 LS—10-12-54—285

संसदीय वाद विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शास्कीय वृतान्त

लोक सभा

सोमवार, १० मई, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९-०७ म० पू०

लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

सिंगरैनी कोयला खान में दुर्घटना

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : नियम २१५ के अन्तर्गत में श्रम मंत्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर आर्कषित करना चाहता हूं तथा मैं चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य भी दें :

२ अप्रैल, १९५४ को सिंगरैनी कोयला-खान, कोथागुडियम, हैदराबाद, में कोयला-खान की छत के एक भाग के गिर जाने से पांच खनिकों की मृत्यु हो गई थी । इस प्रकार की दुर्घटनाएं इन खानों में बार बार होने लगी हैं जिन से खनिकों में काफी भय और असन्तोष फैल गया है ।

इसलिये, सरकार को चाहिये कि वह तुरन्त ही तथा प्रभावी रूप से कार्मिक संघ के प्रतिनिधियों के साथ इस दुर्घटना की उचित जांच करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करे तथा ऐसे उपाय करे जिस से इन कोयला खानों में फिर ऐसी दुर्घटनाएं न हों ।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : २ अप्रैल, १९५४ को कोथागुडियम कोयला-खान में अचानक छत में लगे भारी पत्थर के गिर जाने से पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी ।

फरवरी, १९५४ में इस खान में काम करने वाले खनिकों की औसतन संख्या प्रति दिन १०,८६८ थी ।

जिस स्थान पर दुर्घटना हुई थी उस का विकास १९४५ और १९४७ के बीच हुआ था जबकि केन्द्रीय खान अधिनियम हैदराबाद पर लागू नहीं हुआ था । इस क्षेत्र में जिस खड़ी तह पर काम हो रहा है उस में छत से लगभग ८ फुट की दूरी पर एक पत्थर का बन्द भी है । छत भारी पत्थरों की है तथा गलियारों को तह के ऊपर बनाया गया है जिस से छत खुल गई है ।

२ अप्रैल, १९५४ को, जब तीन मजदूर इस पत्थर के बन्द को काटने में लगे हुए थे तथा अन्य नौ मजदूर कोयला लादने में लगे हुए थे तो ४०/३० फीट का छत का एक पत्थर जिस की अधिकतम मोटाई १० फुट होगी, अचानक धसक गया जिस के कारण चार खनिकों की मृत्यु हो गई । दुर्घटना के होते ही सहायता कार्य आरम्भ कर दिया गया था लेकिन ऊपर लाते लाते ही और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई ।

गिरे हुए पत्थर के टुकड़े बहुत ही खुरदरे थे । छत में उन स्थानों पर बहुत से बड़े काले छेद हो गये थे जहां पर छत कम-

[श्री आबिद अली]

ज़ोर हो चुकी थी लेकिन जब छत बनी हुई थी तो इस खराबी का पता नहीं चल सकता था क्योंकि छत से गिरने वाला पत्थर १० फुट मोटा था । अतः पत्थर जो गिरा वह छत में छिपी हुई कमज़ोरी तथा साथ ही पत्थर के टुकड़ों में खराबी के कारण गिरा ।

इस खान में इस तरह की छत की हालत पहले कभी नहीं देखी गई । ऐसा कई बार हुआ है जब ४०० फुट चौड़े और ४०० फुट लम्बे क्षेत्र में खुदाई की गई है और बल्लियों के हटा लेने पर भी छत नीचे नहीं गिरी थी । वर्तमान दुर्घटना के बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि पत्थर का गिरना भूतत्वीय हलचल के कारण हुआ जिस की वजह से छत की तह का सटाव कमज़ोर पड़ गया और, इसीलिये, यह बहुत ही अप्रत्याशित बात थी । नियमों के अनुसार उस स्थान पर सहारे के लिये काफी बल्लियां लगा दी गई थीं । खान में प्रबन्ध करने वालों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की कमी नहीं है तथा उन के पास अपेक्षित टेकनिकल अर्हताएं भी हैं । दुर्घटना से लगभग दो घंटे पहले उप-प्रबन्धक ने अपने सहायक के साथ उस स्थान का निरीक्षण किया था तथा उसे ठीक पाया था । खानों के निरीक्षक द्वारा सविस्तार की गई जांच से पता लगा है कि दुर्घटना के लिये कोई भी जिम्मेदार नहीं था तथा यह दुर्भाग्य से ही हुई थी ।

सिंगरैनी कोयलाखानों में हुई घातक दुर्घटनाओं के आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि १९५३ में काम करने वाले प्रति १००० व्यक्तियों के पीछे जितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई उन की संख्या १९५२ के मुकाबले आधी थी और १९५१ के मुकाबले केवल लगभग ४२ प्रतिशत थी ।

भारतीय कोयला खानों में दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु दर धीरे धीरे घटती जा रही है, १९५० में काम पर लगे हुए प्रति १००० व्यक्तियों के पीछे ७२ व्यक्तियों की मृत्यु रेकार्ड पर सब से कम है । यह वह वर्ष है जिस के ठीक बाद केन्द्रीय खान अधिनियम भाग 'ख' राज्यों पर लागू कर दिया गया था । १९४९ के लिये यह दर ७५ थी कनाडा की २·५९, संयुक्त राष्ट्र अमरीका की २·१९, जापान की १·६५, दक्षिण अफ्रीका की १·६४, आस्ट्रेलिया की .९९, फ्रांस की .८३ और इंग्लैण्ड की .७५ दरों के मुकाबले यह ठीक ही बैठती है ।

खान विभाग के कर्मचारियों में वृद्धि की जा रही है जिस से निरीक्षण विभाग के कर्मचारी अधिक से अधिक बार निरीक्षण कर सकें और खानों में और सुरक्षा सम्बन्धी सुधार किया जा सके ।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत मृत व्यक्तियों के आश्रितों को प्रतिकर दिया जायेगा ।

समितियों के लिये चुनाव

प्राक्कलन समिति

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि इस सदन के सदस्य, लोक-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २३९ के उपनियम (२) द्वारा अपेक्षित ढंग से, वर्ष १९५४-५५ में प्राक्कलन समिति की सदस्यता के लिये अपने में से पच्चीस सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

लोक लेखा समिति

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि इस सदन के सदस्य, लोक-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन

नियमावली के नियम २३८ के उपनियम (१) द्वारा अपेक्षित ढंग से, वर्ष १९५४-५५ में लोक लेखा समिति की सदस्यता के लिये, अपने में से पन्द्रह सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

लोक लेखा समिति में राज्य-परिषद के सदस्यों का रखा जाना

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सदन राज्य परिषद् से सिफारिश करता है कि वह वर्ष १९५४-५५ में इस सदन की लोक लेखा समिति में कार्य करने के लिये परिषद् से सात सदस्य नामनिर्देशित करना तथा परिषद् द्वारा इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्यों के नाम इस सदन को भेजना स्वीकार करे ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के चुनाव के सम्बन्ध में मुझे सदन को निम्नलिखित सूचना देनी है :

(१) शुक्रवार, १४ मई, १९५४ के १२ बजे तक संसद् सूचनालय में नामनिर्देशन पहुंच जाने चाहियें ।

(२) शनिवार, १५ मई, १९५४ के १२ बजे तक संसद् सूचनालय में नामनिर्देशन वापस लेने की सूचना पहुंच जानी चाहिये ।

(३) यदि आवश्यक हुआ तो चुनाव बुधवार, १९ मई, १९५४ को संसद् भवन, पहली मंजिल, कमरा नम्बर ६२ में, ८-३० म० पू० से ११ म० पू० के बीच होगा ।

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को *पुरःस्थापित करता हूं ।

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक--(समाप्त)

अध्यक्ष महोदय : अब सदन श्री टी० टी० कृष्णमाचारी द्वारा ८ मई, १९५४ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा :

"कि रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने के विधेयक को श्री ए० एम० टामस, श्री अमरनाथ विद्यालंकार, श्री रामानन्द दास, श्री ललित नारायण मिश्र, श्री ए० इब्राहीम, श्री रामधनी दास, श्री एम० के० शिवनंजप्पा, श्री सी० आर० इय्युनी, श्री भीखाभाई, श्री प्यारे लाल कुरील तालिब, चौधरी रघुबीर सिंह, श्री बुलाकी राम वर्मा, डा० एम० बी० गंगाधर शिव, श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी, श्री यू० आर० बोगावत, श्री गुलाब

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया ।

[अध्यक्ष महोदय]

शंकर अमृतलाल धोलकिया, श्री एस० सी० देव, श्री एम० मुत्तुकृष्णन, श्री बलवन्त सिंह महता, श्री आई० ईयाचरण, श्री सोहन लाल धूसिया, श्री एन० सी० गोविन्द स्वामी काचि-रोयर, डा० नटवर पाण्डे, श्री आर० वेला-युधन, श्री वाई० गाडिलिंगन गौड़, श्री नेटूर पी० दामोदरन, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री मंगलगिरि नानादास, श्री शिवमूर्त्ति स्वामी, श्री एम० आर० कृष्ण, श्री डी० पी० कर-मरकर तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और इसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय।"

इस सम्बन्ध में एक संशोधन भी है कि इस विधेयक को राय जानने के लिये परि-चालित किया जाये तथा यह कार्य ३० अप्रैल, १९५५ तक समाप्त हो जाये।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सब से पहले मैं मान-नीय सदस्य श्री श्रीकान्तन नायर के उस प्रस्ताव को लेता हूं जिस में उन्हों ने विधेयक को परिचालित करने के लिये कहा है। प्रस्ताव का उद्देश्य विलम्ब करना तथा नकारात्मक प्रभाव डालना है--वास्तव में सदन के समक्ष प्रस्ताव को अस्वीकृत कराना है। माननीय सदस्य ने, जिन्हों ने संशोधन प्रस्तुत किया है, किसी भी प्रकार से अपनी इच्छा छिपाई नहीं है। वास्तव में, मैं ने यह अनुमान लगा लिया था कि इस विधेयक पर इस समय चर्चा नहीं, इस के लिये दलील दी जायेगी। और वह दलील यह होगी कि क्योंकि बगान उद्योगों से सम्बन्ध रखने वाले समस्त मामलों के बारे में एक कमेटी नियुक्त कर दी गई है इसलिये इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पहले ही बतला चका हूं--मैं अपन आप को जहां तक स्पष्ट कर सकूं--कि रबड़ उद्योग की आवश्यकताएं, जिन्हें निकट भविष्य में ही पूरा किया जाना चाहिये या जिन्हें साथ साथ पूरा किया जाना चाहिये था, कमेटी के कार्यक्षेत्र में पूरी तरह से नहीं आतीं। हो सकता है वे अतिछादी हो जायें।

माननीय सदस्य यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि यह विधेयक १९५२ में लाया गया था। एक साल और छः महीने के पश्चात् तो हम ने इस पर विचार किया। मेरे विचार में कोई भी सदस्य यह नहीं कहेगा कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के पास कोई काम नहीं है और काम निकालने के लिये ही उस ने इस प्रकार का विधेयक बना कर सदन के समक्ष रख दिया है। निस्सन्देह, यह सच नहीं है। वास्तव में, इसका उद्देश्य उद्योग की प्रगति को बढ़ाना है। यह पाया गया कि इस उद्योग के कार्य के सम्बन्ध में जो संगठन व्यवस्था की गई है, उस में बहुत सी कमियां हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिये। संगठन के सवाल पर विचार किया गया। प्रजातंत्र की भावना वहां ले आई गई और यह सुझाव दिया गया : सभापति निर्वाचित व्यक्ति क्यों नहीं होना चाहिये? जहां तक मैं कह सकता था मैं ने कहा कि बोर्ड की कार्यपालिका प्रभावशाली नहीं है। इस समय कार्यपालिका में एक रबड़ उत्पादन आयुक्त है जो कि एक टेकनिकल व्यक्ति है। व्याव-हारिक अनुभव से हम ने यह पता लगाया है कि इस बोर्ड का कार्य चलाने के लिये एक पूर्ण-कालिक सभापति की आवश्यकता है यह भी सुझाव रखा गया था कि उप-सभापति भी निर्वाचित व्यक्ति क्यों नहीं होना चाहिये? वास्तव में, मैं ने इस बात को चाय बोर्ड अधिनियम में स्वीकार कर लिया है। चाय बोर्ड उप-सभापति का निर्वाचन करता है। यहां तक कि रबड़ उद्योग के प्रतिनिधियों में भी, जो पूरी तरह से विधेयक से सहमत नहीं

थे, इस बात के सम्बन्ध में मतभेद था कि पूर्ण-कालिक सभापति होना चाहिये या नहीं। एक ऐसे बोर्ड का कार्यपालिका कार्य करने के लिये पूर्ण-कालिक सभापति रखना, जिस का मुख्य ध्येय किसी उद्योग का विकास करना हो, मेरे विचार में अप्रजातंत्रात्मक नहीं है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस के अलावा, मैं सदन के सामने कुछ और बातें रखना चाहता हूं। प्रशुल्क बोर्ड ने १९५१ की अपनी रिपोर्ट में रबड़ उद्योग के विकास के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं; १९५१ की रिपोर्ट की कण्डिका १६ में कहा गया है कि :

(१) यदि भारतीय रबड़ बगान उद्योग सुरक्षित रहना चाहता है और खुले विश्व बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो यह आवश्यक है कि देश में रबड़ जितनी भी कम लागत पर उगाया जा सके, उगाया जाये और यह तब ही हो सकता है जब हम अधिक पैदावार वाली कलमों को अपने यहां लगाना शुरू कर दें।

(२) हम समझते हैं कि योजना के अन्तर्गत जो प्रस्ताव रखे गये हैं, वे उचित हैं। परन्तु हमारा यह विचार है कि योजना की विस्तृत बातों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिये। हमारी यह सिफ़ारिश है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् से इस योजना की जांच करने और सरकार को यह रिपोर्ट देने के लिये प्रार्थना की जाये कि योजना में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं।

(३) विकास योजना की जांच करते समय भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् एक अलग विकास निधि स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार करे। जब तक भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् इस विषय पर विचार करे और सरकार परिषद् की सिफ़ारिशों की जांच करे तब तक रबड़ उगाने वालों को पुनर्संस्थापन के लिये जो ६.८२ रुपये प्रति १०० पौंड रखने दिये जाते हैं उन्हें रखने दिया जाये और उन्हें अपने बगानों में पुनर्संस्थापन कार्य आरम्भ करने का अवसर दिया जाये।

(४) यदि वर्ष के अन्त में यह पता लगे कि रबड़ उगाने वाले इस राशि का पुनर्संस्थापन के लिये प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो सरकार को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये कि रबड़ उगाने वालों को दिये जाने वाले उचित विक्रय मूल्य में से विकास निधि का वह अंश क्यों न कम कर दिया जाये जिस की हम उचित विक्रय मूल्य का अनुमान लगाने में व्यवस्था करते हैं।

प्रशुल्क बोर्ड ने १९५१ में यही कहा था। वास्तव में १९५२ में एक अधिकारी ने, जिस ने उचित मूल्यों के प्रश्न पर विचार किया था, फिर इन बातों पर ज़ोर दिया था।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम्) : क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं अभी आप को बताता हूं।

तो अभी तक इस विषय में कुछ नहीं किया गया है। मैं इस के लिये किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता। परन्तु 'रबर इन्डिया' नामक एक पत्रिका ने, जो रबड़ उद्योग का प्रतिनिधित्व करती बतलाई जाती है, एक बगान समिति की नियुक्ति पर टीका करते हुए यह कहा है कि चूंकि विकास-कार्य के लिये मूल्य में ६.८२ रुपये की जो व्यवस्था की गई है उस का प्रयोग नहीं किया गया है इसलिये सरकार को उस हद तक मूल्य में कमी कर देनी चाहिये। रबड़

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

उगाने वालों को जो मूल्य मिलता है उस में हस्तक्षेप करने का मैं इरादा नहीं रखता। मैं उन में से नहीं हूं जो यह समझते हैं कि उन्हें अनुचित मूल्य मिल रहा है। इस के विपरीत, मेरा तो यह विचार है कि जहां तक छोटे छोटे बगानों का सम्बन्ध है, मूल्य कोई अधिक आकर्षक नहीं है। । मेरे कहने का मतलब तो यह है कि इस में समायोजन एवं सामंजस्य का अभाव है। यदि आज इस विधेयक में मैं सरकार को विकास-कार्य आरम्भ करने के लिये उपकर वसूल करने के अधिकार देने की मांग कर रहा हूं तो ऐसा इसलिये कर रहा हूं क्योंकि प्रशुल्क बोर्ड की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कोई संगठन स्थापित नहीं है और यदि जिन परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है, उन्हें नहीं किया जाता तो फिर जो उपकर वसूल किया जायेगा उस का प्रयोग करने के लिये कोई संगठन नहीं होगा; और अन्त में यह हो सकता है कि जब नया बोर्ड बने, बशर्ते कि सदन और प्रवर समिति इस योजना और बढ़े हुए उपकर का अनुमोदन कर दें, तो उपकर में से भुगतान इस शर्त पर किया जाये कि रबड़ उगाने वाले भी विकास के लिये उतनी ही राशि दें। हम प्रशुल्क बोर्ड के सुझाव का विकास-कार्य आरम्भ करने के लिये फिर से अनुकूलीकरण कर सकते हैं। ये मामले ज्यादा देर पड़े नहीं रह सकते और हम समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। रिपोर्ट के आने पर और बहुत सी बातों पर विचार करना होगा और इस में काफ़ी समय लगेगा। सरकार का एक मंत्री होने की हैसियत से मैं यह कह कर चुप नहीं बैठ सकता कि मैं ने एक समिति नियुक्त कर दी है और इसलिये मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है। इसलिये इस विधेयक को पड़े रहने देना ग़लत है और जो भी व्यक्ति ऐसा चाहेगा, वह रबड़ उद्योग के विकास में बाधा डालेगा और उस को नुकसान पहुंचायेगा।

अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि जो बोर्ड बनाया जा रहा है वह अप्रजातंत्रात्मक होगा। इस सम्बन्ध में हम ने प्रजातंत्र के सिद्धान्तों पर बहुत से भाषण सुने कि प्रजातंत्र ऊपर के स्तर से शुरू होना चाहिये और नीचे तक होना चाहिये आदि, आदि। प्रजातंत्र पर अपने विचार प्रगट करने वाले किसी व्यक्ति से मेरा कोई झगड़ा नहीं। इस विषय पर लोगों में बहुत कुछ मतभेद हो सकता है। सौभाग्य से मैं ने संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हुए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था और मैं ने वहां दोनों गुटों के सदस्यों के प्रजातंत्र के सम्बन्ध में विचार सुने ; दोनों में से हरेक गुट का यह कहना था कि वह प्रजातंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा नहीं। ख़ैर, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। कुछ सदस्यों ने उदाहरण के रूप में यह कहा कि चाय बोर्ड में जिस प्रकार हम ने सदस्यों को नाम-निर्देशित किया वह ग़लत तरीक़ा था। जब चाय बोर्ड विधेयक पर बहस हो रही थी, तब मैं ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार अपने आप नाम-निर्देशन नहीं करेगी बल्कि विभिन्न संस्थाओं की, जिन का उद्योग से वास्तव में सम्बन्ध है, सिफ़ारिशों पर ध्यान देगी। मैं इस बात को कह सकता हूं कि मैं ने अपने आश्वासन को पूरी तरह से निभाया है। विभिन्न संस्थाओं से नाम भेजने के लिय कहा गया था। कुछ सदस्यों ने त्रावणकोर-कोचीन का ज़िक्र किया। त्रावणकोर-कोचीन और शेष दक्षिण भारत में बगान-मालिकों के दो संघ हैं, यू० पी० ए० एस० आई० और एसोसियटेड प्लान्टर्स आफ़ ट्रावनकोर। मुझे यह नहीं पता कि इन दोनों संगठनों की वास्तविक रचना क्या है, परन्तु मुझे

विश्वस्त रूप से यह बताया गया है कि दोनों में सदस्य काफ़ी संख्या में एक से ही हैं। वास्तव में जो सिफ़ारिशें की गई हैं उन में भी कुछ नाम एक से ही थे। त्रावणकोर एसोसियेशन ने तीन नाम भेजे थे, दो यूरोपियनों के और एक भारतीय का। हम भारतीय को नहीं ले सकते थे क्योंकि यू० पी० ए० एस० अई० ने एक और नाम का सुझाव दिया था जिसे हम ने मान लिया था और इन दोनों में कुछ रिश्ता है चूंकि दोनों का एक ही फर्म से सम्बन्ध है। जिन दो यूरोपियनों के नाम का सुझाव दिया गया था उन दोनों ने मना कर दिया। फिर हम ने और नाम मांगे और जिस व्यक्ति का नाम हमें दिया गया वह वास्तव में दोनों संगठनों का सदस्य था। यू० पी० ए० एस० आई० ने श्री अनन्त शिवन् नाम के एक बगान-मालिक का नाम दिया है जो यू० पी० ए० एस० आई० और एसोसियेटेड प्लान्टर्स आफ़ ट्रावनकोर दोनों का सदस्य है। मैं इन्हें नहीं जानता .....

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : क्या यह सच नहीं है कि वह सज्जन कोयम्बाटूर में हैं और त्रावणकोर-कोचीन से उन का कोई सम्बन्ध नहीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय मित्र एक मिनट और प्रतीक्षा करते तो उन्हें यह सूचना मिल जाती। मैं ने कोट्टायम स्थित संवाददाता को एक तार भेजा। उस ने कहा कि वह व्यक्ति त्रावणकोरी है और कोट्टायम का रहने वाला है और एक फ़र्म का संचालक है जिस का रजिस्टर्ड कार्यालय कोट्टायम में है और जो त्रावणकोर-कोचीन में तीन हज़ार एकड़ चाय बगानों की प्रबंधक अभिकर्ता है। इस के अलावा मलाबार और कुर्ग में भी उस के बगान हैं। या तो इस तार की सारी बातें ग़लत हैं या फिर माननीय मित्र की जानकारी में कमी है।

माननीय मित्र श्री त्रिपाठी ने यह प्रश्न उठाया कि आसाम से उन के संगठन का कोई मज़दूर सदस्य नहीं लिया गया है। मैं समझता हूं कि सामने बैठे माननीय सदस्य कम से कम इस विषय में तो मेरे साथ न्याय करेंगे। मैं ने संगठनों के अनुसार मज़दूरों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विचार नहीं किया है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि दक्षिण भारत के मज़दूरों का प्रतिनिधि एक विशेष संगठन का नहीं है। हमें तो इस में विभिन्न संगठनों की व्यवस्था करनी थी।

श्री पुन्नूस (अल्लेप्पी) : आप केवल इस अर्थ में निष्पक्ष हैं कि आप ने वास्तविक प्रतिनिधि को छोड़ दिया है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने किसी को नहीं छोड़ा है। मैंने विशेष संगठनों से नाम भेजने के लिये कहा था। वास्तव में हम ने प्रत्येक संगठन से प्रतिनिधियों का चुनाव किया था। आसाम का प्रतिनिधित्व करने वाले यह सदस्य हिन्द मज़दूर सभा के सदस्य हैं। मैं यह भी बता सकता हूं कि आसाम से मज़दूरों के दूसरे प्रतिनिधि को क्यों छोड़ दिया गया था। मेरे माननीय मित्र, श्री के० पी० त्रिपाठी का नाम इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिये सुझाया गया था। दुर्भाग्य से, संसद् की सदस्यता से अनर्ह हो जाने की संभावना से विधि-मंत्रालय ने कहा कि संसद्-सदस्य को केवल संसद् के प्रतिनिधि की हैसियत से ही आना चाहिये, अन्य प्रकार से नहीं। इसलिये हम ने श्री के० पी० त्रिपाठी को लिखा और उन से पूछा कि, क्या आम का संगठन किसी और व्यक्ति के नाम का सुझाव देता है। उन्हों ने एक व्यक्ति का नाम दिया भी, परन्तु वह आसाम का नहीं निकला। इस विषय में उन की ज़िम्मेदारी मुझ पर लादी जा रही है।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : हम ने कुछ नाम दिये थे परन्तु आप ने एच० एम० एस० के एक सदस्य को चुना जिस का आसाम में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है । मुझे यही आपत्ति है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह कह रहा हूं कि जब श्री के० पी० त्रिपाठी के नाम की जगह दूसरा नाम मांगा गया था तो उन्होंने एक ऐसे सज्जन का नाम दे दिया जो आसाम के नहीं थे । उन्हें आसाम के किसी व्यक्ति का नाम देना चाहिये था जो उन्हों ने नहीं दिया । शुरू की मूल बातों पर जाने का अब कोई लाभ नहीं । मैं तो यह पूछ रहा हूं कि जब अन्त में उन के नाम की जगह दूसरे का नाम मांगा गया था तो उन्हों ने आसाम के ही किसी अन्य प्रतिनिधि का नाम क्यों नहीं दिया ? मेरे मन में कोई बुरी भावना नहीं थी; मैं ने सदस्यों को जो आश्वासन दिये थे उन्हें मैं ने निभाया है । मैं ने कोई पक्षपात नहीं किया है । मैं तो किसी सदस्य को जानता तक नहीं हूं । यहां यह कहा गया कि एक सज्जन, जिन्हें अमरीका भेजा गया था, दूर के मेरे एक चचेरे भाई थे । यह ग़लत बात है । चाय बोर्ड ने उत्तर व दक्षिण भारत से दो नाम मांगे थे । संगठनों ने नाम दिये और बोर्ड ने उन्हें मंजर कर लिया । अन्त में मुझे यह सब बताया गया । ऐसा हो सकता है कि जब किसी बाहरी देश में किसी विषय का अध्ययन करवाने की ज़रूरत हो तो मैं एक योग्य व्यक्ति से जाने के लिये कह दूं । इस मामले में, मुझे ज़रा भी पता नहीं था कि ये व्यक्ति, जो चुने गये हैं, कौन हैं या कि वह व्यक्ति विशेष मेरा चचेरा भाई है या नहीं, वास्तव में वह गुजरात का रहने वाला है ।

मैं श्री के० पी० त्रिपाठी द्वारा कही गई कुछ बातों का और ज़िक्र करूंगा, जिन का इस विधेयक से विशेष सम्बन्ध नहीं है । श्री त्रिपाठी मेरे एक अच्छे मित्र हैं । उन्हें त्रिदलीय जांच ज्यादा पसन्द है; क्यों पसन्द है, यह मैं नहीं जानता । शायद इस की वजह यह हो कि दोनों के नाम में 'त्र' अक्षर आता है । कलकत्ते में चाय के बारे में जो त्रिदलीय जांच हुई थी, उस में मजदूरों और पूंजीपतियों ने यह फ़ैसला किया था कि सरकार को रुपया देना चाहिये । त्रिदलीय जांच उन मामलों के लिये अच्छी है जिन का सम्बन्ध केवल मज़दूरों और पूंजीपतियों से है । जब इन का सम्बन्ध देश के लोगों से होता है या अन्य किसी बड़े मामले से होता है, तो मेरे विचार में यह जांच अच्छी नहीं होती । तो यह अपने अपने मत का विषय है ।

श्री देवश्वर सर्मा (गोलाघाट-जोरहाट) : मैं माननीय मंत्री से एक बात जानना चाहता हूं । क्या माननीय मंत्री ने यह कहा है कि श्री के० पी० त्रिपाठी का नाम मंजूर नहीं किया जा सका और श्री के० पी० त्रिपाठी ने किसी आसामी के नाम का सुझाव नहीं दिया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्री के० पी० त्रिपाठी से पूछा गया था और उन्हों ने नामों का सुझाव भी दिया था ।

श्री देवेश्वर सर्मा : और उसे स्वीकार नहीं किया जा सका ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उसे स्वीकार किया गया था । वह आसामी नाम नहीं था । मैं श्री के० पी० त्रिपाठी और श्री देवेश्वर सर्मा के बीच झगड़ा नहीं करवाना चाहता । मेरा यह निवेदन है कि मैं ने श्री के० पी० त्रिपाठी से कहा था कि वे मेरे कार्यालय को फोन करें और जो नाम वे चाहते हैं बतायें । जिस संयुक्त सचिव ने श्री के० पी० त्रिपाठी का फोन सुना था मैं समझता हूं कि

जो कुछ मैं ने कहा है इस के वे साक्षी हैं। हम ने उन का सुझाव स्वीकार किया है। 'क' और 'ख' व्यक्तियों में से यदि 'क' बंगाल का है और 'ख' आसाम का तो यह कौन सी बात है। जहां तक व्यक्ति चुनने से मेरा सम्बन्ध है मैं ने संस्था के परामर्श को स्वीकार किया है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने यह कहा है कि उन्होंने दो नाम मांगे थे और मैं ने दो नामों का सुझाव दिया था, उन में से एक को स्वीकार किया गया और दूसरे को नहीं। मुझे विश्वास है कि मैं ने जो कुछ कहा था माननीय मंत्री के कथनानुसार उस का समर्थन होता है।

श्री देवेश्वर शर्मा : मैं ने सारी बात सुनी है। इस विधेयक में आसाम के हितों के प्रति अत्यधिक अन्याय हुआ है। मेरी इच्छा है कि यह बात अभिलिखित की जाये।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हो सकता है कि जब श्री के० पी० त्रिपाठी से उसी क्षण नामों के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये कहा गया तो उन्हों ने ऐसा नाम दिया जो उपयुक्त नहीं था। हम उन्हीं के सुझाव पर चले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अब इस का संशोधन नहीं हो सकता।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इसे बदला नहीं जा सकता। जब तक वह व्यक्ति त्याग-पत्र न दे मैं किसी को नियुक्त नहीं कर सकता। मैं इस सम्बन्ध में और अधिक नहीं कहना चाहता।

मेरे माननीय मित्र श्री के० पी० त्रिपाठी ने अपना वक्तव्य नाटकीय ढंग से समाप्त किया था। उन्हों ने कहा था कि उन की आवाज़ देश की आवाज़ है और यदि मैं ने उस आवाज़ की अवहेलना की तो मुझे खतरे का सामना करना होगा। मेरा विचार है कि मेरे माननीय मित्र का विचार यही प्रयोजन सिद्ध करने का था। स्वभावतः जब भारत की आवाज़ कुछ कहे तो हम सिवाय एक खतरा मोल लिये भारत की आवाज़ की अवहेलना नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर राय जानने के लिए इसे ३० अप्रैल, १९५५ तक परिचालित किया जाय।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) अधिनियम १९४७ के अग्रेतर संशोधित करने वाले विधेयक को श्री ए० एम० टामस, श्री अमरनाथ विद्यालंकार, श्री रामानन्द दास, श्री ललित नारायण मिश्र, श्री ए० इब्राहीम, श्री राम धनी दास, श्री एम० के० शिवनंजप्पा, श्री सी० आर० इय्युनी, श्री भीखा भाई, श्री प्यारे लाल कुरील तालिब, चौधरी रघुबीर सिंह, श्री बुलाकी राम वर्मा, श्री एम० वी० गंगाधर शिव, श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी, श्री यू० आर० बोगावत, श्री गुलाबशंकर अमृत लाल धोलकिया, श्री एस० सी० देव, श्री एम० मुनिकृष्णन, श्री बलवन्त सिन्हा महता, श्री आई० ईश्वरण, श्री सोहनलाल धूसिया, श्री एन० सी० गोविन्द स्वामी काचिरोयर, श्री नटवर पांडे, श्री आर० वेलायुधन, श्री वाई० गाडिलिंगन गौड़, श्री एन० पी० दामोदरन, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री मंगलगिरी नानादास, श्री शिव मूर्तिस्वामी, श्री एम० आर० कृष्ण, श्री डी० पी० करमरकर, और श्री टी० टी० कृष्णमाचारी की एक प्रवर समिति को

[उपाध्यक्ष महोदय]

सौंपा जाये और इसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सदन राज्य परिषद की इस सिफारिश से सहमत है कि सदन हिन्दुओं में विवाह से सम्बन्धित विधि को संशोधित तथा संहिताबद्ध करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करता है कि लोक सभा के निम्नलिखित सदस्य अर्थात्--श्री एन० केशवैयंगार, श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर, श्री रणबीर सिंह चौधरी, श्री एस० वी० रामस्वामी, श्री नरेन्द्र पी० नथवानी, श्री जयंतराव गणपत नटवाडकर, श्री फलसिंहजी, बी० दाभी, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, पंडित द्वारकानाथ तिवारी, श्रीमती अनुसूया बाई काले, श्री एच० सी० हेडा, सरदार अमर सिंह सहगल, श्री सूर्या प्रशाद, श्रीमती इलापाल चौधरी, श्री निवर्ण चन्द्र लाश्कर, श्री टी० संगण्णा, पंडित शिवनारायण फोतेदार, श्री पेडी लक्ष्मय्या, श्री राम सहाय तिवारी, श्री पन्ना लाल, श्रीमती उमा नेहरू, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री बी० सी० दास, श्री दुर्गाचरण बनर्जी, श्री वी० वीरस्वामी, हर हाईनेस राजमाता कमलेन्दु मूती शाह, श्री बी० एस० मूर्ति, श्री के० एस० राघवाचारी, श्री नन्द लाल शर्मा, और श्री दिग्विजय नारायण सिंह उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये नामनिर्देशित किये जायें ।"

प्रस्तावक का नामनिर्देशन दूसरे सदन ने किया है । यह साधारण प्रस्ताव है जिस में संयुक्त प्रवर समिति में सम्मिलित होने और समिति में काम करने के लिए सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए राज्य परिषद की सिफारिश की सहमति के लिये प्रार्थना की गई है ।

सदन भली भांति जानता है कि यह विधेयक उस व्यपगत हिन्दू संहिता विधेयक की प्रथम किश्त है जिस की ओर राष्ट्रपति ने १६ मई १९५२ को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अपने अभिभाषण में निर्देश किया था । सदन को उन विभिन्न अवस्थाओं का भी पता है जिन में से बिना किसी प्रत्यक्ष परिणाम के हिन्दू संहिता विधेयक गुज़रा है । विधान मंडल वर्ष १९३९ से सारी हिन्दू विधि अथवा हिन्दू विधि के कुछ भागों को संहिताबद्ध करने के कार्य को किसी न किसी रूप में करता रहा है । जैसा बताया गया है हिन्दू विधि बहुत विस्तृत है और इस में बहुत से सिद्धान्त हैं और राव समिति ने यह प्रयत्न किया था कि ऐसे सिद्धान्तों में से प्रत्येक के सर्वोत्तम अंशों को ले कर उन्हें एकत्र कर के एक ऐसी प्रणाली बनाई जाय जिस में हिन्दू विधि का विशेष रूप भी बना रहे और प्रगतिशील समाज की आवश्यकताएं भी पूरी हों । हिन्दू समाज की गति कभी अवरुद्ध नहीं रही है । प्राचीन काल में समय समय पर लोगों के लिये विधि को संहिताबद्ध करने का कार्य विधि-वेत्ता और व्याख्याता किया करते थे जो पुरानी पुस्तकों की व्याख्या कर के ध्यानपूर्वक उन में से कुछ अंश चुन कर विधि की रूप रेखा को समयानुसार बदलते थे जबकि प्रतीत ऐसा होता था कि उस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । प्रायः परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार समन्वय

किया जाता था क्योंकि हिन्दू विधि को समय की गति के अनुसार चलना होता था ।

अब प्राचीन व्याख्याता नहीं रहे, और हमारे पास उन के स्थान पर व्याख्याता और विधि न्यायालय हैं । निस्सन्देह विधि न्यायालय विधि की रूप रेखा बनाने का कार्य नहीं कर सकते अतएव यह कार्य केवल विधान मंडल का है कि वह समाज में हुए परिवर्तनों का अध्ययन कर के विधियों को तदनुसार संशोधित करे ।

माननीय सदस्यों को पता है कि हिन्दू विधि को संहिताबद्ध करने का कार्य १९३९ में किसी समय आरम्भ हुआ था और यह तब से चल रहा है । जब बहुत से लोगों ने संहिताबद्ध करने के कार्य का विरोध किया था और कहा था कि इस से हिन्दू समाज को बहुत खतरा है, तो बहुत से अन्य ऐसे लोग थे--जिन्हें आप चाहें तो सुधारक कह सकते हैं—जो समाज में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहते थे । उन के अनुसार देश का सर्वोत्तम हित विधि को संहिताबद्ध करने में था और वे निश्चित विधि बनाना चाहते थे और उस के साथ ही हिन्दू समाज में हुई प्रगति का सर्वेक्षण करना चाहते थे ।

माननीय सदस्यों को उन कठिनाइयों का पता है जिन में से राव समिति की संहिता को गुज़रना पड़ा है । उस विधेयक अथवा विधेयकों से ले कर जिन में १९३९ में स्त्रियों के लिये सम्पत्ति के अधिक अच्छे अधिकारों का प्रबन्ध किया गया था, हिन्दू विधि को संहिताबद्ध करने के प्रयास में भिन्न भिन्न स्थितियां आती रही हैं और हिन्दू संहिता का पूर्ण चित्र १९४७ में विधान-मंडल को प्रस्तुत किया गया है । १९४८ में प्रवर समिति ने इस विधेयक में अग्रेतर संशोधन किया और दीर्घ काल तक बहुत लम्बी चर्चा के पश्चात् भी इस विधेयक का केवल इतना किया जा सका कि जब अस्थायी संसद् समाप्त हुआ तो विधेयक के मूलभूत चार खण्ड पारित हुए थे । उस समय प्रत्येक पग पर संसद् में और संसद से बाहर भी संहिता का घोर विरोध किया गया और विरोध के आधार प्रायः काल्पनिक तथा हास्यास्पद थे । विरोध और विधेयक की प्रगति की धीमी चाल को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संहिता को भागों में बांटने का निश्चय किया ताकि उसे सुगमता से पारित करवाया जा सके ।

यह सब इतिहास साधारण ज्ञान की बात है, परन्तु मैं इन्हें उन कारणों वश दोहरा रहा हूं जो कुछ क्षण पश्चात् दृष्टिगत होंगे ।

जैसा मैं ने कहा हिन्दू विवाह और विवाह-विच्छेद विधेयक हिन्दू विधि की प्रथम कड़ी है और जैसा इस के नाम से अभिप्रेत है इस का सम्बन्ध विवाह तथा विवाह-विच्छेद से है । यह विधेयक राज्य परिषद में १९५२ में पुरः स्थापित किया गया था और अब यह इस प्रस्ताव के साथ इस सदन में आया है कि यह सदन भी उस संयुक्त समिति में सम्मिलित हो जो विधेयक और उस पर प्राप्त हुए मतों पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई है ।

बहुतों ने इस अत्यधिक देरी की आलोचना की है जो इन विधेयकों को पारित करने में हुई है और हो रही है और कुछ ने तो सरकार और इन विधेयकों के प्रस्तावकों के सद्भाव पर भी शक किया है । महिलाओं ने तो इस देरी की अत्यधिक शिकायत की है । जो लोग हिन्दू महिलाओं के सम्बन्ध में कुछ जानते हैं उन्हें पता है कि उन का जीवन सामान्यतः कर्तव्यों का एक चक्कर है यहां तक कि उन के लिये अपने अधिकारों के बारे में सोचने का कोई अवसर नहीं रह जाता । इसलिये जब महिलायें अधिक अच्छे अधिकारों की मांग करती हैं हर एक व्यक्ति

[श्री बिस्वास]

की यही इच्छा होती है कि उन की सहायता की जाये । परन्तु, जैसा कि वे भी अनुभव करती होंगी, परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि यह प्रश्न अतिशीघ्र हल नहीं हो सकता । जैसा मैं ने बताया केवल विधान बनाने से ही इस का हल हो सकता है और विधान को सफलता तभी मिल सकती है जब वह सामान्य जनता को ग्राह्य हो । जैसा राव समिति ने स्वयं कहा है उन्हों ने हिन्दू विधि की संहिता बनाने का कार्य इस उद्देश्य से किया था—मैं उन्हीं के शब्दों का उद्धरण दे रहा हूं—कि वह संहिता "सामान्य जनता को ग्राह्य हो ।" और आप जानते हैं कि उन्हों ने जनता के मत को जानने और इस सम्बन्ध में पूरा संतोष प्राप्त करने के लिये कितना कठिन कार्य किया था । इसलिए यदि विधान बनाया गया तो यह आवश्यक है कि जनता अथवा जनता का बड़ा भाग इस से सहमत हो । इसलिए एक अच्छी विधि बनाने के लिए जो लोगों का ग्राह्य हो, परिश्रम और समय लगाना उचित होगा । यह भी आवश्यक है कि यदि अच्छी विधि अधिनियमित करनी है तो सब प्रकार के विचारों को सुना जाये । इस कसौटी और उन अभिमतों के आधार पर जो विधेयक के बारे में एकत्र किये गये हैं मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि जो देरी हुई है यदि वह पूर्णतः उचित है । भारत के विभिन्न प्रदेशों से सचिवालय में आए तारों के पुलिंदों से जैसा प्रमाणित होता है, वर्ष १९४८ से १९५१ तक जनता ने घोर विरोध किया था, अब उस विरोध के स्थान पर या तो ऐसे संकल्प मिल रहे हैं जिन में विधेयक को शीघ्र अधिनियमित करने के लिये अनुरोध किया गया है और जो देरी हो गई है उस की सख्त शिकायत की गई है, या विधेयक को सुधारने के प्रयोजन से इस की सद्भावनापूर्ण आलोचना की गई है । लोगों की प्रवृत्ति में हुए इस परिवर्तन से क्या प्रदर्शित होता है ? मैं समझता हूं कि कतिपय वर्गों द्वारा हिन्दू संहिता का एक दूषित चित्र जनता के सम्मुख रख कर जो झूठा प्रचार किया जा रहा था वह प्रायः समाप्त हो गया है, क्योंकि भारत के सब भागों में विधेयक के वास्तविक लक्ष्य और उद्देश्यों का अब पर्याप्त प्रचार है, और लोग सामान्यतः इस विधान के प्रगतिशील रूप को समझ गये हैं । लोगों ने अब विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में ठीक दृष्टिकोण से विचार करना आरम्भ किया है, अतएव वे अपनी टिप्पणियों और आलोचनाओं की ओर ध्यान दिला कर, जिन्हें उन्हों ने सहायता की भावना से प्रस्तुत किया था, हमें आगे बढ़ने का अनुरोध करते हैं । इन के सम्बन्ध में मैं बाद में कहूंगा ।

आप देखेंगे कि विधान-मण्डल में भी धारणा काफी बदल गई है । अस्थायी संसद् के सामने जब हिन्दू कोड विधेयक रखा गया था उस समय जो भाषण दिये गये थे उन को सुन कर ऐसा प्रतीत होता था कि इस विधेयक का कोई भी भाग विधान-मंडल द्वारा स्वीकृत होना असम्भव है । परन्तु राज्य परिषद् में हाल ही में इस विधेयक का जिस तरह स्वागत किया गया और जिस तरह इस का सामान्य समर्थन किया गया उस से मुझे इतना प्रोत्साहन मिला है कि मैं समझता हूं कि सारी पुरानी कठिनाइयां दूर हो गई हैं और अब हिन्दू कोड के इस पहले भाग का सदन तथा जनसाधारण द्वारा उसी भावना से स्वागत किया जायेगा जिस भावना से इस को प्रस्तुत किया जा रहा है ।

वर्तमान विधेयक राव समिति के उस कोड का सरल रूप है जो विवाह तथा विवाह-विच्छेद के विषयों से सम्बन्ध रखता था । इस विधेयक का प्रारूप बनाने में मुझे बहुत सुविधा रही है क्योंकि मेरे सामने मूल प्रारूप तथा इस का प्रवर समिति द्वारा पुनरीक्षित

रूप, संसद में हुई तथा १९५० में उस समय के विधि मंत्री के अधीन हुए अनौपचारिक सम्मेलन में की गई चर्चा, त्रिवेन्द्रम में मरुमक्कट्टयम तथा अलियासन्तान कानूनों के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होने वाली विधियों के सम्बन्ध में की गई चर्चा तथा अस्थायी संसद् के सामने निलम्बित पड़े हुए सरकारी संशोधन थे । पहले वाले प्रारूप इस आधार को ले कर बनाये गये थे कि हिन्दुओं के विवाह तथा विवाह-विच्छेद सम्बन्धी सारे कानून एक ही अधिनियम में आने चाहियें। इस लिये इस में दोनों, धार्मिक तथा अदालती, विवाहों के बारे में उपबन्ध रखे गये थे । परन्तु मैं ने अनुभव किया कि अदालती विवाह के बारे में एक पृथक् कानून होना चाहिये, जो, जहां तक सम्भव हो, इस देश के सब निवासियों के लिये एक ही रूप में लागू हो । इसी उद्देश्य से मैं ने राज्य परिषद् में १९५२ में विशेष विवाह विधेयक प्रस्तुत किया और मैं फिर यह बताना चाहता हूं कि देश भर में सामान्यतः इस का स्वागत किया गया । दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति ने बहुत ही आलोचनात्मक दृष्टि से इस विधेयक की जांच की और एक मूल्यवान प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । राज्य परिषद् ने संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में इस विधेयक में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन तो किये, पर यह गत शनिवार को पारित किया गया । यह सब इस सदन के समक्ष आयेगा और निस्सन्देह ही सदन इस महत्वपूर्ण विषय पर पूर्ण रूप से यथोचित विचार करेगा । माननीय सदस्य इस बात को अब समझ लेंगे कि हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक में से अदालती विवाहों सम्बन्धी सारे उपबन्ध क्यों हटा दिये गये हैं।

१० म० पू०

मैं ने राज्य परिषद् में पहले ही यह बताया है कि पहले के विधेयकों की तुलना में इस विधेयक में क्या क्या और परिवर्तन किये गये हैं और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इस सदन में भी इन परिवर्तनों का संक्षिप्त वर्णन करूं । यह विधेयक अब सारे हिन्दुओं के लिये होगा चाहे वे भारत में हों या भारत से बाहर । विधेयक विभिन्न स्थानों की उन रूढ़ियों तथा प्रथाओं को मान्यता देगा जो सनातनी हिन्दू कानून से भिन्न हों । सदन को याद होगा कि विन्ध्य पहाड़ियों से दक्षिण की ओर के क्षेत्रों में प्रचलित रूढ़ियों तथा अन्य स्थानों में प्रचलित विवाह तथा विवाह-विच्छेद की रूढ़िगत रीतियों को मान्यता देने के प्रश्न पर बहुत मतभेद रहा था । इस विधेयक में ऐसी सब रूढ़ियों को पूरी मान्यता दी जायगी । विधेयक में 'रूढ़ि' की परिभाषा है ऐसी सुस्थापित रूढ़ि जो लोक नीति का उल्लंघन न करती हो । तो ऐसी रूढ़ि को मान्यता देने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती । विधेयक में विवाह अधिकार पर प्रभाव डालने वाले सपिंड सम्बन्ध के नियम तथा प्रतिषिद्ध सम्बन्ध सीमा के नियम के विषय में रूढ़िगत मित्रता को मान्यता दी गई है। रूढ़िगत विवाह-विच्छेद प्रणालियों तथा मलाबार के कानूनों जैसे विशेष कानूनों के अन्तर्गत हो सकने वाले विवाह-विच्छेद की प्रणालियों को भी मान्यता दी गई है। शून्य तथा शून्यकरणीय विवाहों के विषय को अधिक वैज्ञानिक रूप दिया गया है और कुछ अन्य छोटे छोटे सुधार भी किये गये हैं ।

उपरोक्त मुख्य परिवर्तनों को छोड़ कर, विधेयक के विषय का तीन भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है : पहला, मान्य विवाह के लिये जाति एक आवश्यक अपेक्षा होने की प्रणाली का उत्सादन ; दूसरे, एकविवाह पद्धति लागू करना ; तीसरे, कुछ विशेष आधारों पर विवाह-विच्छेद वैध बनाना ।

मान्य विवाह के बारे में जाति सम्बन्धी प्रतिबन्धों के उत्सादन पर जो मतभेद था,

[श्री बिस्वास]

उस का हिन्दू विवाह मान्यता अधिनियम, १९४९ (१९४९ का अधिनियम २१) के अधिनियमन के पश्चात् कोई प्रभाव नहीं रहा। इस सम्बन्ध में मैं यह बता दूं कि यदि हिन्दू समाज का कोई व्यक्ति सनातनी प्रणाली पर चलना चाहे और उस के लिये यह आवश्यक हो कि वर तथा वधू एक ही वर्ण तथा एक ही जाति के हों तो यह विधेयक उस को अपनी इच्छा पूरी करने अथवा अपना धर्म पालने से किसी प्रकार से नहीं रोकता है। इसी प्रकार यदि कोई हिन्दू जो जाति तथा वर्ण को नहीं मानता हो, इस कानून के अन्तर्गत विवाह करे तो उस का विवाह मान्य होगा। जहां तक विवाह कानून का सम्बन्ध है इस के अन्तर्गत कोई शर्तें आरोपित नहीं की जा रही हैं। उपबंध केवल ऐसे हैं जो अनुमति देते हैं या विवाह करने में जो रुकावटें थीं वह हटाते हैं, परन्तु सनातनियों पर इन के द्वारा कोई आभार आरोपित नहीं किया जाता है। इन उपबन्धों का प्रभाव केवल इतना ही होगा कि हिन्दू नर नारियों को स्वेच्छा से अपना जीवन बिताने की स्वतंत्रता होगी परन्तु उन लोगों की भी यह स्वतंत्रता बनी रहेगी जो सनातनी प्रणाली के अनुसार रहना चाहते हैं, उन की स्वतंत्रता का किसी रूप से उल्लंघन नहीं होगा।

एकविवाह प्रणाली के बारे में इस बात का तो सामान्यतः समर्थन किया ही जाता है कि सारे हिन्दू विवाह इसी प्रणाली के अनुसार होने चाहियें। बहुविवाह प्रणाली को तो कभी भी हिन्दू समाज में प्रोत्साहित नहीं किया गया है। और वर्तमान विधेयक में साहस से यह बात प्रकट की गई है कि हिन्दू कानून के अन्तर्गत बहुपत्नीत्व अथवा बहुविवाह अभ्यनुज्ञेय नहीं है। हिन्दू पुरुषों के एक छोटे से वर्ग ने यह कहा कि एकपत्नीत्व कानूनी रूप से लागू करने का कहीं यह परिणाम न निकले कि लोग अपना धर्म छोड़ कर दूसरे धर्म को अपनायें जो उन्हें अधिक पत्नियां रखने की अनुमति देता हो। यह भय निराधार था। एक हिन्दू महिला ने इस का जवाब दिया। उस ने कहा कि यदि एकपत्नीत्व न हो तो स्त्रियां ईसाई बन सकती हैं जिस से कि उन्हें एकपत्नीत्व प्रणाली का लाभ मिले। इस के लिये कोई साक्ष्य नहीं है कि एकपत्नीत्व को मानने वाले किसी समाज के लोग बहुपत्नीत्व के फायदे प्राप्त करने के लिये अपना धर्म बदलते हैं जबकि इस बात में भी सन्देह ही है कि इस से फायदे होंगे। न ही हम यह मानने को तैयार होंगे कि प्रत्येक हिन्दू के हृदय में बहुत पत्नियां रखने की इच्छा इतनी अधिक है कि वह अपना धर्म, कानून आदि छोड़ कर इस इच्छा को पूरा करने के लिये दूसरा धर्म अपनायेगा। राव समिति के उस सदस्य ने भी, जिस ने विमति प्रकट की थी, केवल इतना ही कहा था कि एकपत्नीत्व को कानूनी रूप देना आवश्यक नहीं क्योंकि आर्थिक कारणों से हिन्दुओं की अधिकांश संख्या एकपत्नीत्व प्रणाली पर ही चलती है। यदि ऐसा है तो इस व्यावहारिक प्रथा को कानूनी रूप क्यों न दिया जाये ताकि हिन्दू जाति का माताओं के साथ न्याय हो।

हिन्दू कानून में विवाह-विच्छेद सदा विद्यमान रहा है और समाज के बहुत से वर्गों में ऐसा होता रहा है। यद्यपि विवाह को संस्कार माना जा रहा है, फिर भी ऐसे मामले हुए हैं जिन में विवाह को कुछ कारणों से शून्य घोषित किया गया है। मैं एक उदाहरण देता हूं। बम्बई के उच्च न्यायालय ने एक मामले में हाल ही में विवाह को शून्य घोषित किया क्योंकि दोनों में से एक नपुंसक था। यदि विवाह एक संस्कार है और बाध्य है, तो विच्छेद का तो कोई रास्ता ही नहीं। बम्बई में किया गया निर्णय तो एक उदाहरण है जबकि कठिन स्थिति में दोनों

पक्षों की सहायता करनी पड़ी थी। इसी तरह के कई अन्य अनिवार्य मामले हैं जिनके सम्बन्ध में कि न्यायिक विच्छेद अथवा विवाह-विच्छेद आवश्यक है। मुझे इन बातों पर सविस्तार चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन उपबंधों का सामान्यतः स्वागत किया गया है। वास्तव में बम्बई, सौराष्ट्र तथा मद्रास सरकारों ने हम से बहुत पहले इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है।

इस विधेयक के कुछ और भी पहलू हैं जिन पर कि मैं इस समय प्रकाश नहीं डालना चाहता हूं। कुछ पहलू तो खंडों से संबंधित उन टिप्पणियों में स्पष्ट किये गये हैं जोकि अनुबन्धों के रूप में विधेयक के साथ जोड़ी गई हैं। इस विधेयक को व्यापक रूप से परिचालित किया गया तथा भाग ख राज्यों को, जिन्हें कि पहले इस पर विचार करने का मौका नहीं मिला था, अब इस पर विचार करने का अवसर दिया गया है। मेरे मित्र श्री नंदलाल शर्मा यहां नहीं हैं। उन्हों ने एक प्रस्ताव रखा है कि यह विधेयक परिचालित किया जाना चाहिये। यदि वे इस सामाजिक विधान में इस तरह की दिलचस्पी रखते हैं तो मैं इस पर केवल अपना दुःख तथा निराशा ही प्रकट कर सकता हूं। यह विधेयक परिचालित किया गया था तथा जनता ने इस के सम्बन्ध में अपनी रायें भेज दी हैं। २७ राज्यों में से, जिन्हें कि इस सम्बन्ध में मशवरा पूछा गया था, १५ इसके पक्ष में हैं, ८ राज्यों ने अपनी कोई राय प्रकट नहीं की है। दो तो बहुपत्नीत्व रोकने के पक्ष में हैं किन्तु विवाह-विच्छेद के पक्ष में नहीं हैं तथा केवल दो राज्यों की यह राय है कि यह विधान पास करने के लिये अभी समय नहीं आया है।

एक माननीय सदस्य : वे दो राज्य कौन हैं ?

श्री बिस्वास : मैं इन राज्यों के नाम बताऊंगा।

पहली श्रेणी में ये राज्य हैं:—बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, हैदराबाद, सौराष्ट्र, मैसूर, त्रावणकोर-कोचीन, हिमाचल प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश, त्रिपुरा, कुर्ग तथा अंडमान और निकोबार।

दूसरी श्रेणी के राज्य जिन्हों ने कि अपनी कोई राय नहीं दी है ये हैं :—मध्य प्रदेश, मध्यभारत, पेप्सू, दिल्ली, कच्छ, भोपाल, बिलासपुर तथा मणिपुर।

दो राज्य जो बहुपत्नीत्व को रोकने के पक्ष में हैं किन्तु जो विवाह-विच्छेद के पक्ष में नहीं हैं, उत्तर प्रदेश तथा बिहार हैं।

शेष दो राज्य जिन की राय में अभी इस विधान के लिये समय नहीं आया है आसाम तथा अजमेर हैं।

श्रीमान, १६ मार्च, १९५४ को राज्य-परिषद में पास किये गये एक प्रस्ताव द्वारा यह विधेयक एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया है तथा उसे अनुदेश दिया गया है कि उसे अगले सत्र के दूसरे सप्ताह की समाप्ति से पूर्व ही अपनी रिपोर्ट पेश करनी चाहिये। साथ ही लोक सभा से सिफारिश की गई है कि वह संयुक्त समिति में शामिल हो जाये तथा इसके लिये अपने सदस्य नामज़द करे।

इस समय तक जो राय प्रकट की गई हैं, वे सामान्यतः इस विधेयक के पक्ष में हैं। इस विधेयक के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये गये हैं उन में से कुछेक महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं :—

(१) सपिंड रिश्ते की तथा प्रतिषिद्ध रिश्ते की पीढ़ियों की अलग अलग परिभाषा करने की कोई आवश्यकता नहीं।

(२) सपिंड रिश्ते की सूची मातृपक्ष के सम्बन्ध में पांच पीढ़ियों तक तथा पितृपक्ष के सम्बन्ध में सात पीढ़ियों तक बढ़ा दी जानी चाहिये।

[श्री बिस्वास]

(३) खंड ५ में दूल्हा तथा दुल्हिन की आयु बढ़ा दी जानी चाहिये ।

(४) जहां दुल्हिन की आयु १८ वर्ष की न हो वहां विवाह के सम्बन्ध म अभिभावकों की सम्मत्ति प्राप्त की जानी चाहिये ।

(५) व्यभिचार के आधार पर न केवल न्यायिक विच्छेद होना चाहिये अपितु विवाह-विच्छेद भी होना चाहिये ।

(६) विशेष परिस्थितियों में यदि आवश्यकता पड़े, तो प्रथम पत्नी की सम्मति से दूसरी पत्नी रखने का भी उपबन्ध रखा जाना चाहिये ।

(७) विवाह-विच्छेद के लिये आधार और भी बढ़ा दिया जाना चाहिये ।

(८) विवाह-विच्छेद से सम्बन्धित डिगरियों की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि होनी चाहिये ।

(९) पूर्व-विवाह के विच्छेद होने पर सम्बन्धित पक्ष किसी भी समय पुनर्विवाह कर सकना चाहिये तथा उन्हें इस उद्देश्य के लिये किसी निश्चित समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता न होनी चाहिये ।

(१०) किसी विवाह को भंग करने की दशा में बच्चों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा की जानी चाहिये ।

यह कुछेक सुझाव हैं तथा मद्रास सरकार ने यह सुझाव दिया है कि मलनार में कुछ समुदायों की अपनी विशेष विवाह प्रणालियां हैं जैसे कि मरुमकत्तायम तथा आलियासंतना प्रणालियां । इन प्रणालियों को उपयुक्त संशोधनों द्वारा इस विधेयक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये ।

भारतीय कुष्ट विशेषज्ञ संस्था ने सुझाव दिया है कि कुष्ट रोग विवाह-विच्छेद का आधार न रखा जाना चाहिये । प्रवर समिति निस्सन्देह इन तथा अन्य सुझावों पर विचार करेगी । परन्तु यह एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रवर समिति संतोष की भावना से विचार करेगी तथा इस बात को ध्यान में रखेगी कि इस विधेयक को बहुमत का समर्थन प्राप्त है ।

प्रवर समिति में इस विधेयक की भली-भांति जांच होगी तथा इस के बाद यह फिर इस सदन में पेश होगा । अतः मैं इस अवसर पर सदन का और समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं केवल यह प्रस्ताव करूंगा कि यह सदन राज्य-परिषद की इस सिफारिश से सहमत हो कि यह संयुक्त प्रवर समिति में भाग ले तथा उस समिति के लिये अपने सदस्य नामज़द करे ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक को परिचालित करने के सम्बन्ध में श्री नन्दलाल शर्मा का एक प्रस्ताव है ।

श्री बिस्वास : इसे राज्य परिषद के २० दिसम्बर, १९५२ के एक प्रस्ताव द्वारा परिचालित किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से सदन के समक्ष रखता हूं ।

प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक परिचालित किया गया है इसलिये श्री नंदलाल शर्मा के संशोधन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

श्री नंद लाल शर्मा : श्रीमान, इसे पर्याप्त रूप से परिचालित नहीं किया गया है, जनता को इस की जरा भी जानकारी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे सदन ने इसे परिचालित किया है। इसे पुनः परिचालित करने से कोई फायदा नहीं होगा । अतः मैं

इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

श्री रघुवीर सहाय (जिला एटा—उत्तर पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व) : श्रीमान्, माननीय विधि मंत्री ने आज जो भाषण दिया है उस की प्रतियां हमें कल उपलब्ध की जानी चाहियें । यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : मैं पूछना चाहता हूं कि यह बिल जो सर्कुलेट किया गया है वह अंग्रेजी भाषा में सर्कुलेट किया गया है या कि दूसरी भाषाओं में भी । इस बिल का असर जिन लोगों पर पड़ेगा वह हिन्दी व दूसरी विभिन्न प्रान्तीय भाषायें ही जानते हैं । तो यह हर प्रान्त की प्रान्तीय भाषाओं में भी सर्कुलेट किया गया है या नहीं ?

श्री बिस्वास : विधेयक तो राज्य सरकारों के पास भेजे जाते हैं तथा मुझे मालूम नहीं कि वे क्या कुछ करते हैं । एक पूर्व अवसर पर इन प्रारूप संहिताओं का भाषान्तर हुआ था, इस मामले में क्या कुछ किया गया है, यह मैं कह नहीं सकता हूं ।

श्रीमती जयश्री (बम्बई—उपनगर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं । भारत का महिला जगत चिरकाल से इस विधेयक की प्रतीक्षा करता रहा है । विभिन्न महिला संस्थायें इस सम्बन्ध में समय-समय पर रोष भी प्रकट करती रही हैं कि इसे पास करने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ।

श्रीमान्, मेरी शिकायत यह है कि इस विधेयक को विशेष विवाह-विधेयक पर, जो कि राज्य परिषद ने पास किया है, पूर्ववर्तिता क्यों नहीं दी गई । निस्सन्देह, वह भी एक महत्वपूर्ण विधेयक था, परन्तु उस उद्देश्य-पूर्ति के लिये हमारे पास १८७२ का अधिनियम पहले से ही मौजूद है । हमें मालूम है कि हिन्दू कोड बिल आज दस वर्ष से देश के सामने पड़ा है । इसे जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया गया । यह दो बार प्रवर समिति में पेश हुआ तथा अन्तर्कालीन संसद में भी इस पर चर्चा हुई थी । ऐसी स्थिति में मुझे समझ नहीं आता है कि इस विधेयक को जो कि हिन्दू कोड बिल का ही एक अंग है, जनता की राय जानने के लिये पुनः परिचालित करने की क्या आवश्यकता थी । अब फिर इसे प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया है । मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह सब कुछ मामले को टालने के लिये किया जा रहा है । महिला जगत ने गत चुनाव में माननीय सदस्यों को इसी आश्वासन पर वोट दिये हैं कि वह हिन्दू कोड बिल को पास कराने में सहायता देंगे । मैं उन्हें चेतावनी देना चाहती हूं कि उन्हें अपना यह आश्वासन पूरा करना चाहिये ।

हिन्दू समाज सदैव गतिहीन नहीं अपितु, गतिशील रहा है । इस ने प्रगति के मार्ग में रोड़े नहीं अटकाये हैं । यह युगयुगान्तर के विप्लवों को सहन कर चुका है । अतः यदि हमारे वैवाहिक जीवन में कोई सुन्दर आदर्श है तो जनता उसे यथावत् अपनाती रहेगी । हिन्दू समाज में आज कल विवाह सम्बन्धित पक्षों की समता के आधार पर नहीं होता है । यह एकतरफा कानून है । इस के अलावा बहुत बुरे रस्म और रिवाज पैदा हुए हैं जिन से कि समाज की नींव ही खतरे में पड़ रही है । बदलते हुए ज़माने को दृष्टि में रखते हुए विवाह प्रणाली एक उचित आधार पर आधारित की जानी चाहिये जिस से कि परिवार और समाज की सुख-शान्ति बढ़ जाये ।

[श्रीमती जयश्री]

मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करती हूं कि दहेज प्रथा की रोक थाम के लिए इस विधेयक में कोई उपबन्ध रखा जाना चाहिये। दहेज का रोग दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। दूल्हों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। न केवल हिन्दुओं में अपितु पारसियों तथा ईसाइयों में भी यह प्रथा ज़ोर पकड रही है। इसे रोका जाना चाहिये ।

अब मैं खण्ड ९, दाम्पत्तिक अधिकारों की प्रतिस्थापना पर आती हूं। यदि हम उपबन्ध करना चाहते हैं, तो हम कह सकते थे कि दाम्पत्तिक अधिकारों को बीच में लाये बिना त्याग को न्यायिक विच्छेद का एक कारण बनाया ज़ा सकता है। क्योंकि सभ्य समाज में इस प्रकार की विधि नहीं होनी चाहिये।

न्यायिक विच्छेद सम्बन्धी खंड १० में मैं अस्वाभाविक अपराध सम्मिलित करना चाहती हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देखते हैं कि बलात्कार तथा अस्वाभाविक अपराधों की बहुत सी घटनायें होती हैं।

खण्ड १२ में जिन कारणों से विवाह अमान्य हो सकता है उन में लड़की के लिये मैं यह सम्मिलित करना चाहती हूं कि "यदि वह **अकन्या** हो।"

श्री बिस्वास : क्या इस का अभिप्राय कामहीनता से है ।

श्रीमती जयश्री : उन्हों ने **'अकन्या'** शब्द का प्रयोग किया है ।

विवाह विच्छेद की आज्ञाप्ति की याचिका संबंधी खण्ड १३ के बारे में मेरा सुझाव है कि उप-खण्ड (१) के स्थान पर "व्यभिचार की निरन्तर घटनायें" रख दिया जाये ।

फिर खण्ड २३(ग) आता है जिस में उस याचिका का उल्लेख है जो उत्तरकर्त्ता के साथ अभिसंधि से प्रस्तुत न की गई हो। कुछ महिला संघों ने सुझाव दिया है कि ऐसे बहुत थोड़े मामले हैं जिन में कोई अभिसंधि नहीं है और लोगों को झूठ बोलना पड़ा था। मैं सुझाव देती हूं कि खण्ड २३ में इस (ग) का रखना आवश्यक नहीं है। इस खण्ड के होने से लोगों को झूठ बोलना पड़ता है। वास्तविकता यह है कि विवाह-विच्छेद के अधिकतर मामले दोनों पक्षों की सहमति से न्यायालय में आते हैं, और यदि आप यह खण्ड रखते हैं . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या विवाह-विच्छेद को बहुत आसान बना देंगी। (**अन्तर्बाधायें**)

श्रीमती जयश्री : मैं चाहती हूं कि विवाह-विच्छेद को आसान बनाने में हमारा समाज तेजी से नहीं अपितु धीरे धीरे आगे बढ़े। इस खण्ड के न रहने का इस की प्रगति पर कोई प्रभाव न पड़ेगा, क्योंकि साधारण स्त्री पोषण के लिये पुरुष पर निर्भर रहती है, तथा विवाह-विच्छेद के लिये न्यायालय में जाने से पहिले वह इस पर भली प्रकार विचार करेगी। हो सकता है कि पुरुष न्यायालय में जाना चाहे, परन्तु भृति सम्बन्धी खण्ड उसे ऐसा करने से रोकेगा। बड़ौदा तथा मैसूर राज्य में विवाह-विच्छेद अधिनियम थे, परन्तु अभी तक हम ने यह नहीं देखा है कि हमारा समाज नष्ट हो गया है या कि हमारा धर्म खतरे में है। अतः मैं यहां सदस्यों से निवेदन करती हूं कि हमारी विवाह सम्बन्धी विधियों में, जो आज कल एक पक्षीय हैं तथा स्त्रियों के प्रति अन्याय कर रही हैं, सुधार होना चाहिये तथा वे हमारे संविधान के अनुकूल बनाई जानी चाहियें। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं ।

श्री बिस्वास : मुझे यह मामला संयुक्त प्रवर समिति में रखना है; अतः मैं यह जानना

चाहता हूं कि क्या उन का तर्क यह है कि अभिसंधि द्वारा ही विवाह-विच्छेद की अनुमति होनी चाहिये ।

श्रीमती जयश्री : मुझे इस में कोई हानि दिखाई नहीं पड़ती ?

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा) : आखिरकार इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये मैं श्री बिस्वास को बधाई देता हूं । (**एक माननीय सदस्य** : विधि मंत्री कहियेगा) नहीं, श्री बिस्वास, क्योंकि इस की वजह से कदाचित एक व्यक्ति के रूप में वह इतिहास में विद्यमान रहें अन्यथा सम्भव है कि वह इतिहास में आये ही न होते ।

एक सुधार के लिये आवश्यक है कि उस में साहस तथा शक्ति हो । एक कमजोर सरकार बेकार सरकार से भी बुरी होती है । मैं समझता हूं कि हिन्दू विधि में इस विशेष सुधार के दो प्रकार के शत्रु हैं, बाह्य तथा आन्तरिक । राम राज्य परिषद् जैसी संस्थायें इस की बाह्य शत्रु हैं । इन की ओर इस सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया है । ये तो केवल आन्तरिक शत्रु हैं जिन्हों ने हिन्दू समाज में किसी भी सुधार की प्रगति को अवरुद्ध किया हुआ है ।

कहा जाता है कि जनमत इस विधि के विरुद्ध है । ८० प्रतिशत हिन्दू जन संख्या पर इस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है; वे वास्तव में अधिक प्रगतिशील हैं । जहां तक सीधे साधे स्वस्थ्य सरल स्वभाव वाले ग्रामीणों का सम्बन्ध है, उन में लड़की विवाह-विच्छेद की प्रार्थना करती है या छोड़ कर चली जाती है । उस की जाति के नेता उस का समर्थन करते हैं । हम जानते हैं कि शेष बीस प्रतिशत में स्त्रियां सदैव ही इस विशेष विधेयक के पक्ष में रही हैं, और मैं समझता हूं कि प्रगतिशील सज्जनों का मत इस की पुष्टि करता रहा है ।

मुझे अपने राज्य पर बम्बई राज्य पर, बड़ा गर्व है कि वहां से ये सुधार बहुत पहिले हो गये हैं । मैं समझता हूं कि हिन्दू धर्म का कट्टर से कट्टर समर्थक भी यह नहीं कहेगा कि बम्बई एक चरित्रवान राज्य नहीं है । हम यह शोर सुनते हैं कि हिन्दू धर्म खतरे में है, कि हिन्दू संस्कृति नष्ट हो रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दू धर्म या हिन्दू संस्कृति इतनी कम जोर है कि होने वाले किसी भी सुधार से डांवा डोल हो जायेगी ।

परन्तु इसे शान्तिपूर्वक व निष्पक्ष दृष्टि से देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि खतरा कहां है । यह विधेयक सर्वथा अनुशाशनात्मक है, तथा पूर्णतया सामर्थ्योत्पादक प्रकार का है । जो पुराणपंथी रहना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है । फिर आपत्ति क्या है ? मैं समझता हूं कि आपत्ति यह है कि इस से जाति-व्यवस्था का अन्त हो जायेगा । यदि निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति से विवाह करना चाहे तो कर सकेगा । मैं समझता हूं कि लोगों को इसी का डर है, तथा इसी बात पर वैमनस्य पाया जाता है । इन थोड़े से सनातनियों के अनुसार हिन्दू धर्म का अर्थ जाति-व्यवस्था, अस्पृश्यता तथा स्त्रियों की पराधीनता को चालू रखना है । आप जानते हैं कि दो प्रकार के अत्याचारों ने मानव जाति को पराधीन बनाया है, राजाओं के अत्याचार तथा पुरोहितों के अत्याचार । हमें अपने राजाओं से तो छुटकारा प्राप्त हो गया है, परन्तु पुरोहितों के अत्याचार अभी तक भारतीय मस्तिष्क पर अपना आधिपत्य जमायें हैं । मस्तिष्क की पराधीनता शरीर की पराधीनता से बुरी है । अतः हमें इस विशेष आधिपत्य से मुक्ति प्राप्त करनी है ।

कुछ मूल बातों पर आते हुए, हमें यह स्वीकार करना होगा कि प्राचीन व्यवस्था बदलती है और नई व्यवस्था का उदय होता

[श्री खर्डेकर]

है। समाज गतिहीन नहीं है। यह परिवर्तन-शील है। और विधि भी इसी प्रकार होनी चाहिये। अतीत की पुनः उत्पत्ति नहीं हो सकती। हमें अतीत को भविष्य का ध्यान रख कर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बनाना है। अतीत में जो भी अच्छाई है उस का अनुकरण होना चाहिये। परन्तु उस की जड़ मज़बूत होनी चाहिये। हमें अतीत के अनुभव-लाभ प्राप्त हैं। और यदि हम उन अनुभव-लाभों का प्रयोग करें तो हमें वर्तमान तथा भविष्य की सम्भावनाओं का कहीं उत्तम ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस में सन्देह नहीं कि हमारे ऋषि महा मानव थे। परन्तु क्या यह सम्भव है कि उन्हों ने जो कहा है वह चिरकाल तक के लिये है। त्रुटि न करना केवल देवताओं की प्रकृति में सम्मिलित है। त्रुटि करना मानवता है। यदि हमारे यहां मनु तथा अन्य विधि निर्माता हुए हैं तो हमें उन से यह भी सीख लेना चाहिये था कि वे वर्तमान परिस्थितियों में अपने निर्णयों को कैसे ठीक करते। ऋषियों को पाठय पुस्तकों के रूप में मानना तथा उन में कोई सम्भाव्य परिवर्तन न करना, ग़लती है।

यहां मैं श्री टंडन द्वारा व्यक्त की गई एक बात का जो उन्हों ने कुम्भ मेला दुर्घटना के बारे में बताते हुए कही थी, निर्देश करता हूं। उन्हों ने कहा था कि सब से बड़ा ऋषि बुद्धि तर्क है, जो सदैव हमारा पथ प्रदर्शन करता है। हमें अन्धा हो कर अनुकरण नहीं करना चाहिये। हिन्दू धर्म की महत्ता यह है कि यह परिवर्तन-शील है। यह वह धर्म है जो किसी मूल लेख पर निर्भर नहीं है। जो किसी विशेष अवतार का अनुयायी नहीं है क्योंकि इस रूप में किसी भी अवतार ने हमें धर्म नहीं दिया है। यह तो अनेकों कालों का संचित ज्ञान व बुद्धि है। इस रूप में इस में वृद्धि, विकास तथा विस्तार होता जाता है। अतः जो लोग धर्मान्ध हो कर हिन्दू धर्म का समर्थन करते हैं वे हिन्दू धर्म के सब से अधिक भयंकर शत्रु हैं।

११ म० पू०

अब मैं इस विधेयक के सब से अधिक महत्वपूर्ण भाग पर आता हूं। अर्थात इस विधेयक का साधारण प्रभाव। यदि कुछ बातें हो जाती हैं तो निश्चय ही इस के परिणाम-स्वरूप स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, तथा इस से स्त्रियों का उद्धार होगा। गाय मुझे भी उतनी ही प्रिय है जितनी कि किसी और को। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो गाय की रक्षा के बहुत इच्छुक हैं परन्तु वे स्त्रियों के लिये विचार भी नहीं करते हैं। वे गाय को माता मानते हैं, परन्तु वास्तविक माता प्राकृतिक माता, को वह समझते हैं कि वह गुलाम है। यह दुर्भाग्य है। इस विधेयक से एक सामाजिक अधिकार अवश्य मिलता है। किन्तु मेरी राय में, जब तक स्त्रियों को सम्पत्ति के अधिकार नहीं मिलते, जब तक उन के लिये उचित नौकरियों में स्थान सुरक्षित नहीं रखे जाते, उन्हें वैयक्तिक स्वाधीनता नहीं मिलेगी। जब तक आधी जनसंख्या का वैयक्तिक विकास नहीं होता तब तक राष्ट्र की प्रगति भी नहीं होगी। स्त्रियों का सम्मान ही संस्कृति का सच्चा मानदंड है। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:।'

अब मैं विवाह-विच्छेद पर आता हूं। हो सकता है कि इस विषय में मेरे विचार बहुत पुरोगामी हों। कैथोलिकों में भी विवाह-विच्छेद की अनुमति है। हम कहते हैं कि विवाह एक करार नहीं अपितु संस्कार है। यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो जब पति-पत्नी एक दूसरे को नहीं चाहते हैं तो तब वही रिश्ता बनाये रखना पापमय है। लोग पूछते हैं कि फिर बच्चों का क्या होगा? किन्तु कलहपूर्ण वातावरण का बच्चों

संगोपन पर अत्यन्त बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं तो यह कहूंगा कि जब पति-पत्नी विवाह-विच्छेद चाहते हों, तब हमें उस के कारणों में नहीं जाना चाहिये। अन्यथा पुलिस, वकील तथा न्यायालय से संबंध आता है। और न्याय दूर भागता है। विवाह-विच्छेद की न्यायालयीन कार्यवाही भी बड़ी गन्दी और अश्लील बन जाती है। अतः यदि पत्नी पति अलग होना चाहते हों, तो हमें उन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिये।

मुझे एक विवाह, द्विविवाह, बहुपत्नित्व, बहुपतित्व, आदि विषयों पर भी कुछ कहना है। हमें इस ओर अत्याधिक भावुकता से नहीं देखना चाहिये। एक पुरुष के लिये एक स्त्री और एक स्त्री के लिये एक पुरुष यह नियम ठीक है लेकिन इस की ओर एक सुविधा की तौर से देखना चाहिये।

पुरुष का व्यभिचार न्यायालय म साबित करना स्त्री के लिये असंभव है। और इन गन्दी बातों की खुली चर्चा भी अनिष्ट है। विवाह-विच्छेद के लिये 'मूर्खता' को भी पर्याप्त आधार माना गया है। किन्तु 'मूर्खता' की परिभाषा क्या है? मेरी राय है कि अधिकतर स्त्रियां मूर्ख पति ही पसन्द करती हैं।

गुप्त रोगों को भी विवाह-विच्छेद का आधार नहीं बनाना चाहिये। अत्यन्त निष्पाप व्यक्ति को भी बाह्य संसर्ग से गुप्त रोग हो सकता है। और इस वैज्ञानिक युग में इन रोगों का इलाज भी किया जा सकता है।

यह भी एक उपबन्ध किया गया है कि विवाह के बाद तीन साल गुजरने पर ही विवाह-विच्छेद की याचिका दी जा सकती है। इस से तो चार या पांच वर्षों का कालापव्यय होगा और संबंधित व्यक्तियों पर लम्बे अरसे तक अनिवार्य ब्रह्मचर्य लादा जायेगा। इस से समाज में दुराचार को प्रोत्साहन मिलेगा। अतः इन उपबन्धों को हटा देना चाहिये या इन में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिये।

सामान्यतया मैं इस विशिष्ट उपाय का समर्थन करता हूं। मैं नहीं समझता कि यह हिन्दू धर्म तथा हिन्दू संस्कृति की भावना से विसंगत है।

श्री डी० सी० शर्मा : (होशियारपुर) : मैं समझता हूं कि प्रस्तुत विधेयक परिवर्तनवाद तथा पुराणप्रियता के बीच सुखद विवाह है। यह एक उदार उपाय है और इस में संयम तथा समझौते की भावना से काम लिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकेंगे?

शांति के कामों के लिए अणुशक्ति का प्रयोग

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम शान्ति के कामों के लिये अणुशक्ति के प्रयोग की चर्चा करेंगे। संपूर्ण चर्चा के लिये दो घंटे दिये गये हैं। माननीय प्रधान मंत्री कितना समय लेंगे?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : निश्चित ही आधे घंटे से अधिक नहीं, शायद कम ही।

उपाध्यक्ष महोदय: और श्री साहा?

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : आधा घंटा।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर अन्य सदस्यों के लिये एक घंटा रह जाता है। मैं उन में से प्रत्येक को दस मिनट तक बोलने दूंगा।

श्री मेघनाद साहा : मैं यह भाषण इसलिये दे रहा हूं ताकि देश के कर्णधार अणुशक्ति

[श्री मेघनाद साहा]

के विकास करने तथा शान्ति के कार्यों के लिये उस के प्रयोग करने के कार्य में अधिक रुचि ले ।

अणुशक्ति एक मदान शक्ति है जिस से मानव जीवन के विकास में अत्याधिक सहायता मिल सकती है। अभी इस के शान्ति के कार्यों के लिये प्रयोग करने के विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं है और हम उस के विध्वंसकारी पक्ष को ही जानते हैं। देश के बड़े राज्य अणुबम बनाने में स्पर्धा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अमरीका इस पर लगभग २० करोड़ डालर व्यय करता है। रूस भी इस दिशा में पीछे नहीं है। इन देशों में इस कारण और भी तनाव बढ़ गया है । अणुबम बनाने की इस क्रिया से विश्व में आतंक छा गया है। संभव है एक बड़ा देश दूसरे बड़े देश के प्रति अणुबम का प्रयोग इस भय से न करे कि उस का बदला भी तुरन्त मिल जायेगा। अतएव अणुबमों के युद्ध में प्रयोग किये जाने की अधिक संभावना नहीं है। हमें चाहिये कि शान्ति के कार्यों के लिये इस के प्रयोग को संभव बनाने की दिशा में ही हम काम करें। शक्ति के अभाव में हम देश के संसाधनों का समुपयोजन नहीं कर पाये हैं ।

बिजली का प्रति व्यक्ति उपयोग हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। हमारी गरीबी का यही कारण है। देश में, कुछ ही स्थानों में कोयला पाया जाता है, जल विद्युत भी हम अधिक उत्पन्न नहीं करते । अतएव हमें चाहिये कि अणुशक्ति के प्रयोग की ओर हम ध्यान दें जिस से कि देश के संसाधनों का समुपयोजन किया जा सके। अभी शक्ति के अभाव में सलेम का लोहा तथा राजस्थान के खनिजों का उपयोग नहीं किया जा सकता ।

प्रत्येक देश अणुशक्ति के विकास की ओर ध्यान दे रहा है । अमरीका के पास इस के बनाने का सारा कच्चा माल है। अन्य देशों के पास इन की कमी है। अपने साथी देशों को यह कच्चा माल भेजने पर अमरीका ने प्रतिबन्ध लगा रखा है। इस का ज्ञान भी दूसरों को न मिल पाये। इस विषय में भी वह सतर्क है। इंगलैंड ने अणुशक्ति के कुछ संयंत्र स्थापित किये हैं। उसे आवश्यक युरेनियम अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों से प्राप्त हो गया है । अभी इन संयंत्रों से सस्ती शक्ति प्राप्त नहीं होती। परन्तु आशा है कि बाद में स्थिति सुधरेगी ।

अन्य देश इस विषय में अपनी समस्या नहीं सुलझा पाये हैं क्योंकि अमेरीका कच्चा माल नहीं देता। फ्रांस केवल तीन चार रियेक्टर स्थापित कर सका है तथा इस शक्ति से कुछ वर्षों में वह अपने उद्योगों के लिये शक्ति का उत्पादन करने लगेगा। स्वीडन कच्चे माल की कमी के कारण एक भी रियेक्टर स्थापित नहीं कर सका है। हालैंड और नार्वे मिल कर भी रियेक्टर स्थापित कर सके हैं। अन्य बहुत से देश इस दिशा में कुछ नहीं कर सके हैं ।

दिसम्बर ८ को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के समक्ष भाषण देते हुए अमरीका के राष्ट्रपति आइजन होवर ने युद्ध के तनाव को कम करने के लिये कुछ बातें कहीं थीं जिन में एक यह थी कि उन का इरादा अणु का उपयोग युद्ध के लिये प्रयोग करने का नहीं है। विभिन्न देशों में अणुबमों के संग्रह की नाशी शक्ति को कम करने के विषय में भी उन्हों ने कहा था। अभी अमरीका के पास ६००० अटम बम और रूस के पास उस से कुछ कम हैं। सुना जाता है कि हाइड्रोजन बम एटम बम से ६०० गुना भयंकर है । यदि यह विश्व के इस संगृह का उपयोग शांति के कार्यों के लिये उपयोग किया जाय तो शक्ति की समस्या दूर हो जाये। अमरीका के राष्ट्रपति का यह

सुझाव भी था कि संसार के सब देशों में अनुसंधान किया जाय जिस से कि अणुशक्ति का शान्ति कार्यों के लिये भली भांति उपयोग किया जा सके। इस के लिये देश एक अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति ऐजेन्सी को युरेनियम आदि का अंशदान देंगे। आशा है कि ये ऐजेन्सी संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन स्थापित की जायेगी। तथा इस से अन्य राष्ट्र उतना कच्चा माल ले सकेंगे जितना उन की संपरीक्षाओं के लिये आवश्यक होगा। भारत में पांच साल पहले अणु शक्ति आयोग स्थापित किया गया था परन्तु कच्चे माल की कमी के कारण आज तक एक रियेक्टर स्थापित नहीं कर पाये हैं। यदि उस एजेन्सी से हमें कच्चा माल मिल जाये तो हम थोड़े समय में ही रियेक्टर स्थापित कर लेंगे। मेरा ख्याल है हमारी सरकार अमरीका के राष्ट्रपति के प्रस्तावों पर विचार करेगी तथा उस का समर्थन करेगी। देश में हमें अणु ज्ञान का अर्जन स्वयं ही करना होगा इसे जानने वाले व्यक्ति हमें स्वयं तैयार करने पड़ेंगे। इस कार्य के लिये हमारे पास आवश्यक संगठन नहीं है। सरकार को इस दिशा में अधिक राशि व्यय करनी चाहिये तथा ऐसे व्यक्ति तैयार करने चाहियें जिस से अमरीका के राष्ट्रपति के प्रस्तावों का लाभ उठाया जा सके। यदि यह प्रस्ताव नहीं भी आया तो हम स्वयं इस दिशा में कार्य करेंगे। ऐसा करना असंभव नहीं है यदि हम अधिक राशि व्यय करें तथा देश में इस का ज्ञान रखने वाले विद्वानों का सहयोग प्राप्त करें। हमें कम से कम दस करोड़ रुपये खर्च करने चाहियें। बड़ा संघठन स्थापित करना चाहिये। अणु शक्ति आयोग समाप्त किया जाना चाहिये। हमें इस विषय में कुछ गुप्त नहीं रखना चाहिये। अणु का ज्ञान रखने वाले वैज्ञानिक कोई खास प्रकार के नहीं होते। सब वैज्ञानिकों का हमें सहयोग प्राप्त करना चाहिये। हमारे पास थोरियम और युरेनियम हैं परन्तु उन की खोज करने वाले लोग पर्याप्त नहीं हैं। इस कार्य के लिये कुल ४०-५० व्यक्ति हमारे पास हैं जिन में बहुत से मूवेत्ता नहीं हैं। फ्रांस में इस कार्य के लिये २०० मूवेत्ता थे जिन के नीचे काम करने वाले ४–५ हजार अन्य प्रशिक्षित व्यक्ति थे। आवश्यक यूरेनिया प्राप्त करने के लिये हमें इसी तरह का प्रयत्न करना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि सरकार कुछ चुने हुए ऐसे व्यक्तियों को बुलाये जो अणु शक्ति में अभिरुचि रखते हों और उन की सहायता से अमरीका के राष्ट्रपति के प्रस्तावों का उत्तर दे।

अणुशक्ति को विकसित करने से देश को बहुत लाभ होगा। यदि वैज्ञानिकों को यह काम सौंपा जायगा तो वे उसे कर दिखायेंगे।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): यह एक असाधारण चर्चा है हमें प्रत्येक संभव उपाय द्वारा अणु शक्ति के इस अद्भुत वैज्ञानिक खोज को विश्व की सुख शान्ति बढ़ाने की दिशा में ही उपयुक्त कराने की चेष्टा करनी चाहिये। डा० साहा ने अपने भाषण में इस पर यथोचित प्रकाश डाला है। परन्तु अब अणु शक्ति के संतुलन की दृष्टि में अमरीका भी समझ गया है कि अब वह पहले की भांति मांग नहीं कर सकता। पर आइज़नहोवर के ८ दिसम्बर के भाषण से यह आभास नहीं मिलता कि अमरीका शान्ति चाहता है और जब तक उस की वर्तमान विदेश नीति न बदले यह संभव भी नहीं है। २३ दिसम्बर के न्यूयार्क टाइम्स से पता चलता है कि अब अमरीका अणु आयुधों पर विशेष व्यय कर रहा है और कोष सचिव का भी कहना है कि वहां का रक्षा विभाग अन्य आयुधों को छोड़ कर अणु आयुधों पर ही विशेष व्यय कर रहा है।

परन्तु फिर भी आइज़नहोवर का यह वक्तव्य बात चीत चलाने के लिये एक सूत्र बन सकता है और सोवियट सरकार ने

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

अपने २१ दिसम्बर के उत्तर में कहा है कि वह अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग पर बात करने को तैयार है, पर इस में सारी बात शामिल होनी चाहिये । ३० जनवरी और १३ फरवरी को मोलेतोव और डलेस के बीच बात चीत भी हुई है । आइज़नहोवर एक अंश का ही शान्तिपूर्ण कार्यों में उपयोग चाहते हैं और इस प्रकार शेष उद्जन बम तथा अन्य नए आयुद्धों के निर्माण में व्यय होता रहेगा । दूसरे इस में आक्रांता द्वारा अणु-आयुद्धों के उपयोग को रोकने का भी कोई उपबन्ध नहीं है । जिस प्रकार एक बैंच नदी के पुल का काम नहीं कर सकती, उसी प्रकार आइज़नहोवर का यूरेनियन-समूहन प्रस्ताव अणु-आयुद्धों के उपयोग को रोकने वाले एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का स्थानापन्न नहीं हो सकता, सोवियत सरकार जून १९४६ से सदैव यही आग्रह करती रही है कि अणु, उद्जन आदि संहारक आयुधों पर तुरन्त रोक लगाई जाये । ८ मई, ५४ के "न्यूज एंड व्यूज" में बताया गया है कि रूस में शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये अणु शक्ति का उपयोग शुरू कर दिया गया है । मालेनकोव ने २६ अप्रैल १९५४ को सोवियत संसद् में कहा था कि देश की सुरक्षा तथा शान्तिपूर्ण औद्योगिक कार्यों में अणु शक्ति का उपयोग बढ़ाने के लिये उन को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है । इस से स्पष्ट हो जाता है कि उन्हों ने अपने देश के उद्योगों आदि के विकास में अणु शक्ति का उपयोग शुरू कर दिया है । किसी भी पदार्थ के एक किलोग्राम में इतनी अणुशक्ति होती है जितनी २७ लाख टन कोयलों की रासायनिक शक्ति या २५० हजार लाख (२,५००,००,००,०००) किलोवाट विद्युत शक्ति में । इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया है कि यद्यपि मानव निर्मित अणु-युद्ध भयंकर रूप से विनाशी होगा, तथापि मनुष्य उसे रोक सकता है । और उस शक्ति का सदुपयोग कर सकता है । रूस इस दिशा में आगे बढ़ रहा है ।

१७ अप्रैल १९५४ को चिशिरकी ने सं० रा० निःशस्त्रीकरण आयोग की उपसमिति में ब्रिटेन सं० रा० अमरीका, रूस, फ्रांस, और कनाडा के साथ भारत चीन और जैकोस्लोवाकिया को भी रखने का संशोधन रखा था, पर वह संशोधन गिर गया । जिस प्रकार भारत अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी बात स्पष्ट कर देता है, इस बारे में भी उसे चुप नहीं रहना चाहिये । सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि मानेजाइट का निर्यात होता है । अवश्य ही यह गलत हाथों में पड़ता होगा । हमें अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग को बढ़ाने के लिये सब कुछ करना चाहिये । हमारे पास प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, प्राविधिक व्यक्ति हैं, आदर्श हैं । हमें अपने आदर्शों के अनुसार अपना निर्माण करना चाहिये और हमें शांतिपुर्ण अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण भी पैदा करना चाहिये । आइज़नहोवर का यह प्रयत्न अधूरा है, क्योंकि यह अमरीका को अणु शक्ति के संहारक प्रयोग की शक्ति देता है । अणु शक्ति के महान शान्तिपूर्ण उपयोग की बात करते समय हमें इस बारे में अपने विचार स्पष्ट बता देने चाहियें ।

श्री के० डी० मालवीय : मैं केवल व्यक्तिगत पद की दृष्टि से ही कुछ कहने जा रहा हूं क्योंकि जैसा सदन को विदित है, अणु शक्ति आयोग के सभापति के नाते प्रधान मंत्री स्वयं अणु शक्ति का नियंत्रण करते हैं । वह इस बारे में सरकारी नीति, शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये अणु शक्ति का उपयोग और माननीय मित्रों के सुझावों को निपटायेंगे । मुझे डा० साहा से कुछ कहना है जिन्होंने अभी हाल अनुशक्ति के विदोहन तथा अन्य बातों के संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं । सरकार संगठन के लिये कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, परन्तु अणुशक्ति के विस्फोटक-तत्वों के विषय में हमारे ज्ञान और अज्ञान के अन्तर का दूर होना

हमारे वैज्ञानिकों की तत्परता और अध्यवसाय पर ही निर्भर है। यदि वैज्ञानिक अपना व्यवसाय छोड़ कर राजनीतिज्ञ बनने लगे तो हमें खेद है कि इस में निश्चय ही देर लगेगी। मैं राजनीतिज्ञों का राजनीति छोड़ विज्ञान में जुट जाने की बात सोच रहा था, पर मुझे यह कभी भी उचित नहीं जंचा है कि वैज्ञानिक राजनीति को अपना कर राजनीतिक विवादों में हाथ बटाने लगें।

इस खाई को पाटने में आड़े आने वाली कुछ समस्याओं को मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूं। सदन को विदित है कि सरकार ने इन समस्याओं को विशिष्ट रूप में निपटाने के लिये एक अणु-शक्ति आयोग नियुक्त कर दिया है। इस आयोग के सामने तीन मुख्य समस्यायें हैं। एक धातुकर्म सम्बन्धी है, अणु शक्ति के प्रजनन और रूपभेद में काम आने वाले पदार्थों को संवारना और सुधारना। दूसरी समस्या उन सभी इंजीनियरी-मशीनों को बनाने और उनको परिपूर्ण करने की है, जो रेडियो-सक्रिय पदार्थों को तोड़ने और बिखेरने में काम आयेंगी। और तीसरी समस्या अणु के अन्तर्भूत तत्वों-रेडियो-सक्रिय पदार्थों की भौतिक स्थिति और शक्ति युक्त होने पर उन का कार्य तथा भीतर से निकलने पर उस के स्वरूप आदि की बुनियादी बातों को जानने की तथा शान्तिपूर्ण कार्यों में उस के उपयोग की है। श्रीमान् जैसा आप को विदित है, चाहे यरेनियम के अयस्क (और) हों या थोरियम के, उन को संवारना पड़ता है और विशुद्ध तत्वों में परिवर्तित करना पड़ता है। इस के सिवा जैसा माननीय सदस्य ने बताया, वेगन्युनक (मौडरेटर) का भी प्रश्न है, जिस से अणु के तोड़े जाने के बाद उस से निकलने वाले अपार शक्ति-पुंज को संयत तथा नियंत्रित रखा जा सके। अन्यथा उपयोग से पहले ही यह जल जायेगा। अतः वेगन्यूनक का कार्य शक्ति की भयंकरता और अपार प्रचंडता को रोकना है, जो कि शक्ति के निकलने के बाद तुरन्त पैदा हो जाती है। अतः हमें ग्रेफाइट या बेरीलियम या भारी अयस्क जैसे वेगनयूकों की आवश्यकता पड़ती है। फिर वे न केवल विशुद्ध बल्कि अत्यन्त विशुद्ध होने चाहियें विशुद्धतम युरेनियम और थोरियम को प्राप्त करने, उसे युरेनियम आक्साइड और थोरियम आक्साइड से युरेनियम और थोरियम में बदलने, और विशुद्धतम ग्रेफाइट तथा राजस्थान के बेरिलियम अयस्कों से विशुद्धतम बेरीलियम प्राप्त करने और भारपूर्ण पानी का निर्माण करने—इन सब के लिये धातु कार्य और उस के शोधन का ज्ञान अपेक्षित है, जो सरकारी संगठन या नीति की चर्चा या दलबन्दी से नहीं मिल सकता, बल्कि जो केवल वैज्ञानिकों से ही प्राप्त हो सकता है। यह वैज्ञानिकों का कार्य है। मैं डा० साहा को बता दूं कि अणु युद्ध का इतिहास उतना ही संक्षिप्त है जितना विगत युद्ध का इतिहास। यह १९३९ में शुरू हुआ। मैं १८९८ की चर्चा न करूंगा जब कुरी तथा अन्य लोगों को रेडियम और युरेनियम से रेडियो सक्रियता का पता चला। यह १९३६ से १९४५ तक का इतिहास है। जैसा आप को विदित है, पहले जर्मन वैज्ञानिकों ने अणु के तोड़ने में सफलता प्राप्त की : यह संवाद अमरीका में पहुंचते ही सरकारी आधार नहीं बल्कि शरणार्थी निजी वैज्ञानिकों ने एक संगठन बना कर तेजी से इस दिशा में कार्य किया और सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप उन को अणु के तोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। अत. यदि डा० साहा जैसे वैज्ञानिक मेरे सुझाव पर ध्यान दें, तो हम इस समस्या के समाधान में बहत प्रगति कर सकते हैं।

इस समय अणु शक्ति आयोग अपनी शक्ति भर यह कार्य कर रहा है। आयोग

[श्री के० डी० मालवीय]

कार्य की उपर्युल्लिखित तीनों मदों को सुलझाने की चेष्टा कर रहा है । वह नई प्रयोगात्मक अनुसन्धानशालायें स्थापित कर रहा है । कुछ को उपयुक्त स्थानों पर भेज रहा है । वे ऐसे पुरोगामी प्रयत्नों में लगे हुए हैं, जिन से हम धातु शुद्ध करने के तरीके जान जायें और आगे चल कर त्रावनकोर कोचीन की थोरियम-युरेनियम खंडों से थोरियम बना सकें और युरेनियम अयस्कों को शुद्ध युरेनियम में बदल सकें ।

जैसा माननीय मित्र को मंत्रालय के कागजों से पता चलेगा एक न्यष्टि-प्रवर्तक वर्ग (नेकुलर रिएक्टर ग्रुप) स्थापित किया जा चुका है ।

श्री मेघनाद साहा : अणु-शक्ति आयोग के प्रथम वक्तव्य के अनुसार यह १९४८ में ही हो जाना चाहिये था, पांच वर्ष की देर क्यों हुई ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं यही बता रहा था कि आयोग क्या कर चुका है । यह डा० साहा का काम है कि उसे धीमा बतायें या और कुछ । मैं इस के धीमे होने का कारण स्वयं जानता हूं । और तभी मैं ने सुझाया था कि डा० साहा जैसे वैज्ञानिकों को अधिक सक्रिय हो कर हमें सहयोग देना चाहिये ।

यह वर्ग बनाया जा चुका है और आयोग के प्रथम न्यष्टि प्रतिवर्तक की नई डिजाइनों के बारे में पता लगाने के लिये वैज्ञानिकों को बाहर भेजा गया है । वे स्वयं सब चीजों को देखने के बाद वापस आ कर अपना प्रतिवर्तक बनायेंगे ।

अतः इस कार्य के बारे में हम चुप नहीं हैं । यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना युरेनियम, थोरियम और वेगन्यूनकों को विशुद्ध करना ।

फिर, भौतिक विज्ञान डिवीज़न है, जो कि मूलभूत गवेषणा में व्यस्त है तथा कुछ ऐसा कार्य भी कर रहा है जो रिएक्टर (प्रतिवर्तक) तैयार हो जाने पर इस से सम्मुख आयेगा । न्यूक्लियर फिज़िक्स ग्रुप है । उच्च प्रवेग आरमुविक बम्बार्डमेंट के विभिन्न प्रयोगों का अध्ययन करने के लिये कैस्केड जैनेरेटर स्थापित किया जा चुका है जिस से कि हमारा आणुविक रिएक्टर तैयार होने तक हम उन वैज्ञानिकों की सहायता ले सकेंगे जिन्होंने कि इस लिथियम-ड्यूटेरियन कनवरज़न परियोजना पर अनुभव प्राप्त किया है ।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम वैज्ञानिकों के समस्त प्रयत्नों को सूत्रबद्ध कर सकें तो हम एक सक्षमकारी प्रशिक्षण केन्द्र की भी स्थापना कर सकेंगे ।

डा० साहा ने रेडियो-सक्रिय कच्चे खनिजों को निकालने का ज़िक्र किया । इस के लिये बहुत सूक्ष्म और कीमती यंत्रों की आवश्यकता है । गीगर-काउंटर आये कुछ यंत्र हमारे पास मौजूद हैं । हमें अधिक शक्तिशाली, जैसे सिंटिलो-मीटर यंत्र प्राप्त करने हैं । यदि भूमि के नीचे के यूरेनियम को बतलाने वाले अधिक सूक्ष्म यंत्र हमारे पास नहीं हैं, तो हमें कुछ समय के लिये प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि या तो हम उन्हें बाहर से नहीं प्राप्त कर लेते अथवा हमारे वैज्ञानिक उन्हें नहीं बना लेते ।

मेरे माननीय मित्र श्री मुखर्जी ने कहा कि मोनाज़ाइट बाहर भेजी जाती है । यह बाहर भेजी जाती है, किन्तु बहुत थोड़ी मात्रा में । इस का अधिकतर भाग यहीं रहता है और मैगनेटिक ऐपरेटर द्वारा पृथक किया जाता है जिस को बाद में हमारी खुद की फैक्टरियां परिष्कृत कर के यूरेनियम तथा थोरियम निकालती है ।

श्री नम्बियार (मयूरम) : इसे बाहर भेजा ही क्यों जाता है ।

श्री जवाहरलाल नेहरु : क्योंकि इस के बदले में हम बाहर से अधिक मूल्यवान सामान मंगाते हैं जो हमारे यहां उपलब्ध नहीं है ।

श्री रघुरामैया (तेनालि) : मैं समझता हूं कि इस प्रकार के मामले पर हमें राजनीति को एक ओर रख कर चर्चा करनी चाहिये । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस चर्चा में अमरीका और रूस को भी ले आया गया । इस से हम अपना निर्णय विवेकपूर्ण ढंग से नहीं कर पाते । इस मामले के सम्बन्ध में मैं ने जो कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उस से मुझे यही प्रतीत होता है कि हम मानवीय अस्तित्व के एक महान युग में पदार्पण करने जा रहे हैं । जो कि औद्योगिक युग से कहीं शक्तिशाली होगा ।

यदि हम एक पौंड आणविक ईंधन का एक पौंड कोयले से मुकाबला करें तो देखेंगे कि इस में कोयले की अपेक्षा २,६०,००० गुनी शक्ति मौजूद है । कुछ विशिष्ट मात्रा में, यह सूर्य की शक्ति के बराबर शक्ति विमुक्त कर सकता है । मुझे बताया गया है कि अमरीका में अणुशक्ति का प्रयोग पनडुब्बियों में किया जा रहा है । ये पनडुब्बियां दोबारा ईंधन लिये बिना तथा कहीं रुके बिना दुनियां के कई चक्कर लगा सकती हैं ।

इस में सन्देह नहीं कि इस समय कुछ कठिनाइयां हैं । उदाहरणार्थ, यह पाया गया है कि घर्षण से विमुक्त होने वाली रेडियो सक्रियता के लिये एक आवरण की आवश्कता है । केवल सीमेंट, अथवा जस्ता और पानी सदृश भारी चीज़ें ही इस आवरण का काम देने के लिये उपयुक्त पाई गई हैं । यह एक कठिनाई है । उदाहरण के लिये यदि आप हवाई जहाज़ में आणुविक मशीन लगाना चाहें, तो जस्ते के कारण यह अधिक भारी हो जाएगा । किन्तु अभी आणुविक गवेषणा अपने प्रारम्भिक चरण पर है, और यह आशा की जाती है कि हम ऐसी चीज़ निकाल सकेंगे जो आणविक मशीन के आवरण का काम दे सके, जो शायद हवा से भी हलकी हो सकती है । यह ठीक है कि हमारे पास यूरेनियम २३५ अधिक मात्रा में नहीं है, जो कि आणुविक शक्ति के उत्पादन के लिये प्रमुख वस्तु है, किन्तु हमारे थोरियम पर्याप्त मात्रा में मौजूद है जो कि आणुविक शक्ति का एक शक्तिशाली स्रोत है । अमरीका के आणुविक शक्ति आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि भारत के पास थोरियम मिश्रित मोनाजाइट का कदाचित विश्व में सब से अधिक निक्षेप है । हमारे काम के बारे में उन्होंने कहा था कि ऐशिया में आणुविक शक्ति का सब से अधिक तथा प्रगतियुक्त कार्यक्रम भारत के पास है । उन्होंने इस पर भी स्तुति के शब्द कहे कि हम इसे शांतिमय कार्यों में प्रयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हमारे गवेषणा क्षेत्रों में इस के साथ साथ इस बात पर भी खोज हो रही है कि इस नये सान को चैकित्सिक प्रयोगों में किस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है । अभी तो आणुविक शक्ति को हम ने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराये गये आणुविक बमो के विध्वंसकारी रूप में ही जाना है । यही कारण है कि हम शायद इस से शान्तिमय प्रयोगों की महान सम्भावनाओं के प्रति विमुख से हैं ।

इस का केवल एक उपाय है । जैसा हमारे प्रधान मंत्री ने कहा, उदजन तथा अणुबमों पर रोक लग जानी चाहिये । इस से इस शक्ति को शन्तिमय प्रयोगों के लिये प्रयुक्त करने की ओर ध्यान जायेगा । हम निश्चय ही एक महान युग के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं । मैं निश्चित रूप से आज सुबह यहां दिये गये इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि इस मामले

[श्री रघुरामैया]

की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहृत किया जाए। विश्व में यूरेनियम की मात्रा बहुत सीमित है और यदि आप विभिन्न राष्ट्रों के विवेक पर इस का प्रयोग छोड़ देंगे तो यह बड़ी खतरनाक चीज बन जायेगी। क्योंकि तब इसे विध्वंसक शस्त्र बनाने में ही प्रयुक्त किया जायेगा। यदि एक बार इस चीज का अन्तर्राष्ट्रीय संग्रह बन जाता है, तो यह मानव सभ्यता के लिये एक नवीन युग का निर्माण करेगा। मुझे आशा है कि हमारी सरकार इस लक्ष की प्राप्ति के लिये भरसक प्रयत्न करेगी।

श्री जवाहरलाल नेहरु : मुझे इस चर्चा पर प्रसन्नता है तथा मैं श्री मेघनाद साहा का आभारी हूं जिन्होंने कि इस का श्रीगणेश किया है, यद्यपि मैं महसूस करता हूं कि उन्होंने परमाणुशक्ति आयोग के काम की यथोचित रूप से सराहना नहीं की है।

यह कहना शायद सही हो कि इस आयोग का काम तुलनात्मक रूप से ज्यादा नहीं, विस्तृत नहीं तथा तेज नहीं। यह बातें किसी भी काम के बारे में कही जा सकती हैं। परन्तु बहुत से योग्य विदेशी आलोचकों ने इस बात की पुष्टि की है कि हमारे परमाणु शक्ति आयोग ने बड़ा काम किया है तथा उन का विचार है कि भारत ने इस दिशा में तीव्र प्रगति करने के लिये नींव डाली है :

स्पष्टतया हमारी कार्य प्रगति कई बातों पर निर्भर है। श्री मेघनाद साहा ने बताया कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार इस काम पर प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपया खर्च करती है तथा ब्रिटिश सरकार १०० करोड़ रुपया खर्च करती है। यह सही है कि इसके मुकाबले में हम केवल एक करोड़ रुपया प्रति वर्ष इस काम पर खर्च कर रहे हैं ; यह धन राशि बढ़ा दी जा सकती है तथा काम की अन्य सुविधायें भी उपलब्ध की जा सकती हैं। यह केवल पूर्व-वर्तिताओं तथा कुछ पहलुओं को अधिक महत्व देने का प्रश्न है। वैयक्तिक रूप से मैं चाहता हूं कि भारत का भूतत्वीय तथा अन्य परिमाप कार्य तेज़ गति से हो तथा सर्वांगीण हो। निस्सन्देह हमारी भी एक भूतत्वीय परिमाप संस्था है परन्तु यह उस तरह की नहीं है जिस में सैंकड़ों तथा हजारों व्यक्ति काम कर सकें। मैं यह बात मानता हूं कि मैं इस सम्बन्ध में कार्य प्रगति से सन्तुष्ट नहीं हूं। फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि विश्व के कुछ आधा दर्जन बड़े बड़े देशों को छोड़ कर अन्य देशों के मुकाबले में हमारी प्रगति अच्छी है। मैं डा० साहा के इस सुझाव का स्वागत करता हूं कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिये। जिस में कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये तथा यह सुझाव दिये जाने चाहियें कि किस तरह और अधिक प्रगति प्राप्त की जा सकती है। तथा यह काम किन लाइनों पर किया जा सकता है। परन्तु जब डा० साहा ने यह कहा कि विशेषज्ञों को मिल कर राष्ट्रपति आइज़नहावर के भाषण का उत्तर तैयार करना चाहिये तो मुझे अचम्भा हुआ। उन का भाषण आदर करने योग्य है तथा उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

श्री मेघनाद साहा : मेरा मतलब यह था कि वह हमारी सरकार को उत्तर तैयार करने में परामर्श दें।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह एक ही बात है। पहले तो मुझे यह समझ नहीं आता है कि भारत सरकार को उन के उस भाषण का उत्तर क्यों देना चाहिये जो कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में दिया है। किसी और सरकार ने ऐसा नहीं किया है। राष्ट्रपति आइज़नहावर का भाषण एक सुन्दर भाषण था इस में उदार भावनाओं को व्यक्त किया गया था और उन का यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिस पर कि हमें

विचार करना चाहिये। परन्तु यह एक अस्पष्ट भाषण था। तथा इस में कोई निश्चित बात नहीं थी। यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रस्थापनाएं क्या कुछ हैं तो आप निः शस्त्रीकरण सम्मेलन अथवा परमाणु शक्ति से सम्बन्धित आयोग में जायें। वहां आपको मालूम होगा कि विभिन्न देशों की प्रस्थापनायें क्या हैं। कुछ भी हों, मुझे इस विषय पर चर्चा करने में प्रसन्नता है तथा मैं चाहता हूं कि इसे, यथासम्भव, राजनीतिक पहलुओं से कुछ अलग रखा जाना चाहिये। मुझे मालूम है कि ऐसा करना कठिन है। माननीय सदस्य इन अस्त्रों पर पाबन्दी लगाने की बात करते हैं। यह एक शुभ विचार है। परन्तु यह पाबन्दी लगायेगा कौन? यदि दो पक्षों में कोई तनाव नहीं होता तथा कोई झगड़ा नहीं होता तो यह उद्देश्यपूर्ति हो सकती थी। इन अस्त्र-शस्त्रों पर पाबन्दी लगाना अथवा नियंत्रण रखना आवश्यक है। परन्तु वर्तमान वातावरण में यह नियंत्रण रखे कौन? अन्तर्राष्ट्रीय विधि इन बातों के सम्बन्ध में एक कमज़ोर उपाय है। अतः हम इस के राजनीतिक पहलू को एक ओर छोड़ कर इस पर विचार करेंगे।

आज इस बीसवीं शताब्दी में मनुष्य की जिज्ञासा नये नये क्षेत्रों में ज्ञान की खोज करने लगी है तथा इस के परिणामस्वरूप नये नये आविष्कार किये गये हैं। मैक्स प्लैंक के परिमाण सिद्धान्त ने तथा एल्बर्ट आइन्स्टीन के सापेक्षता–सिद्धान्त ने विश्व के सम्बन्ध में विचार ही बदल दिये हैं। अणु बम की भयानक विनाशकारी शक्ति से हम चकित हुए हैं। जैसा कि मेरे मित्र श्री के० डी० मालवीय ने बताया, मनुष्य के सोचने-समझने के ढांचे में भारी परिवर्तन आया है। यह १९३९ में हुआ। जबकि जर्मन विज्ञान-विशारदों ने अणु पर प्रयोग करने शुरू किये। इस के बाद अमरीकनों ने ऐसा करना शुरू किया। अमरीका में, वास्तव में, यह काम एक प्रव्रजक विज्ञान-विशारद ने किया। १९४२ में और अन्य बातें हुईं तथा इटालियन विज्ञान-विशारदों ने भी इस सम्बन्ध में कुछ काम किया। आखिर में, अगस्त १९४५ में हिरोशिमा का पतन हुआ, जो कि सन् १९३९ से ले कर १९४५ की गतिविधियों का परिणाम था।

उस समय से अब तक हमारी प्रगति हुई तथा सारा विश्व इस के भयावह रूप से भयभीत हुआ है। तो इस तरह से मनुष्य का दिमाग़ तथा मनुष्य की कोशिशें एक ऐसी शक्ति को जागृत कर रही हैं जो कि उस के काबू से बाहर हो रही हैं। आप इस पर पाबन्दी लगाने की मांग कर के इसे काबू में नहीं कर सकते हैं। वास्तव में कोई भी व्यक्ति मानव प्रतिभा को इस तरह की शक्ति पैदा करने से रोक नहीं सकता है। वह ऐसा करता रहेगा। इस पर नियंत्रण रखने की समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है, यह वर्तमान राजनीतिक समस्याओं में से एक है। इस समस्या के समाधान से ही विश्व का तनाव कुछ कम हो सकता है तथा बड़े बड़े राष्ट्रों में पारस्परिक विश्वास बढ़ सकता है। इसी से वह इस सम्बन्ध में समझौता कर सकते हैं कि वह स्वयं भी जीवित रहना चाहते हैं तथा दूसरों को भी जीने देना चाहते हैं। जब तक कि इस तरह का दृष्टिकोण न हो, तब तक राष्ट्रों में झगड़े की भावना रहेगी तथा अणुबम भी रहेगा–चाहे आप इस पर पाबन्दी लगाने की कितनी ही मांग क्यों न करें।

यह एक स्पष्ट बात है कि अणुशक्ति शांतिमय उद्देश्यों तथा मानव-कल्याण के काम लाई जा सकती है। इसे अधिकांश रूप से मितव्ययिता से काम में लाने में शायद पांच दस वर्ष लगें। मैं सदन को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि अणुशक्ति को भारत जैसे देश में जहां कि विद्युत् शक्ति के साधन सीमित हैं,

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

शान्तिमय उद्देश्यों के लिये काम में लाना अन्य देशों के मुकाबले में महत्वपूर्ण है। फ्रांस का औद्योगिक विकास हुआ, वहां इस की इतनी आवश्यकता नहीं। अमरीका को लीजिये। वहां उन के पास विद्युत् शक्ति के भारी साधन हैं; उन के लिये परमाणु-शक्ति के रूप में और अधिक विद्युत् शक्ति का होना इतना आवश्यक नहीं। निस्सन्देह वे इसे काम में ला सकते हैं। किन्तु यह इतना महत्वपूर्ण नहीं। भारत तथा भारत जैसे अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के लिये यह आवश्यक है। जिन देशों के पास विद्युत शक्ति के पर्याप्त संसाधन हैं उन के लिये इसे रोकना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। परन्तु यदि भारत जैसा कोई देश अणु शक्ति का उत्पादन रोके अथवा इसे बन्द करे तो वह घाटे में रहेगा। तथा-कथित अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण की दृष्टि से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। नियंत्रण की बात कुछ निरर्थक है। कौन इस पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण रखेगा? वह कौन से देश होंगे जो कि इस पर नियंत्रण रखेंगे? आप कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा कर सकेगा। स्पष्टतया और कोई ऐसी संस्था नहीं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ को ऐसा करने के लिये कह रही है। फिर भी सदन को मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व के कुछ बड़े राष्ट्र शामिल नहीं। वे इस के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ केवल अपने पर नियंत्रण रख सकता है।

किसी ऐसे देश पर नियंत्रण नहीं रख सकता है जो कि इस में नहीं हो, जिसे ये शामिल करने से इन्कार करता हो तथा जिस के साथ इस का कोई सम्बन्ध न हो। विश्व के एक भाग पर इस का नियंत्रण नहीं, तथा जिस भाग पर इस का नियंत्रण नहीं, वह शरारत करता है। नियंत्रण की तो बात दूर रही इसे मान्यता भी प्रदान नहीं की जाती है, गोया यह कहीं मौजद ही नहीं है। यही कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण में कठिनाई उत्पन्न होती है। राष्ट्रपति आइज़नहावर के भाषण में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण की बात कही गई है। हम इस प्रस्थापना से सहमत हैं कि यदि इस तरह की व्यवस्था हो सके तो इस पर उचित अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण रखा जाना चाहिये। तथा प्रस्फोट द्रव्यों को उचित रूप से उपयोग में लाया जाना चाहिये जिस से कि सारे देश उसे गवेषणा सम्बन्धी कार्यों में तथा अन्य उचित उद्देश्यों के लिये काम में ला सकें। यह सब कुछ ठीक है। परन्तु यह किया कैसे जा सकता है? राष्ट्रपति आइज़नहावर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण स्थापित करने की बात करते हैं। यह ठीक है परन्तु हमें यह भी देखना चाहिये कि उस संगठन के समक्ष अणु शक्ति के सम्बन्ध में विभिन्न देशों की प्रस्थापनायें क्या हैं। ताज़ा प्रस्थापनायें ये हैं :—

"संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण अभिकरण स्थापित किया जायेगा। यह सुरक्षा परिषद् तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण से बाहर एक स्वतन्त्र निकाय होगा।" संयुक्त राष्ट्र संघ इसे केवल स्थापित करेगा तथा इस की ज़िम्मेदारी वहीं पर खत्म होगी। यह एक स्वतन्त्र संघठन होगा। तो यह एक महत्वपूर्ण चीज है कि स्वतन्त्र संघठन क्या होता है। इस संघठन को देखभाल का असीमित अधिकार प्राप्त होगा चलो यह बात भी मान ली। फिर आगे कहा गया है कि "इसे किसी विदेशी राज्य के इलाके में पर्यवेक्षण दल रखने का अधिकार होगा जिसे कि अणुशक्ति की गवेषणा अथवा उत्पादन की आदेशिकाओं में कार्य संलग्न होने की अनुमति होगी।" तो यह राज्यों के ऊपर एक ऐसी संस्था होगी जिस की कि अपनी सेनायें— छोटी सेनायें आदि होंगी। फिर कहा गया है कि

"खानों से निकाला गया कच्चा माल तथा विश्व के सारे अणु शक्ति उत्पादन संयंत्र इस के नियंत्रण में तथा इस के स्वामित्व में होंगे।" तो हमारा सारा कच्चा माल तथा खाने, आदि उस के नियंत्रण में होंगी। इस का अर्थ यह है कि उस चुने हुए निकाय में बहुत बड़ी शक्ति केन्द्रित होगी। "यह इस बात का निश्चय करेगा कि कहां तक विभिन्न आदेशिकाओं को क्रियान्वित किया जा सकेगा। तथा विश्व के किन भागों में अणु शक्ति के संयंत्र स्थापित किये जायें। यह देशों, संस्थाओं अथवा उपक्रमों को जो कि अणु शक्ति की उत्पादन सम्बन्धी गतिविधियों से सम्बन्धित हों, लाइसैंस दे सकता है अथवा बंद कर सकता है।"

मैं ने कुछेक उपबन्ध पढ़े हैं तथा और भी दो एक बातें हैं। इतनी बड़ी शक्ति एक ऐसे निकाय को सौंपी जा रही है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण से बाहर हो। इस निकाय में कौन होगा। यह एक महवत्पूर्ण बात है। या तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी कोई संस्था होगी जिस में कि सभी देशों के प्रतिनिधि होंगे या यह बड़े राष्ट्रों का एक निकाय होगा तथा वे ही इस के कर्ता धर्ता होंगे। उन का प्रत्येक देश में अणु शक्ति से सम्बन्धित क्षेत्रों पर तथा कच्चे माल पर नियंत्रण होगा। तो क्या भारत जैसे देश में इस तरह की स्थिति वांछनीय होगी ?

कुछ माननीम सदस्य : जी नहीं।

श्री जवाहर लाल नेहरू : माननीय सदस्य "अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण" के सम्बन्ध में इतनी चर्चा करते रहते हैं, किन्तु हमें समझना चाहिये कि इस शब्दावली का सही और स्पष्ट अर्थ क्या है। यह ठीक है कि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण और निरीक्षण होना चाहिये। किन्तु यह काम इतना सरल नहीं जितना यह बाहर से दिखाई देता है। इस में कोई संदेह नहीं, कि हम ऐसे नियंत्रण पर आपत्ति कर सकते हैं जिस से हमें कोई लाभ नहीं पहुंचता। हम अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी अन्य देशों के साथ साथ किसी भी हद तक इस बात को करने के लिये तैयार हैं किन्तु शर्त यह है कि वह काम सभी की भलाई के लिये हो, और उस से केवल कई देशों को लाभ नहीं पहुंचता हो—भले ही उन के उद्देश्य अच्छे हों। इस मामले में ये ही कठिनाइयां सामने आती हैं।

राष्ट्रपति आइज़नहावर के भाषण में इन सभी बातों को विस्तार में नहीं लिया गया है, यद्यपि उन्होंने कहा है कि "नारमल युरेनियम" का नियंत्रण होना चाहिये। मैं यह समझ सकता था कि प्रस्फोट की सामग्री पर नियंत्रण होना चाहिये, किन्तु राष्ट्रपति आइज़नहावर ने "नारमल यूरेनियम" का हवाला दिया है। "नारमल यूरेनियम" का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। मेरा अनुमान है कि उन्होंने यूरेनियम की कच्ची धातु की ओर इशारा किया है। तो, इस प्रकार हम पुनः कच्ची सामग्री की बात करते हैं। और यही कठिनाई हमारे सामने आ जाती है। हम इसी पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण चाहते हैं, और चाहते हैं कि शान्ति के प्रयोजनार्थ इस का उचित प्रयोग हो। सभी राष्ट्र यही बात चाहते हैं। और इस पर कोई भी तर्क-वितर्क नहीं किया जा सकता। किन्तु जिस समय हम इस का रास्ता ढूंढ़ना चाहते हैं, हमारे सामने तुरन्त ही कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। मेरा यह निवेदन है कि किसी भी ऐसी योजना को स्वीकार करना उचित नहीं होगा, जिस के परिणामस्वरूप हमें अपनी कच्ची सामग्री, खान, आदि को किसी बाह्य अधिकारी के हाथों सौंपना पड़े। सदन को मैं पुनः इस बात का स्मरण कराऊंगा कि विकसित देशों की अपेक्षा विश्व के अर्द्ध-विकसित देशों के लिये शान्तिवादी प्रयोजनार्थ अणु-शक्ति का प्रयोग कितना ही महत्वपूर्ण है। और यदि विकसित देशों के पास सभी शक्ति हो तो वे अपने अपने स्थानों में अणु-

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

शक्ति का प्रयोग बन्द करें, क्योंकि उन्हें इस की इतनी आवश्यकता नहीं है, और हमें इस के अभाव से कष्ट उठाना पड़ता है ।

इस मामले को राष्ट्रपति आइज़नहावर ने जिस ढंग से समझा है, हम उस का स्वागत करते हैं । जिस समय उन्हों ने भाषण दिया, उस समय से इस बात से सम्बद्ध अन्य बड़ी बड़ी शक्तियों के प्रतिनिधियों ने इस मामले पर चर्चा की है, और यदि वे इस प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय संचय बनाने के लिये कोई उचित प्रणाली ढूंढ़ निकालें तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी—और जैसा मैं बता चुका हूं—शर्त यह है कि हम भी उस में भाग ले सकें ।

इस मामले में डा० साहा ने एक निराशाजनक खाका पेश किया । उन्होंने बतलाया कि हमारे देश में कोयला समाप्त हो रहा है । किन्तु हमारे देश के भूगर्भशास्त्रज्ञों का जो कहना है वह डा० साहा के दृष्टिकोण के उलट है । मैं समझता हूं कि डा० साहा और हमारे भुगर्भशास्त्रियों में मतभेद है, किन्तु उन के प्रति पूरा सम्मान होते हुए भी मैं इस मामले में उन भूगर्भशास्त्रियों का ही दृष्टिकोण लूंगा । डा० साहा तो एक प्रतिष्ठित भौतिकीविद हैं, किन्तु हमारे भूगर्भशास्त्री कोयला के सम्बन्ध में उन से अधिक जानकारी रखते हैं ।

मैं यहां भूगर्भशास्त्रियों के उस प्राक्कलन को आप के समक्ष रखूंगा जो उन्हों ने कोयला खानों की विधि के सम्बन्ध में बनाया है ।

२००० फुट गहराई तक भारतीय भूमि की चट्टानों में कोयला खानों की निधि	६० अरब टन
सभी श्रेणियों के उपलब्ध कोयले की, जिसे वर्तमान प्रणालियों से काम में लाया जा सकता है, कुल निधि	२० अरब टन
काम में लाये जाने के योग्य प्रथम श्रेणी के कोयले की निधि	५ अरब टन
धातुकार्मिक प्रयोग के लिये उपयुक्त कोक कोयले की निधि	१ अरब ७५ करोड़ टन से ले कर २ अरब टन तक
सभी प्रकार की श्रेणियों के कोयले की वर्तमान वार्षिक खपत—(भारत में)	३ करोड़ ५० लाख टन
धातुकार्मिक श्रेणी के कोयले की वार्षिक खपत (दोनों धातुकार्मिक और अधातुकार्मिक प्रयोजनों के लिये काम में लाया जाने वाला कोक कोयला)	लगभग ८० लाख टन से १ करोड़ २० लाख टन तक
विशुद्ध रूप से धातुकार्मिक प्रयोजनों के लिये कोक कोयले की खपत	लगभग ३० लाख टन

यह सर्वप्रसिद्ध बात है कि हम अपना सर्वोत्तम कोयला रेलों में जलाते हैं, जहां इस की आवश्यकता नहीं । अब रेलों में भी इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि हमारा सर्वोत्तम कोयला इस काम में नहीं लाया जाय । विशुद्ध रूप से धातुकार्मिक प्रयोजनों के लिये लगभग ३० लाख टन कोक कोयले की खपत होती है जब कि दोनों धातुकार्मिक और अधातुकार्मिक प्रयोजनों के लिये काम में लाये जाने वाले धातुकार्मिक श्रेणी के कोयले की हमारी वार्षिक खपत लगभग

८० लाख टन से १ करोड़ २० लाख टन तक है। इस का मुख्य कारण यह है कि हमारी रेलों और हमारे कई कारखानों को बहुत आसानी से यह उच्च श्रेणी का कोयला जलाने को मिलता है। हमें इस तरह की खपत को कम करना चाहिये क्योंकि अन्य कोयले के मिलते हुए इस सर्वोत्तम कोयले का अपव्यय ठीक नहीं है।

ईंधन गवेषणा संस्था और ताता वालों के जैसे अन्य गैर सरकारी औद्योगिक सार्थों द्वारा भारत में हाल में ही किये गये प्रयोगों से इस बात का पता चलता है कि धोने और मिलावट की प्रणाली से हमारे यहां का द्वितीय श्रेणी का कोयला प्रथम श्रेणी के कोयले के स्तर पर लाया जा सकता है। निम्न श्रेणी के कोयले के सुधार के लिये बड़े पैमाने पर किये गये प्रयोगों से इस बात का आश्वासन मिला है कि भारतीय कोयले के साधन इस देश की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त होंगे।

यदि खान निकालने की सही प्रणाली को अपनाया जाय और अपव्यय एवं दुरुपयोगों को दूर किया जाये तो उपरोक्त सारणी से इस बात का पता चलेगा कि हमारे पास उच्च श्रेणी और कोक कोयले की कुल निधि २ अरब टन है, जो यदि केवल लोहा, इस्पात और अन्य धातु तैयार करने के कारखानों में ही काम में लाया जाय, तो ६५० वर्ष तक के लिये पर्याप्त है किन्तु आज कल भारत में साधारण भट्टियों रेलों, घरेलू रसोइयों और अन्य औद्योगिक कामों में प्रतिवर्ष लगभग १ करोड़ टन से १ करोड़ २० लाख टन तक कोक कोयले की खपत होती है। इस हिसाब से हमारे कोक कोयले की निधि केवल १६० वर्ष तक ही चल सकेगी।

बढ़िया और बीच की किस्म के कोकरहित कोयले के सम्बन्ध में भिन्न स्थिति है। यदि वर्तमान दर से इस का उपयोग जारी रहे और भावी औद्योगिक वृद्धि के लिये कुछ अधिक मात्रा की खपत को ध्यान में रखा जाये तो यह कई सौ वर्षों के लिये पर्याप्त है। इस में कोई संदेह नहीं कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका और सोवियत रूस के मुकाबले में भारत में कोयले के साधन बहुत ही कम हैं।

श्री मेघनाद साहा : यदि औद्योगिक सामर्थ्य दस गुनी हो जाये, तो हमारे देशी कोयले की निधि ६५० वर्ष के बदले केवल ६५ वर्ष तक चलेगी : क्या यह एक निराशाजनक पहलू नहीं है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : माननीय सदस्य के ध्यान में धातुकार्मिक कोयला है। अन्य कोयला औद्योगिक सामर्थ्य से कई गुना बढ़ जाने पर भी कई सौ वर्ष तक मिल सकता है।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डा० साहा ने यह प्रश्न पूछा कि क्या हमारे यहां इतनी अपेक्षित सामर्थ्य या आवश्यक वैज्ञानिक कर्मचारि वर्ग है जो यहां एक न्यूकलियर रिएक्टर विद्युत शक्ति की प्रतिक्रिया जानने का उपाण्विक उपकरण) लगा सके। उन्हों ने इस बात का उल्लेख किया कि आज से पांच वर्ष पहले हमने इस उपकरण के प्रतिष्ठान का ज़िक्र किया था। उन का कहना ठीक है कि अभी तक यह उपकरण लगाया नहीं गया। ठीक है कि देर हो गई है। किन्तु देर होने के कई एक कारण हैं जो हमारे बस में नहीं थे। हम इस की स्थापना कर रहे हैं। स्पष्ट है कि हमें विदेशों से कुछ समान मंगाना होगा। हमें इस के लिये हेवी वाटर मंगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे देश में अभी इस का उत्पादन नहीं हो रहा है। इस ठोस जल का आयात ज़रा कठिन था, किन्तु मेरा विश्वास है कि युक्त आकार के इस रिएक्टर को चलाने के लिये अब अच्छी स्थिति है।

जहां तक हमारे वैज्ञानिक कर्मचारीवर्ग का प्रश्न है, हम बड़े देशों के साथ अपनी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

तुलना नहीं कर सकते, किन्तु कई बड़े देशों को छोड़ कर, यह माना जाता है कि अब भी हमारे हां अच्छे ढंग का वैज्ञानिक कर्मचारीवर्ग है। यदि उस संचय से जिस की ओर, और जैसा कि राष्ट्रपति आइज़नहावर ने निर्देश भी किया है, प्रस्फोट की सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकेगी, फिर भी हम एक रिएक्टर लगा सकते हैं। हम किसी साधारण संचय पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सहायता न मिलने पर भी और प्रस्फोट सामग्री तथा मांडुलेटर (मात्रा घटाने बढ़ाने का यंत्र) आसानी से न मिलने पर भी हम यह काम कर सकते हैं। हम ने कई दलों को भारत से विदेशों में भेजा है, और यहां भारत में और विदेशों में लोगों को इस की प्रशिक्षा दी जा रही है। मैं समझता हूं कि हमारी यह धारणा उचित है कि शीघ्र ही इस का परिणाम निकलने वाला है।

अणुशक्ति आयोग के सदस्यों का एक छोटा सा दल रेडियो-सक्रिय आइसोटोप्स (भिन्न न्यष्टि के अणु) के प्रयोग में अपने अनुभव बढ़ा रहा है, और रिएक्टर के चालू होते ही, जीवविज्ञान-सम्बन्धी एवं अन्य अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यों और औषधि चिकित्सा के लिये हमें उन के अनुभवों से लाभ होगा।

और अब रिएक्टर लगाने का मुख्य आयोजन यह है कि आवश्यक प्रविधिक अनुभव प्राप्त हों, जिस से हमें भविष्य में शान्तिवादी प्रयोजनों के लिए शक्ति-चालित संयंत्रों के प्रतिष्ठान में सहायता मिलेगी। यही कारण है कि कई लोग हीट ट्रांस्फर (ताप स्थानान्तरण) जैसी कई प्रविधिक प्रक्रियाओं में अनुभव प्राप्त करने में लगे हैं, और स्पष्ट है कि हमें कभी भविष्य में इन के अनुभवों की आवश्यकता पड़ेगी। उक्त रिएक्टर हमें कुछ रेडियो-सक्रिय आइसोटोप्स के उत्पादन में सहायता देगा। इस समय रेडियो-सक्रिय आइसोटोप्स को विभिन्न तत्वों में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिये जीवविज्ञान-सम्बन्धी गवेषणा के काम में लाया जा रहा है। औषधि-चिकित्सा के लिये रेडियो-सक्रिय आइसोटोप्स और विशेष रेडियो-सक्रिय आयोडीन को इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक ज्योति के घनत्व का सम्बन्ध है, ये दोनों मन्द गति के हैं और आसानी से इन को काबू में लाया जा सकता है। किन्तु ये अल्पकालिक हैं। इन दोनों का प्रभाव शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, या यों कहिये कि ये दोनों शीघ्र ही प्रभावशून्य हो जाते हैं। कई एक धातुकार्मिक कार्यों में कई प्रतिक्रियाओं की प्रगति जानने के लिये भी इस को काम में लाया जाता है। अभी भी, शान्तिवादी प्रयोजनों के लिये इन सभी को विदेशों से खरीदा जा सकता है, किन्तु ये इतने क्षणिक हैं कि वहां से यहां तक पहुंचने में ही इन की कुछ सक्रियता नष्ट हो जाती है। स्पष्ट है कि इन का देशी उत्पादन ही अधिक लाभदायक होगा। हां, कच्ची धातुओं और सामग्री का पता लगाने के लिये हमारे यहां एक बड़ा विभाग है। दो नये विभाग खोले गये हैं। इन में से पहला औषधि तथा स्वास्थ्य विभाग है जो ज्योति के प्रभाव से कामकरों की रक्षा करने और अनुसन्धान एवं इसी प्रकार की अन्य समस्याओं का हल निकालने के लिये है, दूसरा जीव-विज्ञान विभाग है जो ज्योति के जोति-विज्ञान सम्बन्धी प्रभावों की जांच करता है।

हां, माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि भारत से विदेशों को कुछ मोनोज़ाइट रेत अथवा और कई वस्तुयें भेजी जाती हैं। हम ने इन वस्तुओं का बहुत कम

निर्यात किया है। आज से पांच या छै वर्ष पहले ये ही वस्तुयें असीम मात्रा में बाहर भेजी जाती थीं, कोई भी देश जहाज़ों के जहाज़ भर के ले जा सकता था। किन्तु हम ने इस का निर्यात बन्द किया। मैं समझता हूं कि अब भी हमारे तटों से चोरी छिपे इस का थोड़ा थोड़ा निर्यात होता है। चौकियां बिठा कर और पहरे लगा कर इस चोरी छिपे निर्यात को भी हम बन्द करने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु हम ने किसी व्यापारिक दृष्टिकोण से मोनोज़ाइट के निर्यात पर नहीं सोचा, यद्यपि यह ऐसी वस्तु है जिस से धन कमाया जा सकता है। किन्तु अणु शक्ति विकास के लिये हमें जिस वस्तु का अभाव है, उसी के आयात के विनिमय में हमने सदा इस का निर्यात किया है। स्वाभाविक बात है कि हमारे यहां कई वस्तुओं का अभाव है। तो स्पष्ट है कि ऐसी वस्तु होनी चाहियें जो हम बहुत आसानी से अन्य देशों से प्राप्त कर सकते हों।

आप ने अब समझ लिया है कि हम विनिमय के लिये ही इस को काम में लाते हैं। हम कई विदेशी अणुशक्ति आयोगों के सम्पर्क में हैं, जिन में मुख्य रूप से दो देश फ्रांस और इंगलैंड उल्लेखनीय हैं। मेरा विचार है कि पहले फ्रांस में फ्रांसीसी अणुशक्ति आयोग बना था और बाद में इंगलैंड में आयोग बना। मैं यह नहीं कहता कि हमारे इतने निकट के सम्पर्क हैं, किन्तु इतना जरूर है कि हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसीलिये हम ने उन्हें मोनोज़ाइट मुहैया किया है। हम ने अन्य देशों को, जिन में संयुक्त राष्ट्र अमरीका भी है, कभी कभी इसी प्रकार की कई वस्तुयें भेजी हैं। मैं उन सभी के नाम गिना नहीं सकता। किन्तु मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि हम ने अपेक्षतया कम मात्रा भेजी है। सच तो यह है कि हम, जहां तक संभव हो सके, इस मोनोज़ाइट रेत को बाहर के देशों को नहीं भेजना चाहते हैं। अब हम तैयार सामग्री भेज देते हैं। इस प्रकार की सामग्री तैयार करने के लिये हम ने त्रावनकोर-कोचीन में एक कारखाना खोला है, और रेत की अपेक्षा उस से तैयार किये गये सामान का भेजा जाना ही हमारे लिये अधिक लाभदायक है। बम्बई के निकट स्थित ट्राम्बे में भी हम एक और कारखाना खोल रहे हैं। इन मामलों में बहुत काम किया जा रहा है।

डा० मेघनाद साहा ने बताया कि कोई भी बात रहस्य नहीं रखी जानी चाहिये। मैं उन से पूरी तरह से सहमत हूं, और जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम कोई भी रहस्य नहीं रखना चाहते। हमारी एकमात्र कठिनाई यह है कि जब हम और किसी देश के सम्पर्क में आते हैं, वह फ्रांस हो चाहे इंगलैंड, वे जब हमें कोई प्रक्रिया या जानकारी बताते हैं तो वे इस बात पर जोर देते हैं कि रहस्य रखा जाना चाहिये और हमें उन से इसलिये सहमत होना पड़ता है क्योंकि उन का ऐसा ही रिवाज है। हमें उन से कुछ लेना है जो अन्यथा नहीं लिया जा सकता। इसीलिये हमें यह आश्वासन देना पड़ता है, और उस वचन का पालन करना पड़ता है। अन्यथा, जहां तक हमारा सम्बन्ध है, इस में कोई भी रहस्य नहीं। यह भी स्पष्ट है कि इस मामले में हम अणुशक्ति कार्य की पहली मंज़िल पर हैं, और सोवियत रूस अमरीका या इंगलैंड के सामने आगे नहीं बढ़े हैं। अतः जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमारे पास वास्तव में, छिपाने की कोई वस्तु नहीं है।

डा० मेघनाद साहा ने यह सुझाव दिया कि अणुशक्ति अधिनियम ने रोड़ा अटकाया, अतः इस को रद्द किया जाना चाहिये। हमें इसे रद्द करने में कोई भी आपत्ति नहीं, न तो इस बात पर ही हम आपत्ति करेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर इस का संशोधन किया जाय। हम उक्त अधिनियम में संशोधन करने के लिये सदन के समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं। हमें बिल्कुल

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

प्रारम्भ से इस मामले पर विचार करना चाहिये। हम इस बात को भी पूर्णतया स्वीकार करते हैं कि प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों से परामर्श किया जाय या उन का एक सम्मेलन बुलाया जाय जिस में इन मामलों पर चर्चा हो सके। यदि वे उक्त अधिनियम अथवा कार्य के सुधार के लिये कोई सुझाव देंगे तो हम सहर्ष उन को स्वीकार कर के आत्मसति करेंगे। सच तो यह है कि अब जभी इस अधिनियम के क्षेत्र में जितनी भी बातें आ जाती हैं, उन को विस्तृत करने और सुधारने के लिये हम प्रयत्नशील हैं। मैं यह भी बता दूं कि हम ने किसी हद तक इस बात का अनुभव किया है कि कदाचित यह अधिनियम पूर्णतः पर्याप्त नहीं और हमारे रास्ते में कभी कभी बाधा बन रहा है। किन्तु कठिनाई इस बात की है कि इस सत्र या अगले सत्र में प्रस्तुत होने वाले विधान में किस प्रकार की वृद्धि की जायेगी। अन्त में हम ने यही निश्चय किया कि इस अवस्था में हम तब तक संसद् को कष्ट नहीं देंगे, जब तक हम इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिये विवश हों, और इस अधिनियम के क्षेत्र के अनुसार, यदि हम से हो सके, किसी हद तक अपने काम को विस्तार दें। मैं इस सदन और डा० मेघनाद साहा को यह वचन देता हूं कि हम उन सभी सुझावों का सहर्ष सम्मान करेंगे और उन पर ध्यान देंगे जो व्यक्तिगत अथवा संयुक्त रूप में हमारे सामने रखे जायेंगे।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्कारा) : अणुशक्ति आयोग के बारे में मेरी पहली शिकायत यह है कि इस ने अनुचित प्रकार से डींग बहुत मारी है। दूसरी शिकायत यह है कि यह बहुत सीमा तक टाटा के नियंत्रण में है और इस का कार्य-संचालन राष्ट्र के हितार्थ न होते हुए टाटा के हितार्थ ही हो रहा है।

इस आयोग ने यह कहा था कि हम पांच वर्ष के अन्दर अणुशक्ति का प्रयोग कर सकेंगे, किन्तु यह बात पूरी न हो सकी। अपनी गतिविधियों को गुप्त रखने के ढोंग के फलस्वरूप उन्हें वैज्ञानिकों तथा अन्य ऐसे लोगों का, जिन्हें इस विषय में अभिरुचि है, सहयोग नहीं मिल रहा है। मेरी समझ में तो यह आयोग की अकुशलता तथा अनुचित कार्यवाहियों पर पर्दा डालने का साधन मात्र है।

मैं ने १९५१-५२ के आयव्ययक सम्बन्धी मांगों के विषय में बोलते हुए यह जतलाया था कि जिस प्रकार संघ सरकार त्रावनकोर-कोचीन राज्य को मोनाज़ाइट के मूल्य में उन के उचित भाग से वंचित कर रही है। संघ सरकार इस का मूल्य २५ पाउंड प्रति टन के दर से दे रही थी जब कि विश्व विपणि मूल्य उस से दस गुना था। हम इस की इतनी परवाह न करते जो कहीं इस से संघ सरकार को लाभ हो रहा होता, किन्तु केन्द्रीय सरकार इसे १२० पाऊंड की दर से टाटा के हवाले कर रही है जो इस से मुख्य लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं।

१ म० प०

मुझे मोनाज़ाइट के सुधारे जाने पर कुछ भी आपत्ति नहीं है किन्तु इस का निर्यात राष्ट्र हित में और स्वयं सरकार द्वारा होना चाहिये। यह सुधार कार्य कई स्थानों पर स्थित कितनी ही फैक्टरियों में न हो कर केवल किसी एक स्थान पर ही हो सके तो अधिक लाभदायक होगा। उचित रीति से सुधार न हो सकने के कारण कितना ही माल समुद्र में फिंकवाया जा रहा है जिस से करोड़ों रुपये की हानि हो रही है।

इल्मेनाइट के सुधार के बारे में भी अणुशक्ति आयोग द्वारा यह निश्चित किया गया है कि बाहर भेजे जाने वाले इल्मेनाइट में केवल ०.१ अर्थात् १।१००० प्रतिशत मोनाज़ाइट का अंश होना चाहिये। इस के फलस्वरूप फैक्टरियों का काम घट कर आधा

रह गया है। इस के कारण त्रावणकोर-कोचीन तथा श्रमिकों को ५० से ६० लाख रुपये तक की हानि प्रति वर्ष हो रही है। बेकारी भी बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि यदि यह मात्रा बढ़ा कर ०.२५ प्रतिशत कर दी जाये तो कुछ हानि नहीं होगी।

श्री के० डी० मालवीय : क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि तीस, चालीस हजार श्रमिकों को काम देने के विचार से अधिक मोनाजाइट बाहर भिजवाया जाय ?

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं इल्मेनाइट का उल्लेख कर रहा था, किन्तु मोनाज़ाइट के बारे में मैं चाहता हूं कि फैक्टरियों से पूर्ण काम लिया जाये। इसे सुधार कर बाहर भेजा जाय और इस के बदले में भंजन किये जाने योग्य माल बाहर से मंगवाया जाये। और देश को धन की भी वैसी ही आवश्यकता है।

श्री के० डी० मालवीय : हम ट्राम्बे में एक फैक्टरी स्थापित कर रहे हैं जहां हम अलबाम से आने वाले केक से यूरेनियम तथा थोरियम का सुधार करेंगे।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : यह बात मानी गई है कि त्रावनकोर-कोचीन की रेत में थोरियम के अतिरिक्त यूरेनियम भी मिलता है। किन्तु गोपनीयता के कारण भारत के वैज्ञानिकों को इस यूरेनियम को सुधारने तथा उस के सम्बन्ध में प्रयोग करने का अवसर ही नहीं मिलता। आयोग न तो स्वयं कुछ कर रहा है और न दूसरों को ही कुछ करने दे रहा है।

श्री के० डी० मालवीय : ऐसे प्रयोगों के बारे में पूर्ण स्वतन्त्रता है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : हम प्रति वर्ष ६० हजार टन मोनोज़ाइट उत्पन्न कर सकते हैं जिस से हम २० करोड़ रुपये के मूल्य का भंजनीय माल प्राप्त कर सकते हैं।

श्री के० डी० मालवीय : किन्तु इतने अधिक माल का कोई लेने वाला भी तो होना चाहिये। इसीलिये उत्पादन को सीमित रखा गया है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या संसार में थोरियम की मांग नहीं हैं। कई कम्पनियां ऐसी हैं जो लाखों मन थोरियम लेने के लिये उद्यत हैं।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : सदन प्रधान मंत्री का आभारी है कि उन्होंने प्रस्तुत विषय पर वास्तविकतापूर्ण प्रकाश डाला है। अणुशक्ति पर संयुक्त राष्ट्रीय नियंत्रण होने के लिये अत्यावश्यक है कि ऐशिया के देशों का भी इस विषय में प्रतिनिधित्व हो। हम भारतीय लोग शत्रु का नाश करने के पक्ष में नहीं हैं हमें शिक्षा ही कुछ इस प्रकार की मिली है।

अमरीका और इंगलैंड के बीच जो समझौता १९४३ में अणुशक्ति के विषयि में हुआ था उस में यदि रूस को भी सम्मिलित कर लिया गया होता तो विश्वशान्ति के लिये बहुत अच्छा होता। आज जो दोनों पक्षों मे शस्त्रास्त्रों के लिये दौड़ चल रही है वह देखने में न आती।

हम भारतीय लोग अणुशक्ति के विकास कार्य में बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं जिस का परिणाम यह है कि हम अणुशक्ति का प्रयोग शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये भी नहीं कर पा रहे हैं।

राष्ट्रपति ट्रूमैन को अमरीकी वैज्ञानिकों द्वारा यह चेतावनी दी गई थी कि अणुबम का प्रयोग न किया जाय, किन्तु इस चेतावनी के तीन महीनों के अन्दर ही हीरोशिमा पर यह

[श्री जोकीम आल्वा]

बम फेंका गया । उन दिनों जापान द्वारा शान्ति के प्रयत्न किये जा रहे थे किन्तु इस की भी कुछ परवाह नहीं की गई, सम्भवत: इसलिये कि वह एक अश्वेत देश था । इस से जो हानि व बर्बादी हुई वह सभी को ज्ञात है ।

ऐसे समय में देखना यह है कि क्या संसार भर के वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन बुला कर अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग की बात चलायी जा सकती है केवल यही एक ऐसा साधन है जिस से वर्तमान अन्धकार को दूर किया जा सकता है ।

इस के पश्चात् सभा मंगलवार, ११ मई, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—170 PSD—19-11-54—285